**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या-173**

**जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया गया**

**असम में विद्युत संयंत्रों से संबंधित प्रगति**

***173. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम में सिलचर विद्युत परियोजना, मार्गेरिटा ताप विद्युत परियोजना, नामरूप रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट और लाकवा रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार असम में अधूरी विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो इन्हें पूरा करने के लिए निर्धारित विशिष्ट समय-सीमा का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त विद्युत परियोजनाओं का असम की पारिस्थितिकी पर दीर्घकालिक प्रभाव का निर्धारण करने के लिए कोई विश्लेषण किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) असम में उक्त परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और प्रत्येक विनिर्दिष्ट विद्युत परियोजनओं के लिए उपयोग की गई आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) से (च) :** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**********

**<u>विवरण</u>**

**"असम में विद्युत संयंत्रों से संबंधित प्रगति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 173 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**********

**(क) :** असम पावर उत्पादन कंपनी- राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी, द्वारा असम राज्य में सिलचर विद्युत परियोजना, मार्गेरिटा ताप विद्युत परियोजना, नामरूप रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट और लाकवा रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट शुरू की गई थी। इन संयंत्रों की स्थिति के संबंध में दी गई सूचनाएं निम्न प्रकार हैं:

| **क्र.सं.** | **परियोजना का नाम** | **क्षमता (मेगावाट में** | **स्थान** | **वर्तमान स्थिति** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सिलचर विद्युत परियोजना | 1x30 | सोनाबारीघाट, जिला कछार | परियोजना छोड़ दी गई है |
| 2. | मार्गेरिटा ताप विद्युत परियोजना | 2x800 | ग्राम सालेकी एनसी, मकुममौजा, मार्गेरिटा, जिला तिनसुकिया | आयोजना के अधीन |
| 3. | नामरूप रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट | 98.4 (1x62.50+ 1x36.15) | नामरूप, जिला डिब्रूगढ़ | 16.07.2021 को सीओडी |
| 4. | लाकवा रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट | 69.755 (7x9.965) | लाकवा, जिला चराईदेव | 26.04.2018 को सीओडी |

**(ख) : दो परियोजनाएं (i) नामरूप रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट और (ii) लाकवा रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट** सफलतापूर्वक चालू हो गई हैं।

(iii) **सिलचर विद्युत परियोजना:** असम के कछार जिले में ओएनजीसी लिमिटेड के दो छोटे और सीमांत क्षेत्रों अर्थात बास्कंडी और भुबंदर से पर्याप्त गैस की अनुपलब्धता के कारण, असम पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीजीसीएल) ने सिलचर विद्युत परियोजना को छोड़ दिया था।

(iv) **मार्गेरिटा ताप विद्युत परियोजना:** एपीजीसीएल ने मार्गेरिटा में 2x800 मेगावाट की पिट हेड कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना विकसित करने का इरादा किया था। तदनुसार, एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2019 में 16,850 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ डीपीआर तैयार की गई। एपीजीसीएल ने जीसीवी 6900 किलो कैलोरी/किलोग्राम के कोयले को ध्यान में रखते हुए, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के उत्तर पूर्वी कोयला क्षेत्रों से 90% पीएलएफ पर 4.11 एमटीपीए कोयले के लिए, कोयला मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय को कोयला लिंकेज संबंधी अनुरोध प्रस्तुत किया था।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने एपीजीसीएल को सलाह दी थी कि उत्तर पूर्वी कोयला क्षेत्रों में पर्याप्त कोयले की अनुपलब्धता के कारण, डीपीआर में उल्लेख के अनुसार मार्गेरिटा टीपीपी को पिट हेड प्लांट के रूप में विकसित करना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए, एपीजीसीएल को डीपीआर पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। और यदि एपीजीसीएल इस पर सहमत होता है, तो ईसीएल, बीसीसीएल और सीसीएल जैसी अन्य कोयला कंपनियों से कोयला लिया जा सकता है। तदनुसार, एपीजीसीएल को उपर्युक्त कोयला कंपनियों से कोयले की अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीआईएल से संपर्क करने की सलाह दी गई थी। तथापि, इस संबंध में एपीजीसीएल से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

**(ग) और (घ) :** माननीय मुख्यमंत्री, असम सरकार ने दिनांक 03.10.2023 को आयोजित बैठक में एपीजीसीएल के प्रबंध निदेशक को सीआईएल द्वारा कोयला उत्पादन में अनुमानित वृद्धि को देखते हुए मार्गेरिटा कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन की संभावना तलाशने का निर्देश दिया था।

**(ङ) :** देश में ताप विद्युत परियोजना की स्थापना से पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) से पर्यावरणीय मंजूरी लेनी होती है। पर्यावरण मंजूरी में पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए), पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) आदि जैसे पहलू शामिल होते हैं। दो चालू परियोजनाओं अर्थात नामरूप रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट और लाकवा प्रतिस्थापन विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी।

**(च) :** नामरूप रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट और लाकवा रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट के लिए आवंटित धन की मात्रा और साथ ही उपयोग में लाई गई आवंटित धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

| **क्र.सं.** | **परियोजना का नाम** | **कुल परियोजना लागत (करोड़ रूपये में)** | **निधि का स्रोत** |
|---|---|---|---|
| 1. | नामरूप रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट | 901 | • इक्विटी (एपीजीसीएल)-207.14 करोड़<br>• असम सरकार (जीओए) की इक्विटी-208.86 करोड़<br>• पीएफसी ऋण-485 करोड़ |
| 2. | लाकवा रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट | 245.87 | • एशियाई विकास बैंक (एडीबी) अनुदान-202.54 करोड़<br>• एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ऋण-22.51 करोड़<br>• असम सरकार (जीओए) का ऋण-1.31 करोड़<br>• असम सरकार (जीओए) की इक्विटी-19.50 करोड़ |

सिलचर विद्युत परियोजना को छोड़ दिया गया है और मार्गेरिटा ताप विद्युत परियोजना आयोजना के अधीन है।

**********

**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या-176**

**जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया गया**

**विद्युत उत्पादन**

***176. श्रीमती क्वीन ओझा:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में कुल विद्युत उत्पादन के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में नए उद्योगों और कारखानों की स्थापना के कारण विद्युत की मांग बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश भर में विद्युत की अतिरिक्त मांग को पूरा करने हेतु इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) से (ग) :** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**********

**<u>विवरण</u>**

**"विद्युत उत्पादन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 176 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**********

**(क) :** वर्ष 2022-23 और 2023-24 (अक्तूबर, 2023 तक) के लिए देश में कुल विद्युत उत्पादन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

**(ख) :** जी, हाँ, देश में विद्युत की माँग बढ़ती जा रही है। वर्ष 2018-19 से नवंबर, 2023 तक की अवधि के दौरान ऊर्जा आवश्यकता और व्यस्ततम मांग का ब्यौरा, जो प्रतिशतता में वृद्धि दर्शाता है, **अनुबंध-II** में दिया गया है।

वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान औद्योगिक विद्युत खपत का ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है। वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक औद्योगिक विद्युत खपत में 7.18% तक वृद्धि हुई है।

**(ग) :** भारत सरकार ने देश में अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन बढ़ाए जाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. देश में कुल 27,180 मेगावाट क्षमता की 20 ताप विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजना का ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।
2. देश में कुल 16768 मेगावाट क्षमता की 33 जलविद्युत परियोजनाएं और पम्प्ड भंडारण परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। देश में निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं और पम्प्ड भंडारण विद्युत परियोजना का ब्यौरा **अनुबंध-V** में दिया गया है।

3. देश में 8000 मेगावाट की कुल क्षमता की 5 परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। देश में निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-VI** में दिया गया है।
4. कुल 78935 मेगावाट की आरई क्षमता निर्माणाधीन है, जिसमें 50056 मेगावाट की सौर परियोजनाएं और 16225 मेगावाट की पवन परियोजनाएं शामिल हैं।
5. विद्युत मंत्रालय ने राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से दिनांक 10 अप्रैल, 2023 को देश में पम्प्ड भंडारण परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।
6. नई जलविद्युत परियोजनाओं और पम्प्ड भंडारण परियोजनाओं के लिए पारेषण संबंधी आईएसटीएस प्रभारों की छूट।
7. सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित भी शामिल हैं:

    i. स्वचालित पद्धति द्वारा 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना;
    ii. दिनांक 30 जून, 2025 तक आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों से छूट;
    iii. वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) की ट्रेजेक्ट्री की घोषणा;
    iv. आरई परियोजनाओं की बड़े पैमाने पर संस्थापना के लिए आरई विकासकर्ताओं को भूमि तथा पारेषण प्रदान करने हेतु अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना;
    v. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सोलर रूफटॉप फेज-II, 12,000 मेगावाट केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) स्कीम फेज-II आदि जैसी स्कीमें;
    vi. नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनों को बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता का निर्माण करना;

vii. सौर फोटोवाल्टेयिक प्रणालियों/उपकरणों के विकास के लिए मानदंडों की अधिसूचना;

viii. निवेश आकर्षित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए परियोजना विकास सेल की स्थापना;

ix. ग्रिड संबद्ध सौर पीवी और पवन परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया हेतु मानक बोली दिशानिर्देश;

x. सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि आरई उत्पादकों को वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) अथवा अग्रिम भुगतान के आधार पर विद्युत भेजी जाएगी;

xi. हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम, 2022 के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोत्साहन हेतु अधिसूचना।

xii. भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके यौगिकों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया; और,

xiii. वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आरई विद्युत बोलियों के लिए निर्धारित ट्रेजेक्ट्री की अधिसूचना जारी की जाएगी। इस ट्रेजेक्ट्री के अंतर्गत, 50 गीगावॉट/वर्ष आरई बोलियां जारी की जाएंगी।

8. गर्मियों के दौरान उच्च व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा, विशेष रूप से, अतिरिक्त गैस-आधारित उत्पादन क्षमता स्थापित की जा रही है।

9. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 11 के अंतर्गत व्यस्ततम मांग अवधि के दौरान अपने संयंत्रों को अनिवार्यतः चलाने के लिए आयातित कोयला आधारित संयंत्रों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

10. गैस आधारित उत्पादन स्टेशनों को गर्मी के मौसम के दौरान व्यस्ततम मांग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त ईंधन (गैस) खरीदने का निर्देश दिया गया है।

11. शक्ति नीति (स्कीम टू हार्नेस एंड एलोकेट कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया) के अंतर्गत कोयला आवंटन ने ताप विद्युत स्टेशनों के लिए घरेलू कोयले की उपलब्धता में सुधार करने में मदद की है।

12. पावर एक्सचेंजों में रियल टाइम मार्केट (आरटीएम), ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएएम), ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम), हाई प्राइस डे अहेड मार्केट (एचपी-डीएएम) की शुरूआत। इसके साथ-साथ, डिस्कॉमों द्वारा अल्पकालिक विद्युत की खरीद के लिए ई-बोली और ई-रिवर्स के लिए दीप पोर्टल (डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस) की शुरुआत की गई थी।

13. निर्बाध विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत संयंत्रों को सुचारू कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, रेलवे द्वारा, वर्ष 2022-23 के दौरान, 8800 (लगभग 150 रेक) कोयला ढोने वाले वैगनों का नेट इंडक्शन किया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान, कोयला ढोने वाले रेक्स का संभावित नेट इंडक्शन लगभग 200 रेक्स का होगा, जिससे कोयले की लोडिंग के लिए अतिरिक्त 50 रेक/दिन की व्यवस्था हो सकेगी। इसी प्रकार, वर्ष 2024-25 में कोयला ढोने वाले रेक्स का नेट इंडक्शन लगभग 250 रेक्स का होने की संभावना है, जिससे अतिरिक्त 60 रेक्स/दिन की व्यवस्था हो सकेगी। रेलवे ने कोयला निकासी के संवर्धन के लिए 40 परियोजनाएं अभिचिन्हित की हैं।

**********

**अनुबंध-I**

**"विद्युत उत्पादन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 176 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।**

**********

वर्ष 2022-23 और 2023-24 (अक्तूबर, 2023 तक) के लिए देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल विद्युत उत्पादन (पारंपरिक + नवीकरणीय) के ब्यौरा

***(आंकड़े एमयू में)***

| क्षेत्र | राज्य | वर्ष 2023-24 (अक्तूबर 23 तक) | वर्ष 2022-23 |
|---|---|---|---|
| | | कुल उत्पादन | कुल उत्पादन |
| उत्तरी क्षेत्र | चंडीगढ़ | 8.73 | 12.6 |
| | दिल्ली | 2804.93 | 4314.5 |
| | हरियाणा | 18342.80 | 33559.0 |
| | हिमाचल प्रदेश | 31308.07 | 41579.9 |
| | जम्मू एवं कश्मीर | 13209.89 | 17170.6 |
| | लद्दाख | 307.32 | 402.8 |
| | पंजाब | 26014.77 | 40075.4 |
| | राजस्थान | 68911.79 | 105963.5 |
| | उत्तर प्रदेश | 99968.15 | 163447.1 |
| | उत्तराखंड | 11157.01 | 16369.5 |
| | दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव | 16.15 | 30.6 |
| पश्चिमी क्षेत्र | छत्तीसगढ़ | 95742.91 | 144839.6 |
| | गोवा | 40.77 | 20.0 |
| | गुजरात | 80347.46 | 95017.3 |
| | मध्य प्रदेश | 94862.33 | 152020.3 |
| | महाराष्ट्र | 98334.71 | 158993.4 |
| दक्षिणी क्षेत्र | आंध्र प्रदेश | 54718.62 | 81701.4 |
| | कर्नाटक | 54102.21 | 85190.3 |
| | केरल | 4594.45 | 9935.4 |
| | लक्षद्वीप | 37.34 | 15.1 |
| | पुद्दुचेरी | 152.07 | 245.3 |
| | तमिलनाडु | 75297.73 | 116688.0 |
| | तेलंगाना | 37199.36 | 64178.2 |
| पूर्वी क्षेत्र | अंडमान निकोबार | 215.43 | 252.4 |
| | बिहार | 34643.91 | 55489.1 |
| | झारखंड | 20728.50 | 30798.0 |
| | ओडिशा | 41951.26 | 71529.2 |
| | सिक्किम | 8318.54 | 11709.1 |
| | पश्चिम बंगाल | 55283.17 | 92995.3 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र | अरुणाचल प्रदेश | 3329.00 | 4845.8 |
| | असम | 5760.77 | 9153.7 |
| | मणिपुर | 189.34 | 486.8 |
| | मेघालय | 669.25 | 1052.4 |
| | मिजोरम | 123.35 | 266.4 |
| | नागालैंड | 205.18 | 289.3 |
| | त्रिपुरा | 3897.81 | 7086.1 |
| आयात | भूटान (आयात) | 4644.00 | 6742.4 |
| **कुल जोड़** | | **1047439.04** | **1624465.6** |

**********

**अनुबंध-II**

**"विद्युत उत्पादन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 176 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।**

**********

**वर्ष 2018-19 से ऊर्जा आवश्यकता और व्यस्ततम मांग में वृद्धि**

| अवधि | ऊर्जा आवश्यकता | ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि | व्यस्ततम मांग | व्यस्ततम मांग में वृद्धि |
|---|---|---|---|---|
| | एमयू | % | मेगावाट | % |
| 2018-19 | 12,74,595 | | 1,77,022 | |
| 2019-20 | 12,91,010 | 1.3 | 1,83,804 | 3.8 |
| 2020-21 * | 12,75,534 | -1.2 | 1,90,198 | 3.5 |
| 2021-22 | 13,79,812 | 8.2 | 2,03,014 | 6.7 |
| 2022-23 | 15,11,847 | 9.6 | 2,15,888 | 6.3 |
| 2022-23 (नवंबर तक) | 10,15,908 | | 2,15,888 | |
| **2023-24 (नवंबर तक)** | **11,02,887** | 8.6 | **2,43,271** | 12.7 |

* कोविड महामारी अवधि

**********

**अनुबंध-III**

**"विद्युत उत्पादन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 176 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।**

**********

**वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान औद्योगिक विद्युत खपत का ब्यौरे**

| **श्रेणी** | **वर्ष 2018-19** | **वर्ष 2019-20** | **वर्ष 2020-21** | **वर्ष 2021-22** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **खपत (जीडब्ल्यूएच)** | **खपत (जीडब्ल्यूएच)** | **खपत (जीडब्ल्यूएच)** | **खपत (जीडब्ल्यूएच)** | **वृद्धि %** |
| औद्योगिक विद्युत | 519196 | 532819 | 508776 | 556480 | 7.18 |

**********

**अनुबंध-IV**

**"विद्युत उत्पादन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 176 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।**

**********

**देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे (दिनांक 30-11-2023 तक की स्थिति के अनुसार)**

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | राज्य | विकासकर्ता | यूनिट सं. | क्षमता (मेगावाट) |
|---|---|---|---|---|---|
| **केंद्रीय क्षेत्र** | | | | | |
| 1 | बाढ़ एसटीपीपी-I | बिहार | एनटीपीसी | यू-3 | 660 |
| 2 | उत्तरी कर्णपुरा एसटीपीपी | झारखंड | एनटीपीसी | यू-2 | 660 |
| | | | | यू-3 | 660 |
| 3 | तेलंगाना एसटीपीपी चरण-I | तेलंगाना | एनटीपीसी | यू-2 | 800 |
| 4 | तालचेर टीपीएस, चरण-III | ओडिशा | एनटीपीसी | यू-1 | 660 |
| | | | | यू-2 | 660 |
| 5 | पतरातू एसटीपीपी | झारखंड | पीवीयूएनएल | यू-1 | 800 |
| | | | | यू-2 | 800 |
| | | | | यू-3 | 800 |
| 6 | बक्सर टीपीपी | बिहार | एसजेवीएन | यू-1 | 660 |
| | | | | यू-2 | 660 |
| 7 | घाटमपुर टीपीपी | उत्तर प्रदेश | एनयूपीपीएल | यू-1 | 660 |
| | | | | यू-2 | 660 |
| | | | | यू-3 | 660 |
| 8 | खुर्जा एससीटीपीपी | उत्तर प्रदेश | टीएचडीसी | यू-1 | 660 |
| | | | | यू-2 | 660 |
| 9 | लारा एसटीपीपी चरण-II | छत्तीसगढ़ | एनटीपीसी | यू-1 | 800 |
| | | | | यू-2 | 800 |
| | **उप-जोड़** | | | | **12720** |
| **राज्य क्षेत्र** | | | | | |
| 10 | एन्नोर एससीटीपीपी | तमिलनाडु | टैनजेडको | यू-1 | 660 |
| | | | | यू-2 | 660 |
| 11 | उत्तरी चेन्नई टीपीपी चरण-III | तमिलनाडु | टैनजेडको | यू-1 | 800 |
| 12 | उडानगुडी एसटीपीपी चरण । | तमिलनाडु | टैनजेडको | यू-1 | 660 |
| | | | | यू-2 | 660 |
| 13 | यदाद्री टीपीएस | तेलंगाना | टीएसजेनको | यू-1 | 800 |
| | | | | यू-2 | 800 |
| | | | | यू-3 | 800 |
| | | | | यू-4 | 800 |
| | | | | यू-5 | 800 |
| 14 | जवाहरपुर एसटीपीपी | उत्तर प्रदेश | यूपीआरवीयूएनएल | यू-1 | 660 |
| | | | | यू-2 | 660 |
| 15 | ओबरा-सी एसटीपीपी | उत्तर प्रदेश | यूपीआरवीयूएनएल | यू-1 | 660 |
| | | | | यू-2 | 660 |
| 16 | पनकी टीपीएस एक्सटेंशन। | उत्तर प्रदेश | यूपीआरवीयूएनएल | यू-1 | 660 |
| 17 | डॉ.नारला टाटा राव टीपीएस चरण-V | आंध्र प्रदेश | एपीजेनको | यू-8 | 800 |
| 18 | भुसावल टीपीएस | महाराष्ट्र | महाजेनको | यू-6 | 660 |
| 19 | सागरदिघी ताप विद्युत संयंत्र फेज-III | पश्चिम बंगाल | डब्ल्यूपीडीसीएल | यू-5 | 660 |
| | **उप-जोड़** | | | | **12860** |
| **निजी क्षेत्र** | | | | | |
| 20 | महान यूएससीटीपीपी फेज-II | मध्य प्रदेश | अदानी पावर | यू-1 | 800 |
| | | | | यू-2 | 800 |
| | **उप-जोड़** | | | | **1600** |
| | **कुल जोड़** | | | | **27180** |

**********

**अनुबंध-V**

**"विद्युत उत्पादन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 176 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।**

**********

**देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं और पम्प्ड भंडारण विद्युत परियोजना के ब्यौरे**

**दिनांक 30.11.2023 तक की स्थिति के अनुसार**

| कार्यान्वयन के अंतर्गत जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची - क्षेत्र-वार | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्रम सं.** | **परियोजना का नाम (कार्यकारी एजेंसी)** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **जिला** | **संस्थापित क्षमता (सं. X मेगावाट)** | **निष्पादन के अंतर्गत क्षमता (मेगावाट)** | **नदी/घाटी** |
| | **केंद्रीय क्षेत्र** | | | | | |
| 1 | सुबनसिरी लोअर (एनएचपीसी) | अरुणाचल प्रदेश/असम | लोअर सुबनसिरी, अरूणाचल प्रदेश | 8x250 | 2000.00 | सुबनसिरी/ब्रह्मपुत्र |
| 2 | पारबती चरण-II (एनएचपीसी) | हिमाचल प्रदेश | प्रदेश/धेमाजी, असम | 4x200 | 800.00 | पारबती/ब्यास/सिंधु |
| 3 | लुहरी-I (एसजेवीएन) | हिमाचल प्रदेश | कुल्लू | 2x80+2x25 | 210.00 | सतलुज/सिंधु |
| 4 | धौलासिद्ध (एसजेवीएन) | हिमाचल प्रदेश | कुल्लू/शिमला | 2x33 | 66.00 | ब्यास/सिंधु |
| 5 | पाकल दुल (सीवीपीपीएल) | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र | हमीरपुर/कांगड़ा | 4x250 | 1000.00 | मरुसादर/चिनाब/सिंधु |
| 6 | किरू (सीवीपीपीएल) | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र | किश्तवाड़ | 4x156 | 624.00 | चिनाब/सिंधु |
| 7 | तीस्ता चरण-VI एनएचपीसी | सिक्किम | दक्षिण सिक्किम | 4x125 | 500.00 | तीस्ता/ब्रह्मपुत्र |
| 8 | विष्णुगाड पीपलकोटी (टीएचडीसी) | उत्तराखंड | चमोली | 4x111 | 444.00 | अलकनंदा/गंगा |
| 9 | नैटवार मोरी (एसजेवीएनएल) | उत्तराखंड | उत्तरकाशी | 2x30 | 30.00 | टौंस/यमुना/गंगा |
| 10 | तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी) | उत्तराखंड | चमोली | 4x130 | 520.00 | धौलीगंगा / अलकनंदा और / गंगा |
| 11 | टेहरी पीएसएस (टीएचडीसी) | उत्तराखंड | टेहरी गढ़वाल | 4x250 | 1000.00 | भिलंगना/भागीरथी/ |
| 12 | रम्मम-III (एनटीपीसी) | पश्चिम बंगाल | दार्जिलिंग | 3x40 | 120.00 | रम्मम/रंगीत/तीस्ता ब्रह्मपुत्र |
| 13 | रंगित-IV (एनएचपीसी) | सिक्किम | पश्चिम सिक्किम | 3x40 | 120.00 | रंगीत/तीस्ता/ |
| 14 | रैटल (आरएचईपीपीएल/एनएचपीसी) | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र | किश्तवाड़ | 4x205 + 1x30 | 850.00 | ब्रह्मपुत्र |
| 15 | क्वार (सीवीपीपीपीएल) | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र | किश्तवाड़ | 4x135 | 540.00 | चिनाब/सिंधु |
| 16 | सुन्नी बांध (एसजेवीएन) | हिमाचल प्रदेश | शिमला/मंडी | 4x73+1x73+ 1x17 | 382.00 | सतलुज/सिंधु |
| 17 | दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (एनएचपीसी) | अरुणाचल प्रदेश | निचली दिबांग घाटी | 12x240 | 2880.00 | दिबांग/ब्रह्मपुत्र |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **उप-जोड़: केंद्रीय क्षेत्र** | | | | | **12086.00** | |
| | **राज्य क्षेत्र** | | | | | |
| 18 | पोलावरम (एपीजेनको/सिंचाई विभाग, आ.प्र.) | आंध्र प्रदेश | पूर्व एवं पश्चिम गोदावरी | 12x80 | 960.00 | गोदावरी/ईएफआर |
| 19 | निचला कोपली (एपीजीसीएल) | असम | दिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग | 2x55+2x2.5+1x5 | 120.00 | कोपिली/ब्रह्मपुत्र |
| 20 | उहल-III (बीवीपीसीएल) | हिमाचल प्रदेश | मंडी | 3x33.33 | 100.00 | उहल/ब्यास/सिंधु |
| 21 | शोंगटोंग करचम (एचपीपीसीएल) | हिमाचल प्रदेश | किन्नौर | 3x150 | 450.00 | सतलुज/सिंधु |
| 22 | परनाई (जेकेएसपीडीसी) | जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र | पूंछ | 3x12.5 | 37.50 | झेलम/सिंधु |
| 23 | पल्लीवासल (केएसईबी) | केरल | इडुक्की | 2x30 | 60.00 | मुदिरापुझा/पेरियार/बेपोर पेरियार/डब्ल्यूएफआर |
| 24 | थोट्टियार (केएसईबी) | केरल | इडुक्की | 1x30+1x10 | 40.00 | थोट्टियार/पेरियार//बेपोर पेरियार/डब्ल्यूएफआर |
| 25 | शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल/सिंचाई विभाग, पंजाब) | पंजाब | पठानकोट | 3x33+3x33+1x8 | 206.00 | रावी/सिंधु |
| 26 | कुंडाह पंप भंडारण चरण-I, II और III) | तमिलनाडु | नीलगिरी | 4x125 | 500.00 | कुंदह/भवानी/कावेरी/ईएफआर |
| 27 | चांजू-III (एचपीपीसीएल) | हिमाचल प्रदेश | चंबा | 3x16 | 48.00 | चांजू नाला |
| 28 | मंकुलम (केएसईबी) | केरल | इडुक्की | 2x20 | 40.00 | मेलाचेरी |
| 39 | लखवार बहुउद्देशीय परियोजना (यूजेवीएनएल) | उत्तराखंड | देहरादून एवं टेहरी गढ़वाल | 3x100 | 300.00 | यमुना |
| 30 | लोअर सिलेरु एक्सटेंशन (एपीजेनको) | आंध्र प्रदेश | अल्लूरी सीतामराजू | 2x115 | 230.00 | सिलेरू/गोदावरी |
| **उप-जोड़: राज्य क्षेत्र** | | | | | **3091.50** | |
| | **निजी क्षेत्र** | | | | | |
| 31 | टिडोंग-I (स्टेटक्राफ्ट आईपीएल) | हिमाचल प्रदेश | किन्नौर | 3x50 | 150.00 | टिडोंग/सतलुज/सिंधु |
| 32 | कुतेहर (जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड) | हिमाचल प्रदेश | चंबा | 3x80 | 240.00 | रावी/सिंधु |
| 33 | पिन्नापुरम (ग्रीनको एपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड) | आंध्र प्रदेश | कुरनूल | 4x240+2x120 | 1200.00 | पेन्नार बेसिन |
| **उप-जोड़: निजी क्षेत्र** | | | | | **1590.00** | |
| | **कुल:** | | | | **16767.50** | |

**********

**अनुबंध-VI**

**"विद्युत उत्पादन" के बारे में लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 176 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।**

**********

**देश में निर्माणाधीन परमाणु विद्युत परियोजना के ब्यौरे**

**दिनांक 30.11.2023 तक की स्थिति के अनुसार**

| **क्रम सं.** | **उत्पादक का नाम** | **विकासकर्ता** | **राज्य** | **संस्थापित क्षमता (मेगावाट)** |
|---|---|---|---|---|
| **निर्माणाधीन परियोजनाएं** | | | | |
| 1 | काकरापारा एपीएस यूनिट 4 | एनपीसीआईएल | गुजरात | 700 |
| 2 | कुडनकुलम यूनिट 3,4,5,6 | एनपीसीआईएल | तमिलनाडु | 4*1000=4000 |
| 3 | पीएफबीआर नई इकाई 1 | भाविनी | तमिलनाडु | 500 |
| 4 | राजस्थान एपीएस यूनिट 7-8 | एनपीसीआईएल | राजस्थान | 2*700=1400 |
| 5 | गोरखपुर यूनिट 1,2 | एनपीसीआईएल | हरियाणा | 2*700=1400 |
| **कुल** | | | | **8000** |

**********

**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-1848**

**जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया गया**

**फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिटों का प्रतिष्ठापन**

**1848. श्री गौरव गोगोई:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और झारखंड सहित पूर्वी क्षेत्र के किसी भी राज्य में वर्तमान में उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने वाला कोई ताप विद्युत संयंत्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा एसओ2 उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन (एफजीडी) इकाइयों की स्थापना का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि ताप विद्युत संयंत्रों में एफजीडी की संस्थापना के लिए राज्य-स्तरीय विनियामक निकायों द्वारा किए गए जमीनी निरीक्षणों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो ताप विद्युत संयंत्रों में एफजीडी की संस्थापना के लिए राज्य-स्तरीय विनियामक निकायों द्वारा किए गए जमीनी निरीक्षणों का ब्यौरा क्या है और वहां किए गए निरीक्षणों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार परिणाम क्या हैं?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) से (घ) :** सभी ताप विद्युत संयंत्रों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) द्वारा अधिसूचित उत्सर्जन मानदंडों और समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और झारखंड सहित पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में स्थित ताप विद्युत संयंत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) की दिनांक 05.09. 2022 की

अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों के उन्नयन और संस्थापना के विभिन्न चरणों में हैं।

सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन के लिए, ताप विद्युत संयंत्र फ़्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफ़जीडी) उपकरण संस्थापित कर रहे हैं, जिसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा निर्दिष्ट अनुपालन की समयसीमा (गैर-अभ्यर्पित इकाइयों के लिए) इस प्रकार है:

| **क्र.सं.** | **श्रेणी** | **स्थान/क्षेत्र** | **अनुपालन के लिए समयसीमा** |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रेणी क | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के 10 किमी के दायरे में या दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर (भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार) | 31 दिसंबर, 2024 तक |
| 2 | श्रेणी ख | गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या गैर-प्राप्ति शहरों (सीपीसीबी द्वारा परिभाषित) के 10 किमी के दायरे में | 31 दिसंबर, 2025 तक |
| 3 | श्रेणी ग | श्रेणी क और ख में शामिल क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्र | 31 दिसंबर, 2026 तक |

निर्दिष्ट समय सीमा के बाद गैर-अनुपालन के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अभ्यर्पित नहीं किए गए ताप विद्युत संयंत्रों पर निम्नलिखित पर्यावरण मुआवजा निर्धारित किया है:

| **समय-सीमा के बाद गैर-अनुपालक प्रचालन** | **पर्यावरणीय मुआवज़ा (रुपये प्रति यूनिट उत्पादित विद्युत)** |
|---|---|
| 0-180 दिन | 0.20 |
| 181-365 दिन | 0.30 |
| 366 दिन और उसके बाद | 0.40 |

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा राज्यों में उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन की निगरानी की जा रही है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा एफजीडी की संस्थापना की प्रगति की निगरानी में सीपीसीबी की सहायता करता है। एफजीडी संस्थापना के सभी चरणों जैसे कि, व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करने, व्यवहार्यता अध्ययन पूरा करने, निविदा विनिर्देशों को बनाने, एनआईटी जारी करने, बोलियां प्रदान करने और एफजीडी चालू करने के लिए यह निगरानी की जाती है। ताप विद्युत संयंत्रों के लिए SO2 उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करने की समय सीमा समाप्त नहीं हुई है।

**********

**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-1855**

**जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया गया**

**एसएलएनपी की प्रगति**

**1855. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार पांरपरिक स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइटों का उपयोग करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे पथ प्रकाश राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) की प्रगति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के पास देश में शत-प्रतिशत एलईडी स्ट्रीट लाइट के कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकारों के स्थानीय स्व-शासन की सहायता करने की पर्याप्त क्षमता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) और (ख) :** सरकार नियमित रूप से स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) की प्रगति की समीक्षा कर रही है।

स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) के अन्तर्गत, जिसे जनवरी, 2015 में पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को एलईडी स्ट्रीट लाइटों द्वारा प्रतिस्थापन को लक्षित करते हुए लॉन्च किया गया था, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने अब तक देश भर में लगभग 1.30 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं। स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थापित एलईडी स्ट्रीट लाइटों की राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र वार स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

**(ग) से (घ) :** एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो विद्युत मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है, जो देश में स्ट्रीट लाइटों की शत-प्रतिशत एलईडी कवरेज हासिल करने में स्थानीय स्व-शासन का समर्थन करने की अपेक्षित क्षमता रखता है, बशर्ते कि संबंधित स्थानीय स्व-शासन द्वारा देय राशियों का नियमित भुगतान किया जाए।

**********

**अनुबंध**

**लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1855 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

**********

एसएलएनपी कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में ईईएसएल द्वारा संस्थापित एलईडी स्ट्रीट लाइटों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति अनुबंध के रूप में है।

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | संस्थापित स्ट्रीट लाइट |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 29,47,706 |
| 2 | असम | 28,875 |
| 3 | बिहार | 5,75,922 |
| 4 | चंडीगढ़ | 46,882 |
| 5 | छत्तीसगढ | 3,81,199 |
| 6 | दिल्ली | 3,81,107 |
| 7 | गोवा | 2,07,183 |
| 8 | गुजरात | 9,03,519 |
| 9 | हरियाणा | 85,139 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 62,982 |
| 11 | जम्मू एवं कश्मीर | 1,75,022 |
| 12 | झारखंड | 5,34,356 |
| 13 | कर्नाटक | 13,226 |
| 14 | केरल | 4,33,979 |
| 15 | लक्षद्वीप | 1,000 |
| 16 | मध्य प्रदेश | 2,95,417 |
| 17 | महाराष्ट्र | 11,05,231 |
| 18 | ओडिशा | 3,53,808 |
| 19 | पुद्दुचेरी | 1,520 |
| 20 | पोर्ट ब्लेयर | 14,995 |
| 21 | पंजाब | 1,28,855 |
| 22 | राजस्थान | 10,73,238 |
| 23 | सिक्किम | 1,073 |
| 24 | तमिलनाडु | 7,876 |
| 25 | तेलंगाना | 16,82,878 |
| 26 | त्रिपुरा | 76,426 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 12,90,949 |
| 28 | उत्तराखंड | 1,30,338 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 93,532 |
| **कुल जोड़** | | **1,30,34,233** |

******

**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-1857**

**जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया गया**

**विद्युत की बढ़ती मांग**

**1857. एडवोकेट अदूर प्रकाश:**

**श्री चंद्रशेखर साहू:**

**डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:**

**श्री राहुल रमेश शेवाले:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तापीय ऊर्जा तब तक प्रासंगिक बनी रहती है जब तक कि नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से चौबीसों घंटे आपूर्ति के लिए ऊर्जा भंडारण किफायती नहीं हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना का ब्यौरा क्या है और देश में 2031-32 तक विद्युत की अपेक्षित मांग और प्रत्येक स्त्रोत से विद्युत के योजनाबद्ध उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार तीव्र आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप बढ़ती विद्युत मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2031-32 तक 80 गीगावाट ताप विद्युत क्षमता और बढ़ाने का है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से मौजूदा ताप विद्युत क्षमता की उपलब्धता सुनिश्चित करने और ताप विद्युत संयंत्रों का समय पर नवीकरण और आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर विशेषकर महाराष्ट्र और ओडिशा की राज्य सरकारों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या प्रतिक्रिया है;

(च) विभिन्न राज्यों विशेषकर ओडिशा और महाराष्ट्र की मौजूदा ताप विद्युत क्षमता कितनी है; और

(छ) राष्ट्र के विकास के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) और (ख) :** देश को अपने आर्थिक विकास के लिए 24x7 विद्युत की उपलब्धता चाहिए। देश की ऊर्जा संबंधी सुरक्षा केवल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से नहीं की जा सकती क्योंकि सौर ऊर्जा चौबीसों घंटे उपलब्ध नहीं होती और पवन ऊर्जा प्राकृतिक रूप से अनियमित होती है। अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, हमें अपनी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे कि चौबीसों घंटे विद्युत सुलभ हो सके। साथ ही, बड़े पैमाने पर विविध तथा अनियमित नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को ग्रिड के साथ मिलाने के लिए विद्युत स्रोतों की आवश्यकता है जो बेस लोड के रूप में कार्य कर सकते हैं और ग्रिड स्थिरता के लिए ग्रिड को संतुलित कर सकते हैं। अतः, कोयला आधारित उत्पादन पर संभवतः तब तक निर्भरता बनी रहेगी जब तक लागत प्रभावी ऊर्जा भंडारण समाधान उपलब्ध नहीं होते हैं।

देश की विद्युत संबंधी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि हमने 2.86 करोड़ नए उपभोक्ता जोड़े हैं और हमारी अर्थव्यवस्था तीव्रतापूर्वक विकसित हो रही है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान व्यस्ततम मांग 135000 मेगावाट थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष (नवंबर, 2023 तक) में व्यस्ततम मांग बढ़कर 243000 मेगावाट हो गई है।

20वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण (ईपीएस) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में परिनियोजित व्यस्ततम मांग 277200 मेगावाट होगी और वित्तीय वर्ष 2031-32 में 366400 मेगावाट होगी।

राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2031-32 के लिए संस्थापित क्षमता आवश्यकता संभवतः 900,422 मेगावाट होगी जिसमें जीवाश्म - आधारित क्षमता 2,84,467 मेगावाट (कोयला एवं लिग्नाइट- 259,643 मेगावाट, गैस- 24,824 मेगावाट) और गैर-जीवाश्म - आधारित क्षमता 6,15,955 मेगावाट (न्यूक्लियर-19,680 मेगावाट, बृहत् जल विद्युत- 62,178 मेगावाट, सौर- 364,566 मेगावाट, पवन-121,895 मेगावाट, लघु जल विद्युत-5450 मेगावाट, बायोमास-15,500 मेगावाट, पीएसपी-26,686 मेगावाट) के साथ-साथ बीईएसएस क्षमता-47,244 मेगावाट/236,220 एमडब्ल्यूएच) होगी।

**(ग) :** सीईए द्वारा किए गए उत्पादन नियोजन अध्ययनों के अनुसार, 214000 मेगावाट की वर्तमान संस्थापित क्षमता की तुलना में वित्तीय वर्ष 2032 में कोयला आधारित संस्थापित क्षमता 283000 मेगावाट हो जाएगी।

वर्ष 2032 तक 283000 मेगावाट की कोयला/लिग्नाइट आधारित आवश्यक परियोजित क्षमता हासिल करने के लिए, 80000 मेगावाट की कोयला एवं लिग्नाइट आधारित अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने हेतु योजना बनाई गई है। इस आवश्यकता के मद्देनजर, 27180 मेगावाट निर्माणाधीन है, 31010 मेगावाट नियोजन/विकास के अग्रणीय स्तर पर हैं, और 29720 मेगावाट हासिल करने के लिए वर्ष 2031-32 तक न्यूनतम 80000 मेगावाट की कोयला आधारित क्षमता अभिवर्धन का लक्ष्य हासिल करने के लिए विकास प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

**(घ) और (ङ) :** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने अगस्त, 2023 में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के आर एंड एम और एलई (लाईफ एक्सटेंशन) के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है और इसे विद्युत मंत्रालय द्वारा सभी विद्युत यूटिलिटियों को प्रसारित किया गया है, जिसमें सीईए ने 38150 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 148 इकाइयों की पहचान की है। 148 इकाइयों में आरएंडएम/एलई के कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध योजना केंद्रीय, राज्य और निजी विद्युत यूटिलिटियों के परामर्श से तैयार की गई थी।

इसके अतिरिक्त, सीईए ने दिनांक 20.01.2023 और दिनांक 07.07.2023 के पत्रों के माध्यम से सभी ताप विद्युत यूटिलिटियों को वर्ष 2030 से पहले अपने कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों को रिटायर अथवा उनका पुनर्उपयोग न करने तथा भविष्य में अपेक्षित ऊर्जा मांग परिदृश्य और क्षमता की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, यदि आवश्यक हो, तो आर एंड एम गतिविधियां करने के बाद थर्मल इकाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऍडवायजरी जारी की।

**(च) :** कुल संस्थापित तापीय क्षमता (कोयला और लिग्नाइट, गैस और डीजल) 2,39,072 मेगावाट है जिसमें ओडिशा (9540 मेगावाट) और महाराष्ट्र (27063 मेगावाट) शामिल हैं। एक विस्तृत सूची **अनुबंध** में दी गई है।

**(छ) :** राष्ट्र के विकास के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष 2023-32 के बीच अनुमानित क्षमता वृद्धि नीचे दी गई है:

- 27180 मेगावाट की तापीय क्षमता निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित तापीय क्षमता अभिवर्धन 87910 मेगावाट होने की संभावना है।
- 18033.5 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता (रुकी हुई परियोजनाओं सहित) निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित जल विद्युत क्षमता अभिवर्धन 42014 मेगावाट होने की संभावना है।
- 8000 मेगावाट की परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित न्यूक्लियर क्षमता अभिवर्धन 12200 मेगावाट होने की संभावना है।
- 78935 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-32 तक अनुमानित आरई क्षमता अभिवर्धन 375279 मेगावाट होगी।

इस प्रकार, कुल 132148.5 मेगावाट क्षमता निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित क्षमता अभिवर्धन 517403 मेगावाट होने की संभावना है।

**********

**अनुबंध-I**

**लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1857 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

**********

| दिनांक 31.10.2023 तक ताप विद्युत संयंत्र (कोयला तथा लिग्नाइट, गैस तथा डीजल) की राज्य-वार सूची | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **क्रम सं.** | **दिनांक 31.10.2023 तक ताप विद्युत संयंत्रों की राज्य-वार सूची** | **उपयोग किया जाने वाली ईंधन** | **संगठन** | **परियोजना का नाम** | **क्षमता (मेगावाट)** |
| 1 | **अंडमान और निकोबार** | डीजल | एएंडएन एडीएम | अंडमान निकोबार डीजी | 57.52 |
| 2 | | | | अंडमान निकोबार प्राइवेट डीजी | 35.19 |
| | **अंडमान एवं निकोबार कुल** | | | | **92.71** |
| 3 | **आंध्र प्रदेश** | कोयला | एनटीपीसी | सिम्हाद्री | 2000.00 |
| 4 | | | एपीजेनको | डॉ. एन. टाटा राव टी.पी.एस | 1760.00 |
| 5 | | | | रायलसीमा टीपीएस | 1650.00 |
| 6 | | | एपीपीडीसीएल | दामोदरम संजीवैया टीपीएस | 2400.00 |
| 7 | | | एचएनपीसी | विजाग टीपीपी | 1040.00 |
| 8 | | | एमईएल | थम्मिनापट्टनम टीपीएस | 300.00 |
| 9 | | | एसईआईएल | पेनमपुरम टीपीपी | 1320.00 |
| 10 | | | | एसजीपीएल टीपीपी | 1320.00 |
| 11 | | | एसईपीएल | सिंहपुरी टीपीएस | 600.00 |
| 12 | | गैस | एपीईपीडीसीएल | जेगुरुपाडु सीसीपीपी फेज-I | 235.40 |
| 13 | | | एपीजीपीसीएल | विजयेश्वरम सीसीपीपी | 272.00 |
| 14 | | | बीएसईएस एपी | पेद्दापुरम सीसीपीपी | 220.00 |
| 15 | | | गौतमी | गौतमी सीसीपीपी | 464.00 |
| 16 | | | जीएमआर एनर्जी | जीएमआर एनर्जी लिमिटेड - काकीनाडा | 220.00 |
| 17 | | | जीआरईएल | जीआरईएल सीसीपीपी (राजमुंदरी) | 768.00 |
| 18 | | | जीवीकेपी एवं आईएल | जेगुरुपाडु सीसीपीपी फेज-II | 220.00 |
| 19 | | | कोना | कोनासीमा सीसीपीपी | 445.00 |
| 20 | | | कोंडापाली | कोंडापल्ली सीसीपीपी | 368.14 |
| 21 | | | | कोंडापल्ली एक्सटेंशन सीसीपीपी | 366.00 |
| 22 | | | | कोंडापल्ली एसटी-3 सीसीपीपी | 742.00 |
| 23 | | | एसपीजीएल | गोदावरी सीसीपीपी | 208.00 |
| 24 | | | वेमागिरि | वेमागिरी सीसीपीपी | 370.00 |
| 25 | | डीजल | एलवीएस पावर | एलवीएस पावर डीजी | 36.80 |
| | **आंध्र प्रदेश कुल** | | | | **17325.34** |
| 26 | **असम** | कोयला | एनटीपीसी | बोंगाईगांव टीपीपी | 750.00 |
| 27 | | गैस | एपीजीसीएल | लकवा जी.टी | 97.20 |
| 28 | | | | लकवा प्रतिस्थापन विद्युत परियोजना | 69.76 |
| 29 | | | | नामरूप सीसीपीपी | 139.40 |
| 30 | | | नीपको | कथालगुरी सीसीपीपी | 291.00 |
| | **असम कुल** | | | | **1347.36** |
| 31 | **बिहार** | कोयला | एनटीपीसी | बरौनी टीपीएस | 710.00 |
| 32 | | | | बाढ़ I | 1320.00 |
| 33 | | | | बाढ़ II | 1320.00 |
| 34 | | | | कहलगांव टीपीएस | 2340.00 |
| 35 | | | बीआरबीसीएल | नबीनगर टीपीपी | 1000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | | के.बी.यू.एन.एल | मुजफ्फरपुर टीपीएस | 390.00 |
| 37 | | | एनपीजीसीएल | नबीनगर एसटीपीपी | 1980.00 |
| | **बिहार कुल** | | | | **9060.00** |
| 38 | **छत्तीसगढ़** | | | कोरबा एसटीपीएस | 2600.00 |
| 39 | | | एनटीपीसी | लारा टीपीपी | 1600.00 |
| 40 | | | | सीपत एसटीपीएस | 2980.00 |
| 41 | | | एनएसपीसीएल | भिलाई टीपीएस | 500.00 |
| 42 | | | एसीबी | चाकाबुरा टीपीपी | 30.00 |
| 43 | | | | कसाईपल्ली टीपीपी | 270.00 |
| 44 | | | | स्वास्तिक कोरबा टीपीपी | 25.00 |
| 45 | | | एपीएल | अदानी पावर लिमिटेड रायगढ़ टीपीपी | 600.00 |
| 46 | | | | अदानी पावर लिमिटेड रायपुर टीपीपी | 1370.00 |
| 47 | | | बाल्को | बाल्को टी.पी.एस | 600.00 |
| 48 | | | सीएसपीजीसीएल | डीएसपीएम टीपीएस | 500.00 |
| 49 | | | | कोरबा-वेस्ट टीपीएस | 1340.00 |
| 50 | | कोयला | | मारवा टीपीएस | 1000.00 |
| 51 | | | डीबीपीसीएल | बारादरहा टीपीएस | 1200.00 |
| 52 | | | जेपीएल | ओपी जिंदल टीपीएस | 1000.00 |
| 53 | | | | तमनार टीपीपी | 2400.00 |
| 54 | | | लैंको | पथडी टीपीपी | 600.00 |
| 55 | | | एमसीसीपीएल | बंदाखार टीपीपी | 300.00 |
| 56 | | | आरकेएमपीपीएल | उचपिंडा टीपीपी | 1440.00 |
| 57 | | | एससीपीएल | रतिजा टीपीएस | 100.00 |
| 58 | | | एसकेएस | बिंजकोटे टीपीपी | 600.00 |
| 59 | | | एसवीपीपीएल | एसवीपीएल टीपीपी | 63.00 |
| 60 | | | टीआरएनई | नवापारा टीपीपी | 600.00 |
| 61 | | | वीईएसपीएल | कटघोरा टीपीपी | 35.00 |
| 62 | | | वीवीएल | सलोरा टीपीपी | 135.00 |
| 63 | | | डब्ल्यूपीसीएल | अकलतरा टीपीएस | 1800.00 |
| | **छत्तीसगढ़ कुल** | | | | **23688.00** |
| 64 | **दिल्ली** | | आईपीजीसीएल | आई.पी.सीसीपीपी | 270.00 |
| 65 | | गैस | पीपीसीएल | प्रगति सीसीजीटी-III | 1500.00 |
| 66 | | | | प्रगति सीसीपीपी | 330.40 |
| 67 | | | टीपीडीडीएल | रिठाला सीसीपीपी | 108.00 |
| | **दिल्ली कुल** | | | | **2208.40** |
| 68 | **गोवा** | गैस | रिलायंस | गोवा सीसीपीपी (लिक्व.) | 48.00 |
| | **गोवा कुल** | | | | **48.00** |
| 69 | **गुजरात** | | जीएसईसीएल | गांधी नगर टीपीएस | 630.00 |
| 70 | | | | सिक्का प्रतिनिधि. टी पी एस | 500.00 |
| 71 | | | | यूकेएआई टीपीएस | 1110.00 |
| 72 | | | | वानाकबोरी टी.पी.एस | 2270.00 |
| 73 | | कोयला | एपीएल | अदानी पावर लिमिटेड मुंद्रा टीपीपी - I और II | 2640.00 |
| 74 | | | | अदानी पावर लिमिटेड मुंद्रा टीपीपी - III | 1980.00 |
| 75 | | | सीजीपीएल | मुंद्रा यूएमटीपीपी | 4000.00 |
| 76 | | | ईपीजीएल | सलाया टीपीपी | 1200.00 |
| 77 | | | टोरेंट पावर (यूएनओसुजेन) | साबरमती (डी-एफ स्टेशन) | 362.00 |
| 78 | | लिग्नाइट | जीएसईसीएल | भावनगर सीएफबीसी टीपीपी | 500.00 |
| 79 | | | | कच्छ लिग्नाइट टीपीएस | 150.00 |
| 80 | | | जीआईपीसीएल | सूरत लिग्नाइट टीपीएस | 500.00 |
| 81 | | | जीएमडीसीएल | अक्रिमोटा एलआईजी टीपीएस | 250.00 |
| 82 | | गैस | एनटीपीसी | गांधार सीसीपीपी | 657.39 |
| 83 | | | | कवास सीसीपीपी | 656.20 |
| 84 | | | जीएसईसीएल | धुवर्ण सीसीपीपी | 594.72 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | | | | उतरन सीसीपीपी | 374.00 |
| 86 | | | | हजीरा सीसीपीपी | 156.10 |
| 87 | | | | हजीरा सीसीपीपी एक्सटेंशन | 351.00 |
| 88 | | | सीएलपीइंडिया | पेगुथन सीसीपीपी | 655.00 |
| 89 | | | एस्सार | एस्सार सीसीपीपी | 515.00 |
| 90 | | | जीआईपीसीएल | बड़ौदा सीसीपीपी | 160.00 |
| 91 | | | जीपीपीसीएल | पीपावाव सीसीपीपी | 702.00 |
| 92 | | | टोरेंट पावर (सुजेन) | सुजेन सीसीपीपी | 1147.50 |
| 93 | | | टोरेंट पावर (यूएनओसुजेन) | डीजीईएन मेगा सीसीपीपी | 1200.00 |
| 94 | | | | यूनोसुजेन सीसीपीपी | 382.50 |
| | **गुजरात कुल** | | | | **23643.41** |
| 95 | **हरियाणा** | | एपीसीपीएल | इंदिरा गांधी एसटीपीपी | 1500.00 |
| 96 | | | एचपीजीसीएल | पानीपत टीपीएस | 710.00 |
| 97 | | कोयला | | राजीव गांधी टीपीएस | 1200.00 |
| 98 | | | | यमुनानगर टीपीएस | 600.00 |
| 99 | | | जेएचपीएल (एचआर) | महात्मा गांधी टी.पी.एस | 1320.00 |
| 100 | | गैस | एनटीपीसी | फ़रीदाबाद सीसीपीपी | 431.59 |
| | **हरियाणा कुल** | | | | **5761.59** |
| 101 | **जम्मू एवं कश्मीर** | गैस | जेकेएसपीडीसी | पंपोर जीपीएस (लिक्व) | 175.00 |
| | **जम्मू एवं कश्मीर कुल** | | | | **175.00** |
| 102 | **झारखंड** | | आधुनिक | महादेव प्रसाद एसटीपीपी | 540.00 |
| 103 | | | डीवीसी | बोकारो टीपीएस `ए` ऍक्स्प | 500.00 |
| 104 | | | | चंद्रपुरा (डीवीसी) टीपीएस | 500.00 |
| 105 | | कोयला | | कोडरमा टीपीपी | 1000.00 |
| 106 | | | एमपीएल | मैथन आरबी टीपीपी | 1050.00 |
| 107 | | | एनटीपीसी | उत्तरी करणपुरा एसटीपीपी | 660.00 |
| 108 | | | टाटा पीसीएल | जोजोबेरा टी.पी.एस | 240.00 |
| 109 | | | टीवीएनएल | तेनुघाट टीपीएस | 420.00 |
| | **झारखंड़ कुल** | | | | **4910.00** |
| 110 | **कर्नाटक** | | एनटीपीसी | कुडगी एसटीपीपी | 2400.00 |
| 111 | | | केपीसीएल | बेल्लारी टीपीएस | 1700.00 |
| 112 | | | | रायचूर टीपीएस | 1720.00 |
| 113 | | कोयला | एपीएल | अदानी पावर लिमिटेड उडुपी टीपीपी | 1200.00 |
| 114 | | | जेएसडब्ल्यूईएल | तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-I) | 260.00 |
| 115 | | | | तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-II) | 600.00 |
| 116 | | | आरपीसीएल | यरमरस टीपीपी | 1600.00 |
| 117 | | डीजल | बेल्लारी | बेल्लारी डीजी | 25.20 |
| | **कर्नाटक कुल** | | | | **9505.20** |
| 118 | **केरल** | गैस | एनटीपीसी | आर. गांधी सीसीपीपी (लिक.) | 359.58 |
| 119 | | | बीएसईएस(सी) | कोचीन सीसीपीपी (लिक्व.) | 174.00 |
| 120 | | डीजल | केएसईबी | ब्रम्हापुरम डीजी | 63.96 |
| 121 | | | | कोझिकोड डीजी | 96.00 |
| | **केरल कुल** | | | | **693.54** |
| 122 | **लक्ष्यद्वीप** | डीजल | ईडी, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र | लक्षद्वीप डीजी | 26.83 |
| | **लक्ष्यद्वीप कुल** | | | | **26.83** |
| 123 | **मध्य प्रदेश** | | एनटीपीसी | गाडरवारा टीपीपी | 1600.00 |
| 124 | | | | खरगोन एसटीपीपी | 1320.00 |
| 125 | | | | विंध्याचल एसटीपीएस | 4760.00 |
| 126 | | कोयला | एमपीपीजीसीएल | अमरकंटक एक्सटेंशन टीपीएस | 210.00 |
| 127 | | | | संजय गांधी टीपीएस | 1340.00 |
| 128 | | | | सतपुड़ा टीपीएस | 1330.00 |
| 129 | | | | श्री सिंगाजी टीपीपी | 2520.00 |
| 130 | | | बीएलएपीपीएल | निवाड़ी टीपीपी | 90.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | | | ईएसएसएआरपीपीएमपीएल | महान टीपीपी | 1200.00 |
| 132 | | | जेएचएपीएल | सिवनी टीपीपी | 600.00 |
| 133 | | | जेपीपीवीएल | बीना टीपीएस | 500.00 |
| 134 | | | | निगरी टीपीपी | 1320.00 |
| 135 | | | एमबीपीएमपीएल | अनुपपुर टीपीपी | 1250.00 |
| 136 | | | एसपीएल | सासन यूएमटीपीपी | 3960.00 |
| | **मध्य प्रदेश कुल** | | | | **22000.00** |
| 137 | | | एनटीपीसी | मौदा टीपीएस | 2320.00 |
| 138 | | | | सोलापुर एसटीपीएस | 1320.00 |
| 139 | | | महाजेनको | भुसावल टीपीएस | 1210.00 |
| 140 | | | | चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस | 2920.00 |
| 141 | | | | खापरखेड़ा टीपीएस | 1340.00 |
| 142 | | | | कोराडी टीपीएस | 2190.00 |
| 143 | | | | नासिक टीपीएस | 630.00 |
| 144 | | | | पारस टीपीएस | 500.00 |
| 145 | | | | परली टीपीएस | 750.00 |
| 146 | | | एईएमएल | दहानू टीपीएस | 500.00 |
| 147 | | | एपीएल | अदानी पावर लिमिटेड तिरोदा टीपीपी | 3300.00 |
| 148 | | कोयला | डीआईएल | धारीवाल टीपीपी | 600.00 |
| 149 | | | जीईपीएल | जीईपीएल टीपीपी पीएच-I | 120.00 |
| 150 | **महाराष्ट्र** | | जीएमआर एनर्जी | जीएमआर वरोरा टीपीएस | 600.00 |
| 151 | | | आईईपीएल | बेला टीपीएस | 270.00 |
| 152 | | | जेएसडब्ल्यूईएल | जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी | 300.00 |
| 153 | | | रतन इंडिया | अमरावती टीपीएस | 1350.00 |
| 154 | | | आरपीजीपीएल | मिहान टीपीएस | 246.00 |
| 155 | | | एसपीपीएल | शिरपुर टीपीपी | 150.00 |
| 156 | | | एसटीपीएल | नासिक (पी) टीपीएस | 1350.00 |
| 157 | | | टाटा पीसीएल | ट्रॉम्बे टीपीएस | 750.00 |
| 158 | | | वीआईपी | बुटीबोरी टीपीपी | 600.00 |
| 159 | | | डब्ल्यूपीसीएल | वर्धा वरोरा टीपीपी | 540.00 |
| 160 | | गैस | महाजेनको | उरण सीसीपीपी | 672.00 |
| 161 | | | पीजीपीएल | मनगांव सीसीपीपी | 388.00 |
| 162 | | | आरजीपीपीएल | रत्नागिरी सीसीपीपी | 1967.08 |
| 163 | | | टाटा पीसीएल | ट्रॉम्बे सीसीपीपी | 180.00 |
| | **महाराष्ट्र कुल** | | | | **27063.08** |
| 164 | **मणिपुर** | डीजल | ईडी, मणिपुर | लीमाखोंग डीजी | 36.00 |
| | **मणिपुर कुल** | | | | **36.00** |
| 165 | **ओडिशा** | | एनटीपीसी | दरलीपाली एसटीपीएस | 1600.00 |
| 166 | | | | तालचेर एसटीपीएस | 3000.00 |
| 167 | | | ओपीजीसी | आईबी वैली टीपीएस | 1740.00 |
| 168 | | कोयला | जीएमआर एनर्जी | कमलांगा टीपीएस | 1050.00 |
| 169 | | | आईबीपीआईएल | उत्कल टीपीपी (इंड बाराथ) | 350.00 |
| 170 | | | जेआईटीपीएल | डेरंग टीपीपी | 1200.00 |
| 171 | | | वेदान्ता | वेदांता टीपीपी | 600.00 |
| | **ओडिशा कुल** | | | | **9540.00** |
| 172 | **पुद्दुचेरी** | गैस | पी एंड ईडी, पुद्दु | कराइकाल सीसीपीपी | 32.50 |
| | **कुल पुडुचेरी** | | | | **32.50** |
| 173 | **पंजाब** | | जीपीजीएसएल (जीवीके) | गोइंदवाल साहिब टीपीपी | 540.00 |
| 174 | | | एनपीएल | राजपुरा टीपीपी | 1400.00 |
| 175 | | कोयला | पीएसपीसीएल | गह टप्स (एलईएच. एमओएच.) | 920.00 |
| 176 | | | | रोपर टीपीएस | 840.00 |
| 177 | | | टीएसपीएल | तलवंडी सबो टीपीपी | 1980.00 |
| | **कुल पंजाब** | | | | **5680.00** |
| 178 | **राजस्थान** | कोयला | आरआरवीयूएनएल | छबड़ा-I पाह-1 टीपीपी | 500.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | | | | छाबड़ा-I पाह-2 टीपीपी | 500.00 |
| 180 | | | | छाबड़ा-II टीपीपी | 1320.00 |
| 181 | | | | कालीसिंध टीपीएस | 1200.00 |
| 182 | | | | कोटा टीपीएस | 1240.00 |
| 183 | | | | सूरतगढ़ एसटीपीएस | 1320.00 |
| 184 | | | | सूरतगढ़ टीपीएस | 1500.00 |
| 185 | | | एपीएल | अदानी पावर लिमिटेड कवाईटीपीपी | 1320.00 |
| 186 | | | एससीएल | श्री सीमेंट एलटीडी टीपीएस | 300.00 |
| 187 | | लिग्नाईट | जेएसडब्ल्यूबीएल | जालिपा कपूरड़ी टीपीपी | 1080.00 |
| 188 | | | एनएलसी | बरसिंगसर लिग्नाइट | 250.00 |
| 189 | | | आरआरवीयूएनएल | गिरल टीपीएस | 250.00 |
| 190 | | गैस | एनटीपीसी | अंता सीसीपीपी | 419.33 |
| 191 | | | आरआरवीयूएनएल | धोलपुर सीसीपीपी | 330.00 |
| 192 | | | | रामगढ सीसीपीपी | 273.50 |
| | **कुल राजस्थान** | | | | **11802.83** |
| 193 | **तमिलनाडु** | कोयला | एनटीईसीएल | वल्लूर टीपीपी | 1500.00 |
| 194 | | | टेनजेडको | मेट्टूर टी.पी.एस | 840.00 |
| 195 | | | | मेट्टूर टीपीएस-II | 600.00 |
| 196 | | | | उत्तरी चेन्नई टी.पी.एस | 1830.00 |
| 197 | | | | तूतीकोरिन टीपीएस | 1050.00 |
| 198 | | | सीईपीएल | मुथियारा टीपीपी | 1200.00 |
| 199 | | | आईबीपीआईएल | तूतीकोरिन (पी) टीपीपी | 300.00 |
| 200 | | | आईटीपीसीएल | आईटीपीसीएल टीपीपी | 1200.00 |
| 201 | | | एनटीपीएल | एनटीपीएल तूतीकोरिन टीपीपी | 1000.00 |
| 202 | | | एसपीपीएल | तूतीकोरिन टीपीपी एसटी-IV | 525.00 |
| 203 | | लिग्नाईट | एनएलसी | नेवेली (विस्तार) टीपीएस | 420.00 |
| 204 | | | | नेवेली न्यू टीपीपी | 1000.00 |
| 205 | | | | नेवेली टीपीएस-II | 1470.00 |
| 206 | | | | नेवेली टीपीएस-II ऍक्स्प | 500.00 |
| 207 | | | एसटी-सीएमएसईसीपी | नेवेली टीपीएस(जेड) | 250.00 |
| 208 | | गैस | टेनजेडको | बेसिन ब्रिज जीटी (एलआईक्यू.) | 120.00 |
| 209 | | | | कोविकलपाल सीसीपीपी | 107.88 |
| 210 | | | | कुट्टलम सीसीपीपी | 100.00 |
| 211 | | | | नारीमनम जीपीएस | 10.00 |
| 212 | | | | वलुथुर सीसीपीपी | 186.20 |
| 213 | | | अबान शक्ति | करूप्पुर सीसीपीपी | 119.80 |
| 214 | | | पेन्ना | वैलेंटार्वी सीसीपीपी | 52.80 |
| 215 | | | पीपीएनजीसीएल | पी. नल्लूर सीसीपीपी | 330.50 |
| 216 | | डीज़ल | मदुराई पी | समयनल्लूर डीजी | 106.00 |
| 217 | | | सामलपति | सामलपट्टी डीजी | 105.70 |
| | **कुल तमिलनाडु** | | | | **14923.88** |
| 218 | **तेलंगाना** | कोयला | एनटीपीसी | रामागुंडेम एसटीपीएस | 2600.00 |
| 219 | | | | तेलंगाना एसटीपीपी पीएच-1 | 800.00 |
| 220 | | | एससीसीएल | सिंगरेनी टीपीपी | 1200.00 |
| 221 | | | टीएसजेनको | भद्राद्रि टीपीपी | 1080.00 |
| 222 | | | | काकतीय टीपीएस | 1100.00 |
| 223 | | | | कोठेगुडेम टीपीएस (न्यू) | 1000.00 |
| 224 | | कोयला | | कोठेगुडेम टीपीएस (चरण-7) | 800.00 |
| 225 | | | | रामागुंडेम-बी टीपीएस | 62.50 |
| | **कुल तेलंगाना** | | | | **8642.50** |
| 226 | **त्रिपुरा** | गैस | नीपको | अगरतला जी.टी | 135.00 |
| 227 | | | | मोनार्चक सीसीपीपी | 101.00 |
| 228 | | | ओएनजीसी | त्रिपुरा सीसीपीपी | 726.60 |
| 229 | | | टीएसईसीएल | बारामुरा जी.टी | 42.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | | | | रोखिया जी.टी | 63.00 |
| | **कुल त्रिपुरा** | | | | **1067.60** |
| 231 | **उत्तर प्रदेश** | कोयला | एनटीपीसी | दादरी (एनसीटीपीपी) | 1820.00 |
| 232 | | | | रिहन्द एसटीपीएस | 3000.00 |
| 233 | | | | सिंगरौली एसटीपीएस | 2000.00 |
| 234 | | | | टांडा टीपीएस | 1760.00 |
| 235 | | | | ऊँचाहार टीपीएस | 1550.00 |
| 236 | | | यूपीआरवीयूएनएल | अनपरा टीपीएस | 2630.00 |
| 237 | | | | हरदुआगंज टीपीएस | 1265.00 |
| 238 | | | यूपीआरवीयूएनएल | ओबरा टीपीएस | 1000.00 |
| 239 | | | | परीछा टीपीएस | 920.00 |
| 240 | | | बीईपीएल | बरहेरा टीपीएस | 90.00 |
| 241 | | | | हंबरखेड़ा टीपीएस | 90.00 |
| 242 | | | | कुंदरकी टीपीएस | 90.00 |
| 243 | | | | मकसूदपुर टीपीएस | 90.00 |
| 244 | | | | उतरौला टीपीएस | 90.00 |
| 245 | | | एलएपीपीएल | अनपरा सी टीपीएस | 1200.00 |
| 246 | | | एलपीजीसीएल | ललितपुर टीपीएस | 1980.00 |
| 247 | | | एमयूएनपीएल | मेजा एसटीपीपी | 1320.00 |
| 248 | | | पीपीजीसीएल (जेपी) | प्रयागराज टीपीपी | 1980.00 |
| 249 | | | आरपीएससीएल | रोजा टीपीपी पीएच-I | 1200.00 |
| 250 | | गैस | एनटीपीसी | औरैया सीसीपीपी | 663.36 |
| 251 | | | | दादरी सीसीपीपी | 829.78 |
| | **कुल उत्तर प्रदेश** | | | | **25568.14** |
| 252 | **उत्तराखंड** | गैस | जीआईपीएल | गामा सीसीपीपी | 225.00 |
| 253 | | | एसईपीएल | श्रावंती सीसीपीपी | 439.00 |
| | **कुल उत्तराखंड** | | | | **664.00** |
| 254 | **पश्चिम बंगाल** | कोयला | एनटीपीसी | फरक्का एसटीपीएस | 2100.00 |
| 255 | | | डीवीसी | दुर्गापुर स्टील टीपीएस | 1000.00 |
| 256 | | | | मेजिया टीपीएस | 2340.00 |
| 257 | | | | रघुनाथपुर टीपीएस | 1200.00 |
| 258 | | | डब्ल्यूबीपीडीसी | बकरेश्वर टीपीएस | 1050.00 |
| 259 | | | | बैंडेल टीपीएस | 270.00 |
| 260 | | | | कोलाघाट टीपीएस | 840.00 |
| 261 | | | | सागरदिघी टीपीएस | 1600.00 |
| 262 | | | | संतालडीह टीपीएस | 500.00 |
| 263 | | | सीईएससी | बज बज टीपीएस | 750.00 |
| 264 | | | | दक्षिणी आरईपीएल टीपीएस | 135.00 |
| 265 | | | | टीटागढ़ टीपीएस | 240.00 |
| 266 | | | डीपीएल | डी.पी.एल. टीपीएस | 550.00 |
| 267 | | | डीपीएससीएलटीडी | दिशेरगढ़ टीपीएस | 12.00 |
| 268 | | | एचईएल | हल्दिया टीपीपी | 600.00 |
| 269 | | | एचएमईएल | हिरण्मये टीपीपी | 300.00 |
| 270 | | गैस | डब्ल्यूबीपीडीसी | हल्दिया जीटी (लिक्व) | 40.00 |
| 271 | | | | कसबा जीटी (लिक्व) | 40.00 |
| | **कुल पश्चिम बंगाल** | | | | **13567.00** |
| | **कुल जोड़** | | | | **239072.91** |

**********

**भारत सरकार**
**विद्युत मंत्रालय**
**....**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या-1871**
**जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया गया**

**ऊर्जा परिवर्तन समिति का गठन**

**1871. श्री सुशील कुमार सिंह:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राज्यों को उनके संबंधित मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय ऊर्जा परिवर्तन समितियों के गठन के लिए निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) त्वरित निर्णय लेने और महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन ऊर्जा परिवर्तन समितियों के उद्देश्य और अपेक्षित परिणाम क्या हैं;

(ग) इन समितियों के गठन में राज्यों ने कितनी प्रगति की है और इस संबंध में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है;

(घ) भारत के ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों के व्यापक संदर्भ में इन समितियों की भूमिका और उत्तरदायित्व क्या हैं; और

(ङ) इन राज्यस्तरीय ऊर्जा परिवर्तन समितियों के प्रभावी कार्यकरण को सुलभ बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय और सहायता की गई है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) और (ख) :** विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने मई, 2022 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ऊर्जा पारगमन पर एक राज्य स्तरीय संचालन समिति (एसएलएससी) का गठन करने का अनुरोध किया है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऊर्जा पारगमन संबंधी उपायों के संचालन के लिए विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास, उद्योग, परिवहन, ग्रामीण विकास, कृषि, पर्यावरण, पीडब्ल्यूडी विभागों आदि के सचिव उक्त समिति के सदस्य होंगे।

ऊर्जा पारगमन हेतु राज्य स्तरीय संचालन समिति के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

1. राज्य स्तर पर ऊर्जा पारगमन के प्रमुख बिन्दुओं का निर्धारण
2. ऊर्जा पारगमन के लिए कार्यनीतिक रोडमैप
3. आर्थिक विकास और रोजगार सृजन
4. संबंधित राज्यों में अंतर-राष्ट्रीय उत्कृष्ट व्यवस्थाएं और निवेश के अवसर

**(ग) :** नवंबर, 2023 तक की स्थिति के अनुसार, 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ऊर्जा पारगमन संबंधी राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया है। राज्यों द्वारा ऊर्जा पारगमन संबंधी राज्य स्तरीय संचालन समिति बनाने में किसी भी प्रकार की चुनौती की सूचना नहीं दी है।

**(घ) :** ऊर्जा पारगमन हेतु राज्य स्तरीय संचालन समिति की व्यापक रूप से भूमिकाएं एवं लक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य-विशिष्ट ऊर्जा पारगमन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति संबंधी दिशानिर्देश और सिफारिशें करना।
- सतत विकास को सक्षम बनाने हेतु कार्यनीतिक दिशानिर्देश देना।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारियों और अन्य माध्यमों से सहयोग संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए हितधारकों हेतु एक संयोजक मंच के रूप में कार्य करना।
- ऊर्जा पारगमन से संबंधित कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास को प्रोत्साहित करते हुए स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं सहित सहायक उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा पारगमन शुरूआतों की प्रगति पर नज़र रखने के लिए निगरानी और मूल्यांकन तंत्र स्थापित करना।

**(ङ) :** विद्युत मंत्रालय द्वारा ऊर्जा पारगमन के लिए राज्य स्तरीय संचालन समितियों के सुचारू और प्रभावी कार्य प्रणाली को सक्षम बनाने, समिति के लिए मॉडल संदर्भित विषयों (टीओआर) को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो को उनके सुलभ संदर्भ के लिए भेज दी गई हैं।

**********

**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-1877**

**जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया गया**

**प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग**

**1877. श्री पी.आर. नटराजन:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के लिए टोटेक्स (टीओटीईएक्स) मॉडल में पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के ढांचे के अंतर्गत प्रचालन करने का निर्णय लिया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त निर्णय लेने से पहले उक्त परियोजना के पक्ष और विपक्ष के संबंध में हितधारकों के साथ कोई परामार्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि केरल राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमताओं का उपयोग करके लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देने वाले वैकल्पिक दृष्टिकोण का पता लगाने का विकल्प चुना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का टीओटीईएक्स मॉडल को वापस लेने और केरल राज्य की तर्ज पर विकल्प अपनाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) :** कार्यान्वयन के बाद प्रचालन संबंधी समस्याओं से बचने और डिस्कॉमों को हैंडहोल्डिंग सहायता सुनिश्चित करने के लिए, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) संबंधी दिशानिर्देश टोटेक्स मोड पर पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) के माध्यम से स्मार्ट मीटर के रोल-आउट को अनिवार्य बनाते हैं। टोटेक्स मोड में स्मार्ट मीटरिंग का कार्यान्वयन इस घटक को स्व-वित्तपोषित बनाता है और डिस्कॉम को इस पर पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम भुगतान

नहीं करना होगा। चूंकि स्मार्ट मीटरिंग एक नई प्रौद्योगिकी है तथा कई डिस्कॉमों के पास स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली के प्रचालन तथा रखरखाव के लिए तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है, इसलिए, एएमआईएसपी (एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर) संस्थापना के बाद मीटरिंग अवसंरचना की आपूर्ति, रखरखाव और प्रचालन के लिए जिम्मेदार होगा और शुरुआत में इसके पूंजीगत व्यय के एक हिस्से के लिए भुगतान किया जाएगा एवं शेष भुगतान ओ एंड एम अवधि (7-10 वर्ष) के दौरान प्रति मीटर प्रति माह के आधार पर किया जाएगा, जो कार्य-निष्पादन से जुड़ा हुआ है। यह दृष्टिकोण परियोजना के सम्पूर्ण कार्यावधि चक्र के दौरान सेवा प्रदान करने हेतु एएमआईएसपी की शुरू से अंत तक जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है।

**(ख) :** उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और संबंधित उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई) सहित संचार सुविधा के साथ फीडर और वितरण ट्रांसफार्मर स्तर पर सिस्टम मीटरिंग स्वचालित ऊर्जा लेखांकन के साथ-साथ लेखपरीक्षा की सुविधा के लिए की जाएगी। डिस्कॉम की प्रचालन एवं वित्तीय दक्षता में सुधार के लिए ऊर्जा लेखांकन/सरकारी विभाग के बकाया का समय पर संग्रह आदि आवश्यक है, तदनुसार सरकारी विभागों के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग परियोजना और सिस्टम मीटर को आरडीएसएस दिशानिर्देशों के अनुसार डिस्कॉम में प्राथमिकता पर शुरू करने की परिकल्पना की गई है।

स्मार्ट मीटरिंग समाधान में दो-तरफ़ा संचार के हिस्से के रूप में एकत्र किए गए डेटा से यूटीलिटियों को उनके भार पूर्वानुमान में सुधार करने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें अपनी विद्युत खरीद को अनुकूलित करने में मदद मिलेगी जिससे विद्युत आपूर्ति की लागत कम हो जाएगी। इस सुविधा का सीधा प्रभाव डिस्कॉम की बिलिंग एवं संग्रह दक्षता में सुधार के कारण एसीएस-एआरआर अंतर और एटीएंडसी हानियों को कम करने पर होगा, जिससे अंततः अंतिम उपभोक्ता को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, एक स्मार्ट मीटर उपभोग पैटर्न को एकत्र करता है और उपभोक्ताओं को विद्युत के उपयोग की योजना बनाने के लिए वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है।

दिनांक 09.01.2020 को आयोजित विद्युत क्षेत्र की समीक्षा आयोजना तथा निगरानी (आरपीएम) बैठक में राज्यों/डिस्कॉमों के साथ स्मार्ट मीटरिंग कार्यान्वयन की रोल आउट रणनीति के प्रमुख आयामों सहित स्कीम की रूपरेखा, अवधारणाओं और घटकों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, दिनांक 3 जुलाई, 2020 को आयोजित विद्युत मंत्री के सम्मेलन के दौरान स्कीम के विभिन्न पहलुओं पर फिर से चर्चा की गई।

**(ग) :** केरल सरकार ने स्मार्ट मीटर के कार्यान्वयन का एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तावित किया है, जिसकी मंत्रालय में समीक्षा की गई और उसके बाद केरल सरकार से कार्यान्वयन और रोल आउट आयोजना के साथ विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है ताकि स्कीम के मौजूदा दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए, सभी पहलुओं से इसकी जांच की जा सके।

**(घ) और (ङ) :** मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**********

**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-1879**

**जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया गया**

**ईंधन के आयात के कारण विद्युत उत्पादन की लागत में वृद्धि**

**1879. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत मंत्रालय ने सभी घरेलू कोयला आधारित (डीसीबी) विद्युत उत्पादन कंपनियों को 31 मार्च, 2024 को मुक्त बोली प्रक्रिया के माध्यम से अनिवार्य रूप से चार प्रतिशत कोयले का आयात और मिश्रण करने का निदेश दिया है क्योंकि कोयले की आपूर्ति आवश्यकता के अनुरूप नहीं थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय लेने के क्या कारण हैं, विशेषकर तब जबकि कोयला मंत्रालय का कहना है कि देश में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला है;

(ग) क्या ईंधन/कोयले के आयात के कारण विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट लागत 2 रुपए से बढ़कर 7 से 8 रुपए हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) से (घ) :** कोयला, चाहे घरेलू हो अथवा आयातित, ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा पृथक रूप से तथा अपनी आवश्यकतानुसार खरीदा जाता है। कुछ संयंत्र विशेष रूप से आयातित कोयले पर आधारित हैं। ताप विद्युत संयंत्र वर्ष 2009 से मिश्रण उद्देश्य के लिए कोयले का आयात कर रहे हैं। इसके ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

जुलाई, 2021 से विद्युत की मांग में वृद्धि होने के कारण ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की खपत बढ़ गई और दैनिक आधार पर घरेलू कोयले की आपूर्ति खपत से कम थी, जिसके परिणामस्वरूप कोयले का स्टॉक कम हो गया और संयंत्रों पर स्टॉक दिनांक 30.06.2021 तक की स्थिति के अनुसार 28.7 मिलियन टन (एमटी) से घटकर दिनांक 30.09.2021 तक की स्थिति के अनुसार लगभग 8.1 मिलियन टन (एमटी) रह गया। इसलिए, विद्युत मंत्रालय ने, दिसंबर, 2021 में, राज्य जेनकोज और आईपीपीज को वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी आवश्यकताओं का 4% और केंद्रीय जेनकोज को 10% की दर से आयात करने की सलाह दी।

अप्रैल-सितंबर, 2022 (वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली, दूसरी तिमाही) के दौरान 385 एमटी (घरेलू: 359 एमटी + आयातित: 1.4 x 18.9 एमटी) की खपत के निमित्त घरेलू कोयले की प्राप्ति लगभग 355 एमटी - 30 मिलियन टन की कमी थी। **इस अवधि के दौरान घरेलू कोयले की आपूर्ति और कोयले की खपत के बीच अंतर लगभग 1.6 लाख टन प्रति दिन था।** स्थिति में सुधार होने पर, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 01.08.2022 को जेनकोज को स्टॉक की मात्रा की निरंतर निगरानी करते हुए घरेलू कोयला आपूर्ति और स्टॉक स्थिति (आवश्यकता आधारित मिश्रण) को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर पर मिश्रण के संबंध में निर्णय लेने की सलाह दी।

सितंबर, 2022 से जनवरी, 2023 माह के बीच कोयले की दैनिक खपत और घरेलू कोयले की दैनिक आवक के बीच अंतर 2.65 लाख टन से 0.5 लाख टन के बीच था। **यदि मिश्रण के लिए आयात नहीं किया गया होता, तो सितंबर, 2022 में ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का स्टॉक घटकर शून्य हो गया होता और यह आगे भी जारी रहता, जिससे बड़े पैमाने पर विद्युत कटौती और ब्लैकआउट होता।** इसलिए, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 09.01.2023 को केंद्रीय, राज्य जेनकोज और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपीज) को भार के हिसाब से 6% की दर से कोयले का आयात करने की सलाह दी ताकि सितंबर, 2023 तक सुचारू संचालन के लिए उनके विद्युत संयंत्रों पर कोयले का पर्याप्त स्टॉक हो।

जून, 2023 से सितंबर, 2023 माह के बीच कोयले की दैनिक खपत और घरेलू कोयले की दैनिक आवक के बीच अंतर 1.30 लाख टन प्रति दिन से बढ़कर 2.80 लाख टन प्रति दिन हो गया। इसलिए, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 01.09.2023 और 25.10.2023 को केंद्रीय और राज्य जेनकोज और आईपीपीज को मिश्रण के लिए पारदर्शी प्रतिस्पर्धी खरीद प्रक्रिया के माध्यम से कोयले का आयात करने की सलाह दी।

वित्तीय वर्ष 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2023 के बीच औसत विद्युत खरीद लागत केवल 71 पैसा तक बढ़ गई। यह विभिन्न लागतों में बढ़ोत्तरी के कारण है जिसमें पारेषण तथा वितरण संबंधी लागतों में बढ़ोत्तरी सम्मिलित है।

**********

**अनुबंध**

**लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1879 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

*********

| विद्युत क्षेत्र द्वारा कोयले का आयात | | | |
|---|---|---|---|
| | | | आकड़े मिलियन टन में |
| **वर्ष** | **मिश्रण के लिए आयात** | **आयातित कोयला आधारित संयंत्रों द्वारा आयात** | **कुल आयात** |
| 2009-10 | 18.8 | 4.4 | 23.2 |
| 2010-11 | 21.1 | 9.4 | 30.5 |
| 2011-12 | 27.3 | 17.6 | 44.9 |
| 2012-13 | 31.1 | 31.6 | 62.7 |
| 2013-14 | 38.6 | 40.9 | 79.5 |
| 2014-15 | 47.6 | 42.5 | 90.1 |
| 2015-16 | 37.1 | 44.0 | 81.1 |
| 2016-17 | 19.8 | 46.3 | 66.1 |
| 2017-18 | 17.0 | 39.4 | 56.4 |
| 2018-19 | 21.4 | 40.3 | 61.7 |
| 2019-20 | 23.8 | 45.5 | 69.3 |
| 2020-21 | 10.4 | 35.1 | 45.5 |
| 2021-22 | 8.1 | 18.9 | 27.0 |
| 2022-23 | 35.1 | 20.5 | 55.6 |
| 2023-24 (अप्रैल-अक्तूबर) | 13.6 | 21.7 | 35.3 |

*********

**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-1897**

**जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया गया**

**किसानों को मुफ्त बिजली**

**1897. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि किसानों की लंबे समय से सिंचाई पंप सेट चलाने के लिए मुफ्त बिजली की मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कृषि भूमि के एक बड़े हिस्से में अभी भी नहर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का उन क्षेत्रों में मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का विचार है जो नहरों से सिंचित नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) और (ख) :** राज्य सरकारें किसानों सहित किसी भी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के किसी भी वर्ग को कोई भी सब्सिडी प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते राज्य सरकारें वितरण कंपनियों को बिजली की लागत का भुगतान करें ताकि वे वितरण के लिए उत्पादन कंपनियों से बिजली खरीद सकें।

**(ग) से (ङ) :** "एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस- 2022" के अनुसार, देश में विभिन्न सिंचाई संबंधी स्रोतों द्वारा सिंचित 64567 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में से, 16908 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की नहरों द्वारा सिंचाई होती है **(अनुबंध)**। भारत सरकार ने खेतों पर पानी की वास्तविक पहुंच बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, खेती के पानी की उपयोग दक्षता में सुधार करने, सतत् जल संरक्षण व्यवहारों की शुरुआत करने आदि के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2015-16 में "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)" का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का एक घटक हर खेत को पानी (एचकेकेपी) है। सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) की स्कीम तथा जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार एवं पुनर्स्थापन (आरआरआर) अब पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी का हिस्सा बन गई है। जल शक्ति मंत्रालय जल निकाय स्कीमों के एसएमआई तथा आरआरआर के अंतर्गत सिंचाई क्षमता (आईपी) के निर्माण तथा पुनर्स्थापन के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता (सीए) प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय 2025-26 तक के लिए 4580 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय और जल निकाय स्कीमों के एसएमआई तथा आरआरआर के माध्यम से 4.50 लाख हेक्टेयर की लक्षित सिंचाई क्षमता के साथ पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी को जारी रखने का अनुमोदन किया गया है।

**********

**अनुबंध**

**लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1897 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

**********

**आकार श्रेणी के अनुसार सिंचाई के विभिन्न स्रोतों द्वारा सिंचित क्षेत्र**

(आंकड़े '000 हेक्टेयर में)

| | आकार श्रेणी | नहर | टैंक | कुएं | ट्यूबेल्स | अन्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मार्जिनल | 4783 | 912 | 2262 | 7818 | 1060 | 16835 |
| 2 | लघु | 3562 | 558 | 2891 | 6232 | 1021 | 14263 |
| 3 | अर्द्ध मध्यम | 3686 | 433 | 3219 | 6629 | 1028 | 14995 |
| 4 | मध्यम | 3441 | 259 | 2728 | 6001 | 836 | 13266 |
| 5 | दीर्घ | 1436 | 86 | 817 | 2485 | 384 | 5209 |
| 6 | कुल | 16908 | 2248 | 11917 | 29165 | 4329 | 64567 |
| | | | | | | | |

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (कृषि जनगणना 2010-11)

टिप्पणी: नवीनतम कृषि जनगणना 2015-16 में विभिन्न स्रोतों द्वारा सिंचित क्षेत्र की जानकारी एकत्र नहीं की गई है। इस प्रकार, उपरोक्त आंकड़े कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार हैं।

**********

**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-1906**

**जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया गया**

**आईपीडीएस और डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत किए गए कार्य**

**1906. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में विशेषकर ओडिशा के जाजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की आज तक अद्यतन स्थिति क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) और (ख) :** भारत में विद्युत क्षेत्र ने पिछले दशक में विद्युत की कमी वाले देश से विद्युत की अधिकता वाले देश में बदलाव का एक लंबा सफर तय किया है। उत्पादन क्षमता में विभिन्न स्रोतों से कुल 1,93,794 मेगावाट की वृद्धि हासिल की गई है। उत्पादन क्षमता मार्च, 2014 में 2,48,554 मेगावाट से 70 प्रतिशत बढ़कर अक्तूबर, 2023 में 4,25,536 मेगावाट हो गई है।

इसके अलावा, 1,87,849 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) की पारेषण लाइनों, 6,82,767 एमवीए की रुपांतरण क्षमता और 80,590 मेगावाट की अंतर-क्षेत्रीय क्षमता को जोड़ा गया है जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,16,540 मेगावाट को ट्रांसफर करने की क्षमता के साथ पूरे देश को एक आवृत्ति पर चलने वाले एक ग्रिड में जोड़ते हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने पिछले 9 वर्षों के दौरान, गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन, भूमिगत केबलिंग, एरियल बंच्ड केबल आदि जैसे कार्यों सहित उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) कार्यान्वित की है।

इन प्रयासों के कारण, डिस्कॉमों की एटीएंडसी हानियां वर्ष 2014-15 में 25.72% से घटकर वर्ष 2022-23 (अनंतिम) में 15.41% हो गई हैं।

भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) भी कार्यान्वित की है।

वितरण क्षेत्र की उपरोक्त स्कीमों के अंतर्गत, 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और 2.86 करोड़ घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। परिणामस्वरूप शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। इसके साथ-साथ, 2927 नए सब-स्टेशन जोड़े गए हैं, 3965 मौजूदा सब-स्टेशनों का उन्नयन किया गया है, 6,92,200 वितरण ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, 1,13,938 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) का फीडर पृथक्करण किया गया है और एचटी तथा एलटी लाइनों के 8.5 लाख सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) जोड़े/बदले गए हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता वर्ष 2015 में 12.5 घंटे से बढ़कर वर्ष 2023 में 20.6 घंटे हो गई है। वर्ष 2023 में शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बढ़कर 23.78 घंटे हो गई है।

जाजपुर संसदीय क्षेत्र में स्वीकृत आईपीडीएस से संबंधित कार्यों में जाजपुर सर्कल के शहरी क्षेत्र शामिल थे। यूटिलिटी द्वारा घोषित किया गया है कि स्कीम की अवधि के भीतर कार्य पूर्ण और बंद हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया गया, जिसमें ओडिशा के जाजपुर जिले के 3 गांव नामतः नागदा, गुलहियासल और चिरुगुनिया शामिल थे। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत ओडिशा के जाजपुर संसदीय क्षेत्र सहित देश भर में कार्यक्षेत्र के अनुसार सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। ओडिशा के जाजपुर संसदीय क्षेत्र में आईपीडीएस और डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत किए गए कार्यों के ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

**********

**अनुबंध**

**लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1906 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

**********

जाजपुर सर्किल में आईपीडीएस के अन्तर्गत सृजित किए गए प्रमुख अवसंरचना कार्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

| निर्वाचन क्षेत्र | सर्किल | विवरण | यूनिट | शुरू की गई मात्रा |
|---|---|---|---|---|
| जाजपुर | जाजपुर | नये सब-स्टेशन | सं. | 2 |
| | | 33/11 केवी विद्युत ट्रांसफार्मर क्षमता का संवर्धन | सं. | 1 |
| | | नए वितरण ट्रांसफार्मर | सं. | 145 |
| | | एचटी लाइन (न्यू एवं री-कंडक्टरिंग) | सीकेएम | 83 |
| | | एरियल बंच्ड केबल्स | सीकेएम | 254 |
| | | सौर पेनल्स | केडब्ल्यूपी | 30 |

जाजपुर सर्कल के लिए आईपीडीएस के अंतर्गत कार्यों के वित्तीय ब्यौरे निम्न प्रकार है:

(करोड़ रूपये में)

| सर्किल का नाम | प्रभावी संस्वीकृत तिथि | पात्र समापन लागत | भारत सरकार पात्र अनुदान | भारत सरकार द्वारा कुल अनुदान अदायगी (स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार) |
|---|---|---|---|---|
| जाजपुर | 30.09.2016 | 60 | 36 | 36 |

ओडिशा के जाजपुर संसदीय क्षेत्र में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत किए गए कार्यों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

| निर्वाचन क्षेत्र का नाम | | वास्तविक अवसंरचना ब्यौरे | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संवर्धित सबस्टेशन (सं) | डीटीआर (सं) | लाइनें (सीकेएम) | | | मीटरिंग (सं.) | |
| | स्कीम | | | लो टेंशन (एलटी) | 11केवी | 33/66 केवी | उपभोक्ता | फीडर |
| जाजपुर (जाजपुर जिले को कवर करते हुए) | डीडीयूजीजेवाई -आरई (बारहवीं योजना)* | 1 | 625 | 558 | 110.86 | 0 | 0 | 0 |
| | डीडीयूजीजेवाई | 14 | 64 | 59.62 | 45.47 | 20.44 | 141384 | 2 |
| | कुल | 15 | 689 | 617.62 | 156.33 | 20.44 | 141384 | 2 |

*वर्ष 2014 के बाद अवार्ड की गई आरई परियोजनाएं

जाजपुर संसदीय क्षेत्र के लिए डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कार्यों के वित्तीय ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(करोड़ रूपये में)

| स्कीम | नवीनतम संस्वीकृत लागत | समापन लागत | जारी की गई जीबीएस |
|---|---|---|---|
| डीडीयूजीजेवाई -आरई (बारहवीं योजना)* | 36.82 | 49.96 | 33.13 |
| डीडीयूजीजेवाई | 79.22 | 47.44 | 28.57 |
| कुल | 116.04 | 97.4 | 61.7 |

*वित्तीय वर्ष 2014 के बाद अवार्ड की गई आरई परियोजनाएं

**********

**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-1915**

**जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया गया**

**उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता**

**1915. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:**

**श्री रघु राम कृष्ण राजू:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2014 के बाद से संपूर्ण देश में विद्युत उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने में हुई प्रगति का उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में अब तक विद्युत का कितना उत्पादन किया गया है और ऐसे कारक क्या हैं जिन्होंने भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता की वृद्धि में योगदान दिया है; और

(ग) उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश राज्यों में विद्युत आपूर्ति क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यान्वित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त पहल से क्या लाभ मिलने की संभावना है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) :** भारतीय विद्युत क्षेत्र ने पिछले एक दशक में विद्युत की कमी से विद्युत अधिशेष वाले देश में बदलाव का एक लंबा सफर तय किया है। वर्ष 2014-15 की अवधि के दौरान, हमने देश में पारंपरिक विद्युत क्षेत्र में 97501.2 मेगावाट और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 96282.9 मेगावाट जोड़ी है। वर्ष 2014-15 से 2023-24 (अक्तूबर, 2023 तक) तक उत्तराखंड तथा आंध्र प्रदेश सहित पारंपरिक क्षेत्र में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्षमता के वृद्धि के ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

**(ख) :** मांग में लगातार वृद्धि से भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। मांग में यह वृद्धि दो कारणों से हुई है:- (1) हाल ही के वर्षों में भारत विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है और (2) 2.86 करोड़ नए घरों को विद्युत कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मांग को पूरा करने के लिए, हमने पिछले नौ (09) वर्षों में 193794 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ी है, जिससे हमारा देश विद्युत के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। पिछले पांच वर्ष तथा वर्तमान वर्ष 2023-24 (अक्तूबर, 2023 तक) में वार्षिक रूप से देश में उत्पादित विद्युत की मात्रा के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

**(ग) :** आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में स्थित निर्माणाधीन परियोजनाओं के ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं। ये परियोजनाएं उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश राज्यों में विद्युत आपूर्ति क्षमता में वृद्धि करेंगी।

**********

**अनुबंध-I**

**लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1915 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

**********

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 (अक्तूबर, 2023 तक) उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्षमता वृद्धि के ब्यौरे

**(सभी आंकड़े मेगावाट में)**

| राज्य | प्रकार | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | कुल जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **आंध्र प्रदेश** | कोयला | 2410 | 1700 | 1320 | 600 | | | | | 800 | | 6830 |
| | गैस | | 1510 | | | | | | | | | 1510 |
| | हाइड्रो | | | 50 | 60 | | | | | | | 110 |
| **अरुणाचल प्रदेश** | हाइड्रो | | | | | 110 | 300 | 300 | | | | 710 |
| **असम** | कोयला | | 250 | 250 | | 250 | | | | | | 750 |
| | गैस | | | 62.25 | | 69.755 | | 36.15 | | | | 168.155 |
| **बिहार** | कोयला | 855 | 250 | 195 | 750 | 250 | 660 | 660 | 1570 | | 660 | 5850 |
| **छत्तीसगढ** | कोयला | 3245 | 2305 | 850 | 2660 | 360 | | 800 | | | | 10220 |
| **गुजरात** | कोयला | 250 | 250 | 500 | | | 800 | | | | | 1800 |
| | गैस | 776.1 | | | | | | | | | | 776.1 |
| | न्यूक्लियर | | | | | | | | | | 700 | 700 |
| **हिमाचल प्रदेश** | हाइड्रो | 736.01 | 400 | 219 | 112 | | | 111 | 280 | | | 1858.01 |
| **झारखंड** | कोयला | | 500 | | | | | | | 660 | | 1160 |
| **कर्नाटक** | कोयला | | 1500 | 2400 | 800 | | | | | | | 4700 |
| **मध्य प्रदेश** | कोयला | 3900 | 2300 | | | 2720 | 1365 | 800 | | | | 11085 |
| **महाराष्ट्र** | कोयला | 2930 | 2070 | 1590 | 1620 | 660 | | | | | | 8870 |
| | गैस | | | 388 | | | | | | | | 388 |
| **मेघालय** | हाइड्रो | | | | 40 | | | | | | | 40 |
| **मिजोरम** | हाइड्रो | | | | 60 | | | | | | | 60 |
| **ओडिशा** | कोयला | 1200 | 350 | | | | 2120 | | 800 | | | 4470 |
| **पंजाब** | कोयला | 1360 | 1860 | | | | | | | | | 3220 |
| **राजस्थान** | कोयला | 850 | 600 | | 660 | 660 | 660 | | 660 | | | 4090 |
| | गैस | 50 | | | | | | | | | | 50 |
| **सिक्किम** | हाइड्रो | | 96 | 1200 | 193 | | | | 113 | | | 1602 |
| **तमिलनाडु** | कोयला | 1350 | 1700 | 600 | | | 500 | 500 | 525 | | | 5175 |
| | न्यूक्लियर | 1000 | | 1000 | | | | | | | | 2000 |
| **तेलंगाना** | कोयला | | 1200 | 600 | | 800 | | 810 | 270 | | 800 | 4480 |
| | हाइड्रो | | 160 | 110 | | 30 | | | | | | 300 |
| **त्रिपुरा** | गैस | 454.2 | 35.6 | 25.5 | | | | | | | | 515.3 |
| **उत्तर प्रदेश** | कोयला | | 2980 | 1820 | 1320 | | 660 | 1320 | 660 | | | 8760 |
| **उत्तराखंड** | गैस | | | 450 | | | | | | | 214 | 664 |
| | हाइड्रो | | 330 | | | | | 99 | | 120 | | 549 |
| **पश्चिम बंगाल** | कोयला | 1200 | 1100 | 500 | 300 | 12 | | | | | | 3112 |
| | हाइड्रो | | 80 | 80 | | | | | | | | 160 |
| **जम्मू एवं कश्मीर** | हाइड्रो | | 450 | | 330 | | | | | | | 780 |
| **कुल जोड़** | | **22566.31** | **23976.6** | **14209.75** | **9505** | **5921.755** | **7065** | **5436.15** | **4878** | **1580** | **2374** | **97512.565** |

**********

**अनुबंध-II**

**लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1915 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

**********

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष 2023-24 (अक्तूबर, 2023 तक) के दौरान देश में वार्षिक उत्पादित विद्युत की मात्रा के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

**(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में)**

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | उत्पादन एमयू में | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 (अक्तूबर, 2023 तक) |
| चंडीगढ़ | 13.51 | 13.33 | 10.16 | 14.19 | 12.61 | 8.73 |
| दिल्ली | 7423.68 | 6438.78 | 5730.71 | 5407.30 | 4314.50 | 2804.93 |
| हरियाणा | 26097.79 | 18050.51 | 15657.13 | 24103.15 | 33559.00 | 18342.80 |
| हिमाचल प्रदेश | 38196.48 | 43002.12 | 39633.77 | 38503.40 | 41579.93 | 31308.07 |
| जम्मू और कश्मीर | 16699.27 | 18537.25 | 17441.97 | 17489.83 | 17170.62 | 13209.89 |
| लद्दाख | 154.51 | 270.28 | 376.21 | 405.98 | 402.78 | 307.32 |
| पंजाब | 33144.86 | 28747.68 | 25606.29 | 31127.70 | 40075.40 | 26014.77 |
| राजस्थान | 68841.66 | 70291.34 | 70607.33 | 83997.41 | 105963.47 | 68911.79 |
| उत्तर प्रदेश | 128467.21 | 129323.42 | 132668.65 | 143159.29 | 163447.06 | 99968.15 |
| उत्तराखंड | 16100.33 | 17735.27 | 15551.31 | 16216.77 | 16369.49 | 11157.01 |
| छत्तीसगढ़ | 116659.43 | 119336.93 | 136667.58 | 143213.21 | 144839.62 | 95742.91 |
| गुजरात | 110557.53 | 124666.25 | 121859.71 | 87886.78 | 95017.30 | 80347.46 |
| मध्य प्रदेश | 129934.92 | 129397.90 | 138084.97 | 143037.90 | 152020.26 | 94862.33 |
| महाराष्ट्र | 151998.66 | 145404.00 | 131805.01 | 153065.31 | 158993.39 | 98334.71 |
| दादरा एवं नगर हवेली * | 5.76 | 6.19 | 11.96 | 49.16 | 30.62 | 16.15 |
| दमन एवं दीव* | 18.94 | 21.83 | 40.04 | 47.67 | | |
| गोवा | 0.00 | 0.82 | 1.46 | 16.82 | 19.96 | 40.77 |
| आंध्र प्रदेश | 77694.33 | 76936.32 | 66882.90 | 74197.52 | 81701.42 | 54718.62 |
| तेलंगाना | 56802.95 | 51923.14 | 46475.88 | 59279.66 | 63044.77 | 39944.96 |
| कर्नाटक | 28982.63 | 31114.50 | 34587.96 | 37951.72 | 37564.56 | 21690.70 |
| केरल | 770.32 | 804.74 | 1092.12 | 1614.62 | 1961.28 | 1406.02 |
| तमिलनाडु | 17128.37 | 20019.68 | 21891.20 | 24312.41 | 27859.52 | 21597.02 |
| लक्ष्यद्वीप | 83779.62 | 83498.68 | 70077.93 | 82020.39 | 89061.67 | 53845.69 |
| पुद्दुचेरी | 49965.61 | 51858.96 | 48412.53 | 57188.93 | 56760.51 | 32898.77 |
| अंडमान निकोबार | 151.16 | 113.49 | 157.99 | 152.01 | 252.45 | 215.43 |
| बिहार | 32658.66 | 35719.44 | 34092.75 | 44180.23 | 55489.06 | 34643.91 |
| झारखंड | 27003.35 | 26247.21 | 27469.53 | 28915.39 | 30797.95 | 20728.50 |
| ओडिशा | 47477.80 | 49037.17 | 62944.21 | 66473.02 | 71529.15 | 41951.26 |
| सिक्किम | 9050.18 | 11087.98 | 10935.46 | 11506.25 | 11709.14 | 8318.54 |
| पश्चिम बंगाल | 78438.25 | 75786.81 | 77478.05 | 88251.70 | 92995.30 | 55283.17 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1400.77 | 1788.70 | 3453.44 | 4163.41 | 4845.79 | 3329.00 |
| असम | 7245.71 | 8089.14 | 6020.52 | 8398.89 | 9153.69 | 5760.77 |
| मणिपुर | 604.49 | 370.79 | 629.33 | 462.20 | 486.77 | 189.34 |
| मेघालय | 980.04 | 1081.02 | 1208.78 | 886.50 | 1052.41 | 669.25 |
| मिजोरम | 208.52 | 227.02 | 192.37 | 165.53 | 266.40 | 123.35 |
| नागालैंड | 318.93 | 256.72 | 273.63 | 164.02 | 289.32 | 205.18 |
| त्रिपुरा | 6712.93 | 6121.04 | 7058.83 | 6339.87 | 7086.06 | 3897.81 |
| भूटान (आईएमपी) | 4406.62 | 5794.48 | 8765.50 | 7493.20 | 6742.40 | 4644.00 |
| **अखिल भारतीय कुल** | **1376095.79** | **1389120.93** | **1381855.15** | **1491859.37** | **1624465.61** | **1047439.04** |

* वर्ष 2022-23 से संघ/राज्य क्षेत्र-वार दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर दिया गया।

**********

**अनुबंध-III**

**लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1915 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

**********

**आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में स्थित निर्माणाधीन परियोजनाओं के ब्यौरे।**

**(सभी आंकड़े मेगावाट में)**

| **उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में कार्यान्वयन के अतंर्गत जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्र. सं.** | **स्कीम का नाम (कार्यकारी एजेंसी)** | **क्षेत्र** | **जिला** | **संस्थापित क्षमता (सं. X मेगावाट)** | **निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)** | **नदी/बेसिन** |
| | **आंध्र प्रदेश** | | | | | |
| 1 | पोलावरम (एपीजेनको/सिंचाई विभाग, आ.प्र.) | राज्य | पूर्व एवं पश्चिम गोदावरी | 12x80 | 960.00 | गोदावरी/ईएफआर |
| 2 | लोअर सिलेरू एक्सटेंशन (एपीजेनको) | राज्य | अल्लूरी सीतारामराजू | 2x115 | 230.00 | सिलेरू/गोदावरी |
| 3 | पिन्नापुरम (ग्रीनको एपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड) | निजी | कुरनूल | 4x240 + 2x120 | 1200.00 | पेन्नार बेसिन/ईएफआर |
| | **उप-जोड़: आंध्र प्रदेश** | | | | **2390.00** | |
| | **उत्तराखंड** | | | | | |
| 4 | विष्णुगाड पीपलकोटी (टीएचडीसी) | केन्द्रीय | चमोली | 4x111 | 444.00 | अलकनंदा/गंगा |
| 5 | तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी) | केन्द्रीय | चमोली | 4x130 | 520.00 | धौलीगंगा / अलकनंदा एवं / गंगा |
| 6 | तेहरी पस्स (टीएचडीसी) | केन्द्रीय | टेहरी गढ़वाल | 4x250 | 1000.00 | भिलंगना/भागीरथी/ गंगा |
| 7 | लखवार बहु-उद्देशीय परियोजना (यूजेवीएनएल) | राज्य | देहरादून एवं टेहरी गढ़वाल | 3x100 | 300.00 | यमुना |
| | **उप जोड़: उत्तराखंड** | | | | **2264.00** | |

**उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में कार्यान्वयन के अंतर्गत ताप विद्युत संयंत्रों की सूची**

| **क्र. सं.** | **परियोजना का नाम** | **विकासकर्ता/कार्यकारी एजेंसी** | **राज्य** | **यूनिट** | **क्षमता (मेगावाट में)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डॉ. नरला टाटाराव टीपीएस, स्टेशन-V | एपीजेनको | आंध्र प्रदेश | यू-8 | 800 |

**आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में निर्माणाधीन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की सूची**

| | **निर्माणाधीन क्षमता** | |
|---|---|---|
| स्रोत | **आंध्र प्रदेश** | **उत्तराखंड** |
| सौर | 2800 मेगावाट | 160 मेगावाट |
| लघु जल विद्युत परियोजनाएं | 1.2 मेगावाट | 65.55 मेगावाट |
| बायो-मास | 8 मेगावाट | 2.5 मेगावाट |
| अपशिष्ट से ऊर्जा | 4.42 मेगावाट | 20.17 मेगावाट |

**********

**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-1927**

**जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया गया**

**विद्युत की मांग और आपूर्ति**

**1927. श्री राहुल कस्वां:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में विद्युत की मांग और आपूर्ति में कितना अंतर है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त अंतर को पाटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने निकट भविष्य में विद्युत की मांग का आकलन करने के लिए हाल ही में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने भविष्य में बिजली की अधिक मांग को पूरा करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) और (ख) :** देश में पर्याप्त विद्युत उपलब्ध है। हमने पिछले नौ (09) वर्षों में 193794 मेगावाट की उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है, जिससे हमारा देश विद्युत की कमी से विद्युत अधिशेष में बदल गया है। हमने उत्पादन क्षमता को मार्च, 2014 में 248554 मेगावाट से 70% तक बढ़ाकर अक्तूबर, 2023 में 425536 मेगावाट कर दिया है।

हमने पिछले नौ वर्षों (09) में 187849 सीकेटी किलोमीटर पारेषण लाइनें जोड़ी हैं, जो पूरे देश को एक फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले एक ग्रिड से जोड़ती हैं। इसने हमें 116540 मेगावाट को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक अंतरित करने में सक्षम बनाया है। हमने डीडीयूजीजेवाई/आईपीडीएस/सौभाग्य के अन्तर्गत 1.85 लाख करोड़ की परियोजनाओं का कार्यान्वयन तथा 2927 सब-स्टेशनों का निर्माण, 3964 उप-स्टेशनों का उन्नयन और 8.86 लाख सर्किट किलोमीटर एचटी/एलटी लाइनें जोड़कर वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया। परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता वर्ष 2015 में 12 घंटे से बढ़कर वर्ष 2023 में 20.6 घंटे हो गई है। शहरी क्षेत्रों में, विद्युत की उपलब्धता 23.6 घंटे है। ऊर्जा आवश्यकता तथा आपूर्ति की गई ऊर्जा के बीच का अंतर 2013-14 में 4.2% से घटकर 2023-24 में 0.3% हो गया है। यहां ऊर्जा आवश्यकता तथा आपूर्ति की गई ऊर्जा के बीच यह अंतर आम तौर पर राज्य पारेषण/वितरण नेटवर्क में बाधाओं और डिस्कॉमों की वित्तीय बाधाओं आदि के कारण होता है।

**(ग) और (घ) :** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73(क) के अंतर्गत मध्यम और दीर्घावधिक आधार पर देश की विद्युत मांग का अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में देश का इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) करता है।

नवंबर, 2022 में प्रकाशित 20वीं इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) रिपोर्ट में देश के लिए वर्ष 2021-22 से 2031-32 हेतु विद्युत मांग अनुमान के साथ-साथ वर्ष 2036-37 और 2041-42 के लिए संभावित विद्युत मांग अनुमान को शामिल किया गया है। इसके ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

**(ङ) :** हमने देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) राष्ट्र के विकास के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष 2023-32 के बीच अनुमानित क्षमता वृद्धि नीचे दी गई है:

(क) 27180 मेगावाट थर्मल क्षमता निर्माणाधीन है, 12000 मेगावाट के लिए बोली लगाई जा चुकी है और 19000 मेगावाट मंजूरी के अधीन है। वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित तापीय क्षमता वृद्धि 87910 मेगावाट होगी।

(ख) 18033.5 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता (रुकी हुई परियोजनाओं सहित) निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित जल विद्युत क्षमता वृद्धि 42014 मेगावाट होने की संभावना है।

(ग) 8000 मेगावाट की परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित न्यूक्लियर क्षमता वृद्धि 12200 मेगावाट होगी।

(घ) 78935 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भी वर्तमान में निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-32 तक अनुमानित आरई क्षमता वृद्धि 322000 मेगावाट होने की संभावना है।

इस प्रकार, कुल 132148.5 मेगावाट क्षमता निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित क्षमता वृद्धि 464124 मेगावाट होने की संभावना है।

(ii) भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को 500000 मेगावाट से अधिक करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2030 तक 500000 मेगावाट आरई क्षमता के एकीकरण के लिए पारेषण योजना को आरई क्षमता वृद्धि के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 179000 मेगावाट गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता पहले से ही एकीकृत है।

(iii) बड़े पैमाने पर आरई परियोजनाओं की संस्थापना के लिए आरई विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना।

(iv) सरकार ने हरित ऊर्जा कॉरीडोरों का निर्माण किया है और 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए हैं। वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 178000 मेगावाट है और 78935 मेगावाट संस्थापना के अधीन है।

(v) हमने विद्युत क्षेत्र को व्यवहार्य बनाया है। एटीएंडसी हानियां वर्ष 2013-14 में 22.62% से घटकर वर्ष 2022-23 में 15.41% हो गई हैं। जेनकोज के सभी मौजूदा भुगतान अद्यतित हैं और जेनकोज की पिछली देय राशियां 1.35 लाख करोड़ रुपये से घटकर 6000 करोड़ रुपये हो गई हैं। राज्य सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी के कारण डिस्कॉमों को किए गए सब्सिडी भुगतान अद्यतित हैं।

**********

**अनुबंध**

**लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1927 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

*********

**वर्ष 2023-24 से 2031-32 तक विद्युत मांग अनुमान**

| वर्ष | इलेक्ट्रिकल ऊर्जा आवश्यकता (एमयू में) | व्यस्ततम विद्युत मांग (मेगावाट में) |
|---|---|---|
| **2023-24** | 1600214 | 230144 |
| **2024-25** | 1694634 | 244565 |
| **2025-26** | 1796627 | 260118 |
| **2026-27** | 1907835 | 277201 |
| **2027-28** | 2021072 | 294716 |
| **2028-29** | 2139125 | 313098 |
| **2029-30** | 2279676 | 334811 |
| **2030-31** | 2377646 | 350670 |
| **2031-32** | 2473776 | 366393 |

**वर्ष 2036-37 और 2041-42 के लिए संभावित विद्युत मांग अनुमान**

| वर्ष | इलेक्ट्रिकल ऊर्जा आवश्यकता (एमयू में) | व्यस्ततम विद्युत मांग (मेगावाट में) |
|---|---|---|
| **2036-37** | 30,95,487 | 4,65,531 |
| **2041-42** | 37,76,321 | 5,74,689 |

*********

**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-1939**

**जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया गया**

**कोयले की उपलब्धता**

**1939. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
**श्री दिनेश चन्द्र यादव:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राज्यों को विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आयातित कोयले के कुछ भाग को अपने पास रखना अनिवार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त व्यवस्था को बनाये रखने के लिए राज्य सरकारों को निजी आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से उच्च कीमतों पर भी कोयला खरीदना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों पर इसका अधिक वित्तीय भार पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) से (ङ) :** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के कोयला स्टॉक संबंधी मानदंड आपूर्ति/खपत के पैटर्न में मौसमी बदलाव के साथ 85% प्लांट लोड संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) की अपनी आवश्यकताओं के आधार पर ताप विद्युत संयंत्रों को गैर-पिट हेड संयंत्रों में 20 से 26 दिन का कोयला स्टॉक और पिट हेड संयंत्रों में 12 से 17 दिन का कोयला स्टॉक रखने का आदेश देते हैं।

ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयला, चाहे घरेलू हो या आयातित, अलग से तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खरीदा जाता है। कुछ संयंत्र ऐसे हैं जो केवल आयातित कोयले पर आधारित हैं। ताप विद्युत संयंत्र वर्ष 2009 से मिश्रण के उद्देश्य से कोयले का आयात कर रहे हैं। इसके ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

जुलाई, 2021 से विद्युत की मांग में वृद्धि होने के कारण ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की खपत बढ़ गई और दैनिक आधार पर घरेलू कोयले की आपूर्ति खपत से कम थी, जिसके परिणामस्वरूप कोयले का स्टॉक कम हो गया और संयंत्रों पर स्टॉक दिनांक 30.06.2021 तक की स्थिति के अनुसार 28.7 मिलियन टन (एमटी) से घटकर दिनांक 30.09.2021 तक की स्थिति के अनुसार लगभग 8.1 मिलियन टन (एमटी) रह गया। इसलिए, विद्युत मंत्रालय ने, दिसंबर, 2021 में, राज्य जेनकोज और आईपीपीज को वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी आवश्यकताओं का 4% और केंद्रीय जेनकोज को 10% की दर से आयात करने की सलाह दी।

अप्रैल-सितंबर, 2022 (वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली, दूसरी तिमाही) के दौरान 385 एमटी (घरेलू: 359 एमटी + आयातित: 1.4 x 18.9 एमटी) की खपत के निमित्त घरेलू कोयले की प्राप्ति लगभग 355 एमटी - 30 एमटी की कमी थी। **इस अवधि के दौरान घरेलू कोयले की आपूर्ति और कोयले की खपत के बीच अंतर लगभग 1.6 लाख टन प्रति दिन था।** स्थिति में सुधार होने पर, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 01.08.2022 को जेनकोज को स्टॉक की मात्रा की निरंतर निगरानी करते हुए घरेलू कोयला आपूर्ति और स्टॉक स्थिति (आवश्यकता आधारित मिश्रण) को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर पर मिश्रण के संबंध में निर्णय लेने की सलाह दी।

सितंबर, 2022 से जनवरी, 2023 माह के बीच कोयले की दैनिक खपत और घरेलू कोयले की दैनिक आवक के बीच अंतर 2.65 लाख टन से 0.5 लाख टन के बीच था। यदि मिश्रण के लिए आयात नहीं किया गया होता, तो सितंबर, 2022 में ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का स्टॉक घटकर शून्य हो गया होता और यह आगे भी जारी रहता, जिससे बड़े पैमाने पर विद्युत कटौती और ब्लैकआउट होता। इसलिए, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 09.01.2023 को केंद्रीय, राज्य जेनकोज और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपीज) को भार के हिसाब से 6% की दर से कोयले का आयात करने की सलाह दी ताकि सितंबर, 2023 तक सुचारू संचालन के लिए उनके विद्युत संयंत्रों पर कोयले का पर्याप्त स्टॉक हो।

जून, 2023 से सितंबर, 2023 माह के बीच कोयले की दैनिक खपत और घरेलू कोयले की दैनिक आवक के बीच अंतर 1.30 लाख टन प्रति दिन से बढ़कर 2.80 लाख टन प्रति दिन हो गया। इसलिए, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 01.09.2023 और 25.10.2023 को केंद्रीय और राज्य जेनकोज और आईपीपीज को मिश्रण के लिए पारदर्शी प्रतिस्पर्धी खरीद प्रक्रिया के माध्यम से कोयले का आयात करने की सलाह दी।

विद्युत उत्पादन की लागत उपयोग किए गए आयातित कोयले की हिस्सेदारी और आयातित कोयले की कीमत पर निर्भर करती है। आयातित कोयले का मूल्य निर्धारण आयातित कोयले के लिए अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक, उत्पत्ति के स्रोत, समुद्री माल ढुलाई, बीमा आदि जैसे अन्य कारकों से जुड़ा हुआ है जो पूरी तरह से गतिशील है और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के साथ बदलता रहता है। साथ ही, घरेलू कोयले की तुलना में आयातित कोयले का कैलोरी मान अधिक होता है। आयातित कोयले सहित ईंधन की लागत को उपयुक्त विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार उत्पादन प्रशुल्क में शामिल किया जाता है। उत्पादन प्रशुल्क खुदरा उपभोक्ता टैरिफ के निर्धारण के लिए इनपुट बन जाता है, जिसे उपभोक्ताओं पर लागू करने से पहले संबंधित नियामक आयोग द्वारा फिर से अनुमोदित किया जाता है। नियामक विभिन्न इनपुट लागतों के लिए मानदंड निर्धारित करता है और मानदंडों से अधिक लागतों को लागू करने की अनुमति नहीं देता है।

*********

**अनुबंध**

**लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1939 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

*********

| विद्युत क्षेत्र द्वारा कोयले का आयात | | | |
|---|---|---|---|
| | | | आकड़े मिलियन टन में |
| **वर्ष** | **मिश्रण के लिए आयात** | **आयातित कोयला आधारित संयंत्रों द्वारा आयात** | **कुल आयात** |
| 2009-10 | 18.8 | 4.4 | 23.2 |
| 2010-11 | 21.1 | 9.4 | 30.5 |
| 2011-12 | 27.3 | 17.6 | 44.9 |
| 2012-13 | 31.1 | 31.6 | 62.7 |
| 2013-14 | 38.6 | 40.9 | 79.5 |
| 2014-15 | 47.6 | 42.5 | 90.1 |
| 2015-16 | 37.1 | 44.0 | 81.1 |
| 2016-17 | 19.8 | 46.3 | 66.1 |
| 2017-18 | 17.0 | 39.4 | 56.4 |
| 2018-19 | 21.4 | 40.3 | 61.7 |
| 2019-20 | 23.8 | 45.5 | 69.3 |
| 2020-21 | 10.4 | 35.1 | 45.5 |
| 2021-22 | 8.1 | 18.9 | 27.0 |
| 2022-23 | 35.1 | 20.5 | 55.6 |
| 2023-24 (अप्रैल-अक्तूबर) | 13.6 | 21.7 | 35.3 |

*********

**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-2006**

**जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया गया**

**पीएफसी और आरईसी की स्थापना**

**2006. श्री गजानन कीर्तिकर:**

**श्री कृपाल बालाजी तुमाने:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) की स्थापना किस वर्ष में की गई थी;

(ख) पीएफसी और आरईसी की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य हैं और पीएफसी और आरईसी में सरकार की हिस्सेदारी कितनी है;

(ग) पीएफसी और आरईसी के उद्देश्य को बदलकर सिंचाई परियोजनाओं हेतु उपकरणों के विद्युत उपयोग के वित्तपोषण में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था;

(घ) सिंचाई परियोजनाओं के लिए पीएफसी और आरईसी से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने राज्यों को वित्तपोषण प्राप्त हुआ है;

(ङ) क्या पीएफसी और आरईसी द्वारा वित्तपोषित सिंचाई परियोजनाओं में पारदर्शी ढंग से निविदा प्रक्रिया की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो पीएफसी और आरईसी द्वारा स्वीकृत निधि के माध्यम से कार्य निष्पादित करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) :** पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड की स्थापना दिनांक 16.07.1986 को की गई थी और आरईसी लिमिटेड (पूर्व नाम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) की स्थापना दिनांक 25.07.1969 को की गई थी।

**(ख) :** पीएफसी लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड की स्थापना करने संबंधी उद्देश्य क्रमश: **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में दिए गए हैं। भारत सरकार की पीएफसी लिमिटेड में 55.99% हिस्सेदारी है। आरईसी लिमिटेड में सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है; तथापि, पीएफसी लिमिटेड के पास आरईसी लिमिटेड की 52.63% हिस्सेदारी है।

**(ग) :** भारत की एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एक सुदृढ़ अवसंरचना महत्वपूर्ण था। अवसंरचना क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए केंद्रित हस्तक्षेप और बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता थी। जबकि पीएफसी को विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र को वित्त पोषित करने के लिए एक वित्तीय संस्थान के रूप में निगमित किया गया था, तथापि आरईसी को ग्रामीण क्षेत्र को सक्रिय करने और उसका वित्तपोषण करने, विशेष रूप से मानसून पर कृषि की निर्भरता को कम करने के लिए बेहतर सिंचाई हेतु कृषि पंप सेट के लिए, सृजित किया था। भारत सरकार ने पीएफसी लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड को इलेक्ट्रोमैकेनिकल [ईएम] प्रणालियों, अकेली अथवा बृहत् परियोजनाओं अर्थात लिफ्ट सिंचाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, स्मार्ट सिटी, रेलवे लाइन का विद्युतीकरण संबंधी प्रोजेक्ट आदि बृहत् परियोजनाओं का हिस्सा हैं, को सम्मिलित करते हुए; अपनी उधार प्रदान करने संबंधी पोर्टफोलियो को अन्य अवसंरचनात्मक क्षेत्रों तक विस्तार करने की अनुमति दी। उक्त को अनुमति देने के लिए पीएफसी लिमिटेड के उद्देश्य खंड को दिनांक 13.07.2020 को संशोधित किया गया था और आरईसी लिमिटेड के उद्देश्य खंड को दिनांक 24.03.2021 को संशोधित किया गया था।

**(घ) :** दो राज्यों- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने पीएफसी लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड दोनों से सिंचाई परियोजनाओं के विनिर्दिष्ट हिस्से के लिए वित्तपोषण प्राप्त किया है। उपर्युक्त के साथ-साथ, आरईसी लिमिटेड ने केरल राज्य के लिए भी निधियां जारी की हैं।

**(ङ) :** पीएफसी लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) हैं, जो ऋण संबंधी प्रचालनों और अपने ऋणों की वसूली में संलग्न हैं तथा निविदा प्रक्रियाओं की निगरानी अथवा उनका प्रबंधन नहीं करती हैं; जो परियोजना कंपनियों (उधारकर्ताओं) द्वारा उनके लागू राज्य सरकार मानकों के अनुसार की जाती हैं। तथापि, पीएफसी लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विवेकपूर्ण लागत सुनिश्चित करने के लिए उचित तत्परता बरतेंगे।

**(च) :** पीएफसी लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड द्वारा संस्वीकृत निधियों से कार्य निष्पादित करने वाली एजेंसियों के ब्यौरे क्रमशः **अनुबंध-III** और **अनुबंध-IV** में दिए गए हैं।

*********

**अनुबंध-I**

**लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2006 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

*********

पीएफसी की स्थापना के मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

(i) विद्युत परियोजनाओं, विशेष रूप से ताप और जल-विद्युत परियोजनाओं, को वित्तपोषित करना।

(ii) ऐसे संयंत्रों की उपलब्धता और कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से विद्युत संयंत्रों को नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए वित्तपोषण करना।

(iii) प्रणाली में सुधार और ऊर्जा संरक्षण स्कीमों को वित्तपोषित करना।

(iv) पूंजीगत उपकरणों सहित ऐसे उपकरणों की मरम्मत की सुविधाएं, विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण में नियोजित अभियंताओं तथा अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण के लिए अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु वित्तपोषण।

(v) विद्युत परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच को वित्तपोषित करना।

(vi) अध्ययनों, स्कीमों, प्रयोगों तथा अनुसंधान गतिविधियां, जो विद्युत विकास और आपूर्ति में प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी हुई हैं, को वित्तपोषण करना।

(vii) वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों सहित अन्य ऊर्जा स्रोतों के प्रोत्साहन और विकास को वित्तपोषित करना।

(viii) लॉजिस्टिक और गैर-विद्युत अवसंरचना संबंधी क्षेत्रों को कंपनी की बकाया लेखा बही के 30% की सीमा तक ऋण देना, इस शर्त के अध्यधीन है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए नई स्वीकृतियों में से 2/3 अथवा 66% संस्वीकृतियां केवल विद्युत और हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए होनी चाहिए।

*********

**अनुबंध-II**

**लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2006 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

*********

आरईसी की स्थापना के मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

(i) देश में ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों को वित्तपोषित करना। तत्पश्चात उत्पादन, पारेषण और वितरण सहित सभी विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण को शामिल करने के लिए आरईसी के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया।

(ii) भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त राशियों का प्रबंधन करना और अन्य स्रोत जैसे देश में ग्रामीण विद्युतीकरण के वित्तपोषण के उद्देश्य से अनुदान देना।

(iii) देश में ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और वित्तपोषित करना;

(iv) विशेष ग्रामीण विद्युतीकरण बांड की सदस्यता लेना जो राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों पर जारी किए जा सकते हैं;

(v) इसके अतिरिक्त, इस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रासंगिक लक्ष्यों में नदियों से लिफ्ट सिंचाई के लिए और गन्ना, तंबाखू, चाय-बगानों, अन्य फसलों के विकास तथा अन्य ग्रामीण उपयोगों के लिए सिंचाई संबंधी कार्यों की अनुमति देते हैं।

(vi) उपर्युक्त के साथ-साथ, विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को शामिल करने के लिए वर्ष 2008 में उद्देश्य खंड में संशोधन किया गया था, जैसे कि विद्युत परियोजनाओं में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए कोयले और अन्य खनन गतिविधियों का विकास, विद्युत क्षेत्र के लिए अन्य ईंधन आपूर्ति व्यवस्था का विकास तथा अन्य सक्षमकारी अवसंरचना सुविधाओं को पूरा करना जो विद्युत क्षेत्र के त्वरित और प्रभावी विकास के लिए आवश्यक हो सकती हैं।

(vii) लॉजिस्टिक और गैर-विद्युत अवसंरचना संबंधी क्षेत्रों को कंपनी की बकाया लेखा बही के 30% की सीमा तक ऋण देना, इस शर्त के अध्यधीन है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए नई स्वीकृतियों में से 2/3 अथवा 66% संस्वीकृतियां केवल विद्युत और हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए होनी चाहिए।

*********

**अनुबंध-III**

**लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2006 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

*********

**पीएफसी लिमिटेड द्वारा संस्वीकृत निधियों से कार्य निष्पादित करने वाली एजेंसियों के ब्यौरे:-**

**1. कालेश्वरम परियोजना: कार्यान्वयन एजेंसी (कालेश्वरम इरीगेशन प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड)**

| **पैकेज** | **संविदाकार का नाम** |
|---|---|
| पैकेज 6 (श्रीपदा येल्लमपल्ली जलाशय से मेदराम टैंक तक सुरंगें/नहरें, पंप हाउस और संबद्ध कार्य) | मैसर्स नवयुग-पटेल-भेल (कंसोर्टियम) |
| पैकेज 8 (मेदराम टैंक से मिडमैनेयर जलाशय तक सुरंग/नहरें, पंप हाउस और संबद्ध कार्य) | मैसर्स एमईआईएल-सिलाई-मेटास-भेल (कंसोर्टियम) |
| पैकेज 9 (मिडमेनेयर जलाशय से अपर मेनेयर जलाशय तक सुरंग/नहरें, मलकापेट जलाशय, पंप हाउस और संबद्ध कार्य) | मैसर्स आईवीआरसीएल-बाटपास्को-डब्ल्यूपीआईएल-एमएचआई (जेवी) |
| पैकेज 10 (मिडमेनेयर जलाशय से अनंतगिरी जलाशय तक सुरंग/नहरें, पंप हाउस और संबंधित कार्य) | मैसर्स एचसीसी-एमईआईएल-भेल (जेवी) |
| पैकेज 11 (अनंतगिरी जलाशय से श्री रंगनायक सागर तक सुरंग/नहरें, पम्प हाउस और संबद्ध कार्य) | मैसर्स एसईडब्ल्यू-एमईआईएल-भेल (जेवी) |
| पैकेज 12 (श्री रंगनायक सागर से श्री कोमारवेली मल्लाना सागर जलाशय तक सुरंग/नहरें, पंप हाउस और संबद्ध कार्य) | मैसर्स एमईआईएल-एसईडब्ल्यू-एबीबी-एएजी (जेवी) |
| पैकेज 14 (कोंडा पोचम्मा जलाशय तक नहर, पम्प हाउस एवं संबद्ध कार्य) | मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड |
| पैकेज 20 (एसआरएसपी फोरशोर से मसानी टैंक तक सुरंग/नहरें, पंप हाउस और संबद्ध कार्य) | मैसर्स आईवीआरसीएल-बाटपास्कोप-डब्ल्यूपीआईएल-एमएचआई (जेवी) |
| पैकेज 21 (मसानी टांकटो कोंडेम चेरुवु तक सुरंग/नहरें, पंप हाउस और संबद्ध कार्य) | मैसर्स नवयुग-एएजी-एबीबी (जेवी) |
| पैकेज 22 (कोंडेम चेरुवु से भूमापल्ली जलाशय तक सुरंग/नहरें, पंप हाउस और संबद्ध कार्य) | मैसर्स एससीएल-इंदु-केबीएल-डब्ल्यूईजी (जेवी) |
| पैकेज 27 (कोंडेम चेरुवु से भूमापल्ली जलाशय तक सुरंग/नहरें, पंप हाउस और संबद्ध कार्य) | मैसर्स सुशी-जेडवीएस-फ्लोमोर (जेवी) |
| पैकेज 28 (श्रीराम सागर से हैंगरगा गाँव गाँव तक नहर प्रणाली) | मैसर्स एमईआईएल-जेडपीएस-पीवीएसआरएसएन-आईटीटी (कंसोर्टियम) |
| पैकेज 21ए (प्रेशराइज्ड पाइप सिस्टम) | मैसर्स एमईआईएल-एचईएस (जेवी) |
| मेदिगड्डा बैराज | मैसर्स एलएंडटी पीईएस (जेवी) |
| मेदिगड्डा लिफ्ट | मैसर्स एमईआईएल एनसीसी (जेवी) |
| अन्नाराम बैराज | मैसर्स ऍफ़कॉन्स विजेता पीईएस |
| अन्नाराम लिफ्ट | मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एचवाईडी |
| सुंदिला बैराज | मैसर्स नवयुग जीएमडब्ल्यू (जेवी) |
| सुंदिला लिफ्ट | मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एचवाईडी |

**2. पलामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना: कार्यान्वयन एजेंसी (कालेश्वरम इरीगेशन प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड)**

| **पैकेज** | **संविदाकार का नाम** |
|---|---|
| पैकेज 1 नरलापुर में पम्प हाउस और संबद्ध कार्य | मैसर्स नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, |
| पैकेज 5 येदुला में पंप हाउस और संबद्ध कार्य | मैसर्स एमईआईएल-भेल (जेवी) |

| | |
|---|---|
| पैकेज 8 वट्टम में पम्प हाउस और संबद्ध कार्य | मैसर्स एमईआईएल-भेल (जेवी) |
| पैकेज 16 उदयपुर में पम्प हाउस एवं संबद्ध कार्य | मैसर्स नवयुग - आरवीआर (जेवी) |
| सब-स्टेशन और पारेषण लाइनें | टीएसट्रांसको |

**3. रायलसीमा ड्रॉट मिटिगेशन प्रोजेक्ट:**

**कार्यान्वयन एजेंसी: आंध्र प्रदेश रायलसीमा ड्रॉट मिटिगेशन प्रोजेक्ट डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड**

| क्रम सं. | परियोजना कार्य | संविदाकार का नाम |
|---|---|---|
| 1. | पोथिरेड्डीपाडु हेड रेगुलेटर से 4 किमी पर संगमेश्वरम से एसआरएमसी तक प्रति दिन 3 टीएमसी खींचने और उपयोग करने के लिए रायलसीमा लिफ्ट स्कीम | मैसर्स एसपीएमएल-एनसीसी-एमईआईएल (जेवी) |
| 2. | 2.95 टीएमसी पानी की कुल भंडारण क्षमता के लिए मौजूदा रजोली एनीकट के अपस्ट्रीम की ओर कुंडू नदी पर राजोली जलाशय का निर्माण | मैसर्स एमआरकेआर- रित्विक (जेवी), एचवाईडी |
| 3. | कुरनूल जिले के जोलादारसी (वी), कोइलाकुंटला (एम) में कुंडू नदी पर 0.80 टीएमसी क्षमता के साथ जोलादारसी जलाशय का निर्माण। | मैसर्स एमआरकेआर- रित्विक (जेवी), एचवाईडी |
| 4. | जीएनएसएस एफएफसी में सुधार: ऑक जलाशय से गांधीकोटा जलाशय तक जीएनएसएस एफएफसी का चौड़ीकरण | मैसर्स एमआरकेआर कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद |
| 5. | गंडिकोटा जलाशय में फीडिंग के लिए 10,000 क्यूसेक ले जाने के लिए अतिरिक्त गंडीकोटा सुरंग। | |
| 6. | गिद्दांगिवरिपल्ली में बने जलाशय सहित यूसीआईएल प्रभावित गांवों को पूरक करने के लिए एराबली लिफ्ट सिंचाई स्कीम | |
| 7. | कुंडू लिफ्ट सिंचाई स्कीम | मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हैदराबाद |
| 8. | गांधीकोटा सीबीआर लिफ्टों और गांधीकोटा पेडीपलेम लिफ्ट स्कीम का उन्नयन | |
| 9. | पीबीसी, सीबीआर राइट कैनाल और जीएलआई प्रणाली के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई का विकास | |
| 10. | जीएनएसएस से एचएनएसएस लिफ्ट सिंचाई स्कीम | मैसर्स पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, और नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (जेवी), हैदराबाद |
| 11. | पैकेज-I: एचएनएसएस मुख्य नहर का -4.806 किमी से 88.00 किमी तक सुधार | मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हैदराबाद |
| 12. | पैकेज-2 : एचएनएसएस मुख्य नहर का 88.00 किमी से 216.3 किमी तक सुधार | मैसर्स डीएसआर-वीपीआर संयुक्त उद्यम |
| 13. | सिंचाई नेटवर्क सहित कुप्पम तक फीड करने के लिए एचएनएसएस पी-II के अंतर्गत पुंगनुरु शाखा नहर की वहन क्षमता में वृद्धि | मैसर्स एनसीसीएल |
| 14. | मुदिवेदु, नेतिगुट्टापल्ली और अवुलपल्ली के पास तीन संतुलित जलाशयों का निर्माण | मैसर्स एनईसीएल-आरआरसीआईआईपीएल (संयुक्त उद्यम), हैदराबाद, |
| 15. | सोमासिला कंडालेरू बाढ़ प्रवाह नहर (एसकेएफएफ) का चौड़ीकरण | मैसर्स वीपीआर-जीडीआर-एमआरजीआर (जेवी) |
| 16. | रल्लपाडु जलाशय को भरने के लिए सोमसिला से जीकेएन नहर में सुधार | वीपीआर-जीडीआर-एमआरजीआर (जेवी) हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड |
| 17. | जीएनएसएस नहर का किमी 0.00 से किमी 56.00 तक सुधार | मैसर्स एसएलआर इंफ्रा प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद, एम/एस पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्रा. |
| 18. | अलावलपाडु लिफ्ट सिंचाई स्कीम | मैसर्स एसएलआर इंफ्रा प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद |
| 19. | गलिवेदु लिफ्ट सिंचाई स्कीम | मैसर्स केसीसीएल- एनएआर संयुक्त उद्यम, हैदराबाद |

*********

**अनुबंध-IV**

**लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2006 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

*********

**आरईसी लिमिटेड द्वारा संस्वीकृत निधियों से कार्य निष्पादित करने वाली एजेंसियों के ब्यौरे:-**

| **क्रम सं.** | **परियोजना का नाम** | **कार्य निष्पादित करने वाली एजेंसियां** |
|---|---|---|
| **आंध्र प्रदेश** | | |
| 1. | चिंतलापुडी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम | पैकेज - 1: मैसर्स एमईआईएल - गायत्री - जेडवीएस - आईटीटी - कंसोर्टियम लिमिटेड<br>पैकेज - 2: मैसर्स गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड<br>पैकेज - 3: मैसर्स एमईआईएल<br>पैकेज - 4: मैसर्स एनईसी - आरवीआर (जेवी), हैदराबाद |
| 2. | कोंदावीतिवागु लिफ्ट स्कीम - बाढ़ राहत स्कीम | मैसर्स एमईआईएल, हैदराबाद |
| 3. | पुरुषोत्तमपट्टनम लिफ्ट इरीगेशन स्कीम | मैसर्स एमईआईएल, हैदराबाद |
| 4. | गोदावरी-पेन्ना नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजना का चरण 1 | मैसर्स एमईआईएल और आरवीआर |
| **तेलंगाना** | | |
| 1. | इंदिरम्मा फ्लड फ्लो कैनाल (आईएफएफसी) | मैसर्स नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड;<br>मैसर्स एमईआईएल-रत्न-केबीएल (जेवी),<br>मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड;<br>मैसर्स इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग;<br>टीएस ट्रांसको |
| 2. | सीता राम लिफ्ट सिंचाई परियोजना | मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड;<br>मैसर्स एनसीसी-प्रतिमा-अमृता (जेवी);<br>एम/एस एसडीसी-कावेरी<br>टीएस ट्रांसको |
| 3. | थुपाकुलगुडेम में पीवी नरसिम्हा राव - कंथनपल्ली सुजला श्रवण स्कीम | मैसर्स एसईडब्ल्यू-रित्विक (जेवी), हैदराबाद |
| 4. | जे. चोक्काराव-देवदुला लिफ्ट सिंचाई परियोजना | मैसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड, पटेल |

| | | |
|---|---|---|
| | देवदुला और अन्य कार्यों के अंतर्गत पहले से ही निष्पादित ई एंड एम कार्य | इंजीनियरिंग लिमिटेड, ज्योति लिमिटेड, सीबीई कंसोर्टियम;<br>मैसर्स एचसीसी एसईडब्ल्यू-एमईआईएल-एएजी (जेवी);<br>मैसर्स एनसीसी-एमईआईएल-जेडवीएस-सिग्मा कंसोर्टियम;<br>मैसर्स एमईआईएल-प्रसाद-केबीएल (जेवी);<br>मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड टीएस ट्रांसको |
| 5. | लिंक 2 के अंतर्गत श्रीपदा येलमपल्ली परियोजना (एसवाईपी) में मिड मन्नेयर जलाशय तक प्रति दिन 1.1 टीएमसी (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) पानी की मौजूदा प्रणाली की क्षमता बढ़ाने के लिए ईएंडएम, एचएंडएम और संबद्ध सिविल कार्य | मैसर्स एमईआईएल, हैदराबाद<br>टीएस ट्रांसको |
| 6. | लिंक-1 के अंतर्गत श्रीपदा येलमपल्ली परियोजना (एसवाईपी) में मिड मन्नेयर बैराज से गोदावरी नदी पर जलाशय तक प्रति दिन 1 टीएमसी अतिरिक्त पानी उठाने के लिए ईएंडएम, एचएंडएम और संबद्ध सिविल कार्य | मैसर्स एमईआईएल-एनसीसी (जेवी);<br>मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड |
| 7. | लिंक-4 के अंतर्गत मिड मनेयर जलाशय से श्री कोमारवेली मल्लन्ना सागर जलाशय तक प्रति दिन 1 टीएमसी अतिरिक्त पानी उठाने के लिए ईएंडएम, एचएंडएम और संबद्ध सिविल कार्य | मैसर्स प्रतिमा-एनसीसी-एनईसीएल (जेवी);<br>मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड;<br>मैसर्स केएनआर-नवयुग-एनसीसी (जेवी) |
| केरल | | |
| 1. | केरल के विभिन्न जिलों में 12 सिंचाई परियोजनाओं में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल, हाइड्रो सिस्टम और पम्पिंग स्टेशन कार्य | केरल सिंचाई अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (केआईआईडीसी) |
| 2. | केरल के विभिन्न जिलों में 38 वाटर पंपिंग स्टेशन/जला आपूर्ति परियोजनाओं में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल, पम्पिंग स्टेशन और हाइड्रो सिस्टम कार्य | केरल जल प्राधिकरण (केडब्ल्यूए) |

*********

**भारत सरकार**
**विद्युत मंत्रालय**
**....**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या-2019**
**जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया गया**

**बिजली की मांग में वृद्धि**

**2019. श्री थोमस चाज़िकाडन:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश भर के गांवों में बिजली की मांग में भारी वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो केरल सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विद्युत की मांग में भारी वृद्धि का प्रबंधन करने में कठिनाई हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) कोट्टायम में कितने गांव बिजली की भारी कमी का सामना कर रहे हैं; और

(च) इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) :** जी, हाँ। भारतीय विद्युत क्षेत्र ने पिछले एक दशक में विद्युत की कमी से विद्युत अधिशेष वाले देश में बदलाव का एक लंबा सफर तय किया है। पिछले नौ (09) वर्षों के दौरान, हमने उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) कार्यान्वित की है। हमने देश में ग्रामीण क्षेत्र के सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना- (सौभाग्य) भी कार्यान्वित की है। इन स्कीमों के अंतर्गत, 1.85 लाख करोड़ रुपये के निवेश से, 18374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया और 2.86 करोड़ घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए। इसके परिणामस्वरूप, शत-

प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। इसके साथ-साथ, 2927 नए सबस्टेशन जोड़े गए हैं, 3965 मौजूदा सब-स्टेशनों का उन्नयन किया गया है और 8.86 लाख सर्किट किलोमीटर की एचटी और एलटी लाइनें जोड़ी/बदली गई हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता वर्ष 2015 में 12 घंटे से बढ़कर वर्ष 2023 में 20.6 घंटे हो गई है।

**(ख) :** अप्रैल, 2023 से नवंबर, 2023 की अवधि के दौरान केरल राज्य सहित देश में राज्य/संघ राज्य- क्षेत्र-वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति के ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

**(ग) और (घ) :** देश में पर्याप्त विद्युत उपलब्ध है। हमने पिछले नौ (09) वर्षों में 193794 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे को हल किया है, जिससे हमारा देश विद्युत पर्याप्तता में बदल गया है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता में 70% तक वृद्धि हुई है।

**(ङ) और (च) :** हमने देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) राष्ट्र के विकास के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, वर्ष 2023-32 के बीच अनुमानित क्षमता वृद्धि नीचे दी गई है:

क) 27180 मेगावाट थर्मल क्षमता निर्माणाधीन है, 12000 मेगावाट के लिए बोली लगाई जा चुकी है और 19000 मेगावाट मंजूरी के अधीन है। वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित थर्मल क्षमता वृद्धि 87910 मेगावाट होगी।

ख) 18033.5 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता (रुकी हुई परियोजनाओं सहित) निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित जल विद्युत क्षमता 42014 मेगावाट होगी।

ग) 8000 मेगावाट की परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित न्यूक्लियर क्षमता वृद्धि 12200 मेगावाट होगी।

घ) 78935 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भी वर्तमान में निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-32 तक अनुमानित आरई क्षमता वृद्धि 322000 मेगावाट होगी।

इस प्रकार, कुल 132148.5 मेगावाट क्षमता निर्माणाधीन है और वर्ष 2031-2032 तक कुल अनुमानित क्षमता वृद्धि 464124 मेगावाट होगी।

(ii) देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,16,540 मेगावाट अंतरण क्षमता सहित 1,87,849 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनें, 6,82,767 एमवीए रुपांतरण क्षमता और 80,590 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता को पूरे देश को वन फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले एक ग्रिड में जोड़ने की क्षमता के साथ जोड़ा गया है। भारत का ग्रिड विश्व के सबसे बड़े एकीकृत ग्रिडों में से एक बनकर उभरा है। पूरे देश को एक ग्रिड से जोड़ने से देश एक एकीकृत विद्युत बाजार में परिवर्तित हो गया है। वितरण कंपनियां देश के किसी भी कोने में किसी भी उत्पादक से सबसे सस्ती उपलब्ध दरों पर विद्युत खरीद सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरें सस्ती हो सकेंगी।

(iii) भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को 500000 मेगावाट से अधिक तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध किया है। वर्ष 2030 तक 500000 मेगावाट आरई क्षमता के एकीकरण के लिए पारेषण योजना को आरई क्षमता वृद्धि के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 179000 मेगावाट गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता पहले से ही एकीकृत है।

(iv) बड़े पैमाने पर आरई परियोजनाओं की संस्थापना के लिए आरई विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना।

(v) हमने पावर एक्सचेंजों में रियल टाइम मार्केट (आरटीएम), ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएएम), ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम), हाई प्राइस डे अहेड मार्केट (एचपी-डैम) जोड़ते हुए विद्युत बाजार में सुधार किए हैं। इसके साथ-साथ, डिस्कॉमों द्वारा अल्पावधिक विद्युत की खरीद के लिए ई-बोली और ई-रिवर्स के लिए दीप पोर्टल (डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस) की शुरुआत की गई थी।

(vi) हमने हरित ऊर्जा कॉरीडोरों का निर्माण किया है और 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए हैं। वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 178000 मेगावाट है और 78935 मेगावाट संस्थापना के अधीन है।

(vii) हमने विद्युत क्षेत्र को व्यवहार्य बनाया है। एटीएंडसी हानियां वर्ष 2013-14 में 22.62% से घटकर वर्ष 2022-23 में 15.41% हो गया है। जेनकोज के सभी मौजूदा भुगतान अद्यतित हैं और जेनकोज की पिछली देय राशियां 1.35 लाख करोड़ रुपये से घटकर 6000 करोड़ रुपये हो गई हैं। राज्य सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी के कारण डिस्कॉमों को किए गए सब्सिडी भुगतान अद्यतित हैं।

**********

**अनुबंध**

**लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2019 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

**********

अप्रैल, 2023 से नवंबर, 2023 की अवधि के दौरान केरल राज्य सहित देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा।

| अप्रैल 2023 - नवंबर 2023* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ऊर्जा आवश्यकता (एमयू) | ऊर्जा आपूर्ति (एमयू) | आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा (एमयू) | आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा (%) |
| चंडीगढ़ | 1289 | 1289 | 0 | 0.0 |
| दिल्ली | 26126 | 26123 | 3 | 0.0 |
| हरियाणा | 45855 | 45605 | 250 | 0.5 |
| हिमाचल प्रदेश | 8348 | 8324 | 24 | 0.3 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 12770 | 12577 | 193 | 1.5 |
| पंजाब | 51458 | 51453 | 5 | 0.0 |
| राजस्थान | 69851 | 69352 | 499 | 0.7 |
| उत्तर प्रदेश | 107129 | 106875 | 254 | 0.2 |
| उत्तराखंड | 10524 | 10444 | 80 | 0.8 |
| **उत्तरी क्षेत्र** | **334239** | **332930** | **1309** | **0.4** |
| छत्तीसगढ़ | 26253 | 26202 | 51 | 0.2 |
| गुजरात | 98536 | 98509 | 27 | 0.0 |
| मध्य प्रदेश | 64255 | 64192 | 63 | 0.1 |
| महाराष्ट्र | 138065 | 137891 | 174 | 0.1 |
| दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली | 6719 | 6719 | 0 | 0.0 |
| गोवा | 3413 | 3413 | 0 | 0.0 |
| **पश्चिमी क्षेत्र** | **343422** | **343107** | **315** | **0.1** |
| आंध्र प्रदेश | 54616 | 54561 | 55 | 0.1 |
| तेलंगाना | 54096 | 54089 | 7 | 0.0 |
| कर्नाटक | 59533 | 59382 | 151 | 0.3 |
| केरल | 20203 | 20199 | 4 | 0.0 |
| तमिलनाडु | 84230 | 84221 | 9 | 0.0 |
| पुदुचेरी | 2371 | 2371 | 1 | 0.0 |
| लक्षद्वीप | 42 | 42 | 0 | 0.0 |
| **दक्षिणी क्षेत्र** | **275083** | **274856** | **227** | **0.1** |
| बिहार | 30448 | 29963 | 485 | 1.6 |
| दामोदर घाटी निगम | 18066 | 18062 | 4 | 0.0 |
| झारखंड | 9721 | 9401 | 320 | 3.3 |
| ओडिशा | 28999 | 28984 | 15 | 0.1 |
| पश्चिम बंगाल | 48465 | 48403 | 63 | 0.1 |
| सिक्किम | 312 | 312 | 0 | 0.0 |
| अंडमान एवं निकोबार | 254 | 246 | 9 | 3.4 |
| **पूर्वी क्षेत्र** | **136056** | **135170** | **887** | **0.7** |
| अरुणाचल प्रदेश | 646 | 646 | 0 | 0.0 |
| असम | 9062 | 8983 | 78 | 0.9 |
| मणिपुर | 625 | 625 | 0 | 0.0 |
| मेघालय | 1464 | 1301 | 164 | 11.2 |
| मिजोरम | 424 | 424 | 0 | 0.0 |
| नागालैंड | 640 | 640 | 0 | 0.0 |
| त्रिपुरा | 1219 | 1219 | 0 | 0.0 |
| **पूर्वोत्तर क्षेत्र** | **14086** | **13844** | **242** | **1.7** |
| **अखिल भारतीय** | **1102887** | **1099907** | **2980** | **0.3** |

***(*)अनंतिम***

**********

**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-2037**

**जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया गया**

**सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा सीएसआर निधि का व्यय**

**2037. श्रीमती रमा देवी:**

**श्री अजय कुमार मंडल:**

**श्री रमेश चन्द्र कौशिक:**

**श्रीमती लॉकेट चटर्जी:**

**श्रीमती गीता कोडा:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कंपनी, वर्ष, परियोजना और गैर-सरकारी संगठन-वार कितनी सीएसआर निधियां खर्च की गई हैं;

(ख) मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र की उपक्रम की कंपनियों द्वारा विगत कई वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष लगातार कितने गैर-सरकारी संगठनों को सीएसआर निधियां प्रदान की गई हैं और ऐसे गैर-सरकारी संगठनों द्वारा समाज में विकास और जागरूकता बढ़ाने के कार्यों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, विशेषकर सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है और भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए सीएसआर निधि के अंतर्गत कितनी निधि आवंटित की गई है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) और (ख) :** पिछले दो वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान समाज में ऐसे गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए विकास संबंधी कार्यों के लिए विद्युत मंत्रालय के अन्तर्गत पीएसयू कंपनियों द्वारा खर्च की गई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधियों की मात्रा के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

पिछले दो वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए विकास कार्य **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

**(ग) :** पिछले दो वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में भागलपुर संसदीय क्षेत्र के लिए सीएसआर निधियों के अन्तर्गत आवंटित निधियों की मात्रा के साथ प्राप्त अनुरोधों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, ग्राम हजूरनगर, अनुमंडल-कहलगांव, जिला-भागलपुर, बिहार में आदिवासी, ओबीसी, सामान्य एवं महादलित महिलाओं तथा लड़कियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु कौशल विकास के संबंध में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में अगस्त, 2022 में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। तथापि, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के विषय क्षेत्र और बजट की कमी को देखते हुए इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

**********

**अनुबंध-I**

**लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2037 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

**********

**(क) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत पीएसयू कंपनियों द्वारा व्यय की गई सीएसआर निधि।|**

**(ख) विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत पीएसयू कंपनियों द्वारा व्यय की गई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि और ऐसे गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सोसाइटी में तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा।**

**एनटीपीसी लिमिटेड**

| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष | परियोजना का नाम | एनजीओ का नाम | व्यय की गई सीएसआर निधियां (रूपये में) | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021- 22 | मोबाइल हेल्थ क्लीनिक | हेल्पेज इंडिया | 1165441.00 | आंध्र प्रदेश |
| 2 | | गांवों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन | शंकर फाउंडेशन | 611285.00 | आंध्र प्रदेश |
| 3 | | गांवों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन | हेल्पेज इंडिया | 160000.00 | आंध्र प्रदेश |
| 4 | | सार्वजनिक शौचालयों का रख-रखाव | ग्रामीण सेवा | 50000.00 | आंध्र प्रदेश |
| 5 | | एसजीसीसीआई-कवास को कोविड में वित्तीय सहायता | दक्षिणी गुजरात | 100000.00 | गुजरात |
| 6 | | शौचालयों का निर्माण/नवीनीकरण/ गांवों में सुलभ सेवाएँ | सुलभ इंटरनेशनल सोसायटी | 3844542.00 | मध्य प्रदेश |
| 7 | | गांवों में सामुदायिक सुलभ शौचालयों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण | सुलभ इंटरनेशनल सोसायटी | 1777248.00 | मध्य प्रदेश |
| 8 | | ओडीएफ के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण | सुलभ इंटरनेशनल सोसायटी | 3355121.00 | ओडिशा |
| 9 | | कोविड अस्पताल-युगान्तर-बदरपुर के लिए व्यय | सुलभ इंटरनेशनल सोसायटी | 6481530.00 | उत्तर प्रदेश |
| 10 | | पीएमआई नोएडा में 100 बेड का कोविड अस्पताल | सुलभ इंटरनेशनल सोसायटी | 2147209.00 | उत्तर प्रदेश |
| 11 | | चिकित्सा शिविर-नेत्र शिविर-सर्जिकल शिविर | हेल्पेज इंडिया | 3738544.00 | पश्चिम बंगाल |
| 12 | | कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना | महादेवनगर ग्रामीण कल्याण सोसायटी | 48480.00 | पश्चिम बंगाल |
| 13 | | युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिकारिता | बीसीटी केवीके रिवॉल्विंग फंड | 178000.00 | आंध्र प्रदेश |
| 14 | | युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण | दृष्टि फाउंडेशन | 760000.00 | छत्तीसगढ़ |
| 15 | | सरकारी स्कूलों को "हैप्पीनेस किट" प्रदान करना | अक्षय पात्र फाउंडेशन | 592500.00 | गुजरात |
| 16 | | प्रोजेक्ट उड़ान-दसवीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा | सीईडीएमएपी आरटीसी बिलासपुर | 283200.00 | मध्य प्रदेश |
| 17 | | स्कूल के बुनियादी ढांचे का निर्माण/नवीनीकरण | मो स्कूल अभियान परिचलन संगठन | 6000000.00 | ओडिशा |
| 18 | | स्कूलों में आरआरए लागू करना | मो स्कूल अभियान परिचलन संगठन | 2700000.00 | ओडिशा |
| 19 | | युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना | सीईडीएमएपी आरटीसी बिलासपुर | 1652000.00 | उत्तर प्रदेश |
| 20 | | सीखने के स्तर की गतिविधि में सुधार | यूएनआईएसईडी | 776998.00 | उत्तर प्रदेश |
| 21 | | युवाओं का कौशल विकास | एक गुच्छो स्वप्नो | 241518.00 | पश्चिम बंगाल |
| 22 | | युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण | सीईडीएमएपी आरटीसी बिलासपुर | 88500.00 | उत्तर प्रदेश |
| 23 | | राष्ट्रीय सुपरक्रॉस चैंपियनशिप के लिए वित्तीय सहायता | सी जी मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन | 2000000.00 | छत्तीसगढ़ |
| 24 | | राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। | छत्तीसगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन | 517010.00 | छत्तीसगढ़ |
| 25 | | उपचारात्मक कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता | नवोदय मिशन ट्रस्ट | 89310.00 | मध्य प्रदेश |
| 26 | | 25000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना | राष्ट्रीय कौशल विकास निगम | 120000000.00 | एकाधिक* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र |
| 27 | | राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, नागपुर में तीसरी मंजिल के लिए निर्माण और उपकरण और डायग्नोस्टिक लैब | डॉ.आबाजी थट्टे सेवा और अनुसंधान | 108900000.00 | महाराष्ट्र |
| 28 | | स्कूल के विकास के लिए बीबीएसएलएन को सहायता | भाऊ साहेब भुस्कुटे स्मृति लोक न्यास ट्रस्ट | 3972000.00 | मध्य प्रदेश |
| 29 | | फुटबॉल क्लब आइजोल को 2 बसें उपलब्ध कराना | आइजोल फुटबॉल क्लब | 3600000.00 | मिजोरम |

| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष | परियोजना का नाम | एनजीओ का नाम | व्यय की गई सीएसआर निधियां (रूपये में) | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | केदारनाथ शहर का पुनर्विकास | श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट | 75000000.00 | उत्तराखंड |
| 31 | | बद्रीनाथ को आर्थिक सहायता | श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट | 16900000.00 | उत्तराखंड |
| 32 | | प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सुलभ बनाना | हेल्पेज इंडिया | 2560600.00 | आंध्र प्रदेश |
| 33 | | स्वास्थ्य शिविरों/विशेषज्ञताओं का आयोजन | शंकर फाउंडेशन | 1040347.00 | आंध्र प्रदेश |
| 34 | | शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट विद्या | ग्रामीण विकास सेवाएँ | 527026.00 | आंध्र प्रदेश |
| 35 | | विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन | हेल्पेज इंडिया | 320000.00 | आंध्र प्रदेश |
| 36 | | युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण | सीईडीएमएपी आरटीसी बिलासपुर | 1477950.00 | छत्तीसगढ़ |
| 37 | | राज्य स्तरीय फुटबॉल को बढ़ावा देना | छत्तीसगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन | 733368.00 | छत्तीसगढ़ |
| 38 | | आर.के एचआईवी एड्स अनुसंधान को वित्तीय सहायता | आर के एचआईवी और एड्स अनुसंधान | 100000.00 | गुजरात |
| 39 | 2022- 23 | ग्रामीण खेलों/स्पोर्ट्स इन्फ्रा को बढ़ावा देना | हरियाणा सीएसआर सोसायटी | 257600.00 | हरियाणा |
| 40 | | डीएमसीएच लुधियाना के लिए मोबाइल क्लिनिक वैन | दयानंद मेडिकल कॉलेज | 1750000.00 | हिमाचल प्रदेश |
| 41 | | मानव सेवा ट्रस्ट को एमएमयू | मानव सेवा ट्रस्ट | 642248.00 | हिमाचल प्रदेश |
| 42 | | एसएचजी की क्षमता निर्माण | महादेवनगर ग्रामीण कल्याण सोसायटी | 247000.00 | झारखंड |
| 43 | | गांवों में सुलभ सामुदायिक शौचालयों का आर एंड एम | सुलभ इंटरनेशनल सोसायटी | 1777248.00 | मध्य प्रदेश |
| 44 | | सुहासिनी स्कूल को वित्तीय सहायता | नवोदय मिशन ट्रस्ट | 1085020.00 | मध्य प्रदेश |
| 45 | | स्कूल के विकास के लिए बीबीएसएलएन को सहायता | भाऊ साहेब भुस्कुटे स्मृति लोक न्यास ट्रस्ट | 993000.00 | मध्य प्रदेश |
| 46 | | युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करें | सीईडीएमएपी आरटीसी बिलासपुर | 1357000.00 | मध्य प्रदेश |
| 47 | | निर्माण/नवीनीकरण/सेवाएँ | सुलभ इंटरनेशनल सोसायटी | 549220.00 | मध्य प्रदेश |
| 48 | | सांस्कृतिक कार्यक्रम कैरियर परामर्श | नवोदय मिशन ट्रस्ट | 95000.00 | मध्य प्रदेश |
| 49 | | एनसीआई नागपुर के लिए वित्तीय सहायता | डॉ. अबाजी थत्ते सेवा और अनुसंधान | 30000000.00 | महाराष्ट्र |
| 50 | | सेवा भारती राजकोट ऑडिटोरियम का निर्माण | सेवा भारती गुजरात | 9360000.00 | महाराष्ट्र |
| 51 | | टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई को सहायता | टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल | 3360000.00 | महाराष्ट्र |
| 52 | | सतत आजीविका - निर्माण | निर्माण बहुदेशीय संस्था | 3966000.00 | महाराष्ट्र |
| 53 | | स्वामी विवेकानन्द बहुउद्देशिया को समर्थन | स्वामी विवेकानन्द बहुउद्देश्यीय सेवाभावी संस्था | 672000.00 | महाराष्ट्र |
| 54 | | मवेशियों के लिए छाया का निर्माण | समतोल फाउंडेशन | 419730.00 | महाराष्ट्र |
| 55 | | फुटबॉल क्लब आइज़वाल के लिए 2 बसें प्रदान करें | आइजोल फुटबॉल क्लब | 400000.00 | मिजोरम |
| 56 | | 25000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना | राष्ट्रीय कौशल विकास निधि | 45000000.00 | एकाधिक राज्य |
| 57 | | डीएम एमओ स्कूल अभियान को सहायता | मो स्कूल अभियान परिचलन संगठन | 7400000.00 | ओडिशा |
| 58 | 2022- 23 | ऑपरेशन कक्ष के निर्माण के लिए एलवीपीईआई को सहायता | हैदराबाद नेत्र संस्थान | 6000000.00 | ओडिशा |
| 59 | | खुले में शौच के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण | सुलभ इंटरनेशनल सोसायटी | 853532.00 | ओडिशा |
| 60 | | युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना | उद्यमिता विकास के लिए सोसायटी | 194275.00 | उत्तर प्रदेश |
| 61 | | युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना | फार्मब्रिज सामाजिक समर्थन | 175235.00 | उत्तर प्रदेश |
| 62 | | केदारनाथ शहर का पुनर्विकास | श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट | 150000000.00 | उत्तराखंड |
| 63 | | बद्रीनाथ को आर्थिक सहायता | श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट | 28100000.00 | उत्तराखंड |
| 64 | | चिकित्सा शिविर-नेत्र शिविर-सर्जिकल शिविर | हेल्पेज इंडिया | 3629067.01 | पश्चिम बंगाल |
| 65 | | युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना | महादेवनगर ग्रामीण कल्याण सोसायटी | 236000.00 | पश्चिम बंगाल |
| 66 | 2023- 24 | बधिर बेंगलुरु के लिए क्रिकेट चैम्पियनशिप | बधिर क्रिकेट सोसायटी | 361000.00 | उत्तर प्रदेश |
| 67 | | लद्दाख में शैक्षिक सुविधाएं | समारांभ फाउंडेशन | 4629800.00 | लद्दाख |
| 68 | | ग्रामीण अकाल अकादमी के लिए सोलर पीवी की संस्थापना | कलगीधर ट्रस्ट | 2600000.00 | पंजाब |
| 69 | | माता हौसाबाईबंधुअठावले वृद्धाश्रम | स्वैच्छिक कार्रवाई के लिए सोसायटी | 1400000.00 | उत्तर प्रदेश |
| 70 | | सेवा समर्पण के लिए फलदार पौधे | सेवा समर्पण संस्थान | 50000.00 | उत्तर प्रदेश |
| 71 | | ब्लड बैंक के प्रचालन हेतु सहायता | भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी | 750000.00 | उत्तर प्रदेश |
| 72 | | ग्रामीण और राष्ट्रीय खेलों के लिए समर्थन | रघुराजी देवी फाउंडेशन ट्रस्ट | 75000.00 | उत्तर प्रदेश |
| 73 | | प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सुलभ बनाना | आईसीएआरई चैरिटेबल नेत्र अस्पताल | 228000.00 | उत्तर प्रदेश |
| 74 | | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हीलिंग हिमालय | हीलिंग हिमालय फाउंडेशन | 2098800.00 | हरियाणा |
| 75 | | पर्यावरण पर जागरूकता पोद्दार संस्थान | पोद्दार संस्थान | 1148600.00 | राजस्थान |
| 76 | | कॉन्स्ट ग्राउंड फ्लोर विद्या भारती शिराल | विद्या भारती पश्चिम महाराष्ट्र | 8700000.00 | महाराष्ट्र |
| 77 | | ऑडिटोरियम सेवा भारतीराजकोट का निर्माण | सेवा भारती गुजरात | 12480000.00 | गुजरात |
| 78 | 2023- 24 | मवेशियों के लिए छाया का निर्माण | समतोल फाउंडेशन | 279820.00 | महाराष्ट्र |
| 79 | | स्वास्थ्य जांच शिविर भारती विकास संस्थान | भारती विकास संस्थान | 2989800.00 | राजस्थान |
| 80 | | आईटी एवं आईटीईएस प्रशिक्षण जेपी फाउंडेशन संस्था | जे पी फाउंडेशन संस्था | 3945600.00 | राजस्थान |

| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष | परियोजना का नाम | एनजीओ का नाम | व्यय की गई सीएसआर निधियां (रूपये में) | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | | ब्लड बैंक के लिए चिकित्सा उपकरण | जनकल्याण समिति वामनराव ओकेए | 1403850.00 | महाराष्ट्र |
| 82 | | शिविर गतिविधियों के प्रचालन के लिए मोटर वाहन | जनकल्याण समिति वामनराव ओकेए | 2000000.00 | महाराष्ट्र |
| 83 | | नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री अकादमी | विद्या भारती गुजरात प्रदेश | 3000000.00 | महाराष्ट्र |
| 84 | | रिटेल सेल्स जेपी फाउंडेशन संस्था, जैप | जे पी फाउंडेशन संस्था | 2297200.00 | राजस्थान |
| 85 | | 60 छोटे एकल शिक्षक मलिन बस्ती का प्रचालन | भगवान महावीर बाल कल्याण | 1008000.00 | राजस्थान |
| 86 | | कौशल विकास भारती विकास संस्थान | भारती विकास संस्थान | 2964600.00 | राजस्थान |
| 87 | | 04 सरकारी में स्मार्ट क्लासरूम सह एसटीईएम लैब | अखण्डज्योति फाउंडेशन | 1665600.00 | राजस्थान |
| 88 | | सौर फोटोवोल्टिक रामभाऊ म्हालगी प्रबोद | रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी | 2048400.00 | महाराष्ट्र |
| 89 | | वृक्षारोपण वंदे मातरम् संस्थान | वन्दे मातरम् संस्थान | 1960000.00 | राजस्थान |
| 90 | | विद्यार्थी विकास योजना मेधावी छात्र | सेवा सहयोग फाउंडेशन | 750000.00 | महाराष्ट्र |
| 91 | 2023- 24 | कौशल विकास प्रशिक्षण | अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन | 170240.00 | छत्तीसगढ़ |
| 92 | | युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिकारिता | अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन | 149925.00 | छत्तीसगढ़ |
| 93 | | सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम | नवोदय मिशन ट्रस्ट | 112500.00 | मध्य प्रदेश |
| 94 | | ग्रामीण छात्रों के लिए व्यक्तित्व विकास | परिवर्तन फाउंडेशन के लिए नागरिक | 294687.00 | मध्य प्रदेश |
| 95 | | युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करें | सीईडीएमएपी आरटीसी बिलासपुर | 654900.00 | मध्य प्रदेश |
| 96 | | गांवों में सुलभ सामुदायिक शौचालयों का आर एंड एम | सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस | 691152.00 | मध्य प्रदेश |
| 97 | | ब्लड बैंक के प्रचालन हेतु सहायता | भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी | 1300000.00 | मध्य प्रदेश |
| 98 | | प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सुलभ बनाना | सेवा ग्रामीण | 45191.00 | गुजरात |
| 99 | | क्षमता निर्माण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण | महादेवनगर ग्रामीण कल्याण सोसायटी | 172800.00 | पश्चिम बंगाल |
| 100 | | ग्रामीण और राष्ट्रीय खेलों के लिए समर्थन | रामयाद राम मेमोरियल ट्रस्ट | 1496563.00 | बिहार |
| 101 | | खुले में शौच के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण | सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस | 141600.00 | ओडिशा |
| 102 | | न्यूरो ऑपरेशन थिएटर चिन्मय ट्रस्ट | कर्नाटक चिन्मय सेवा ट्रस्ट | 18527289.00 | तेलंगाना |
| 103 | | खेल प्रशिक्षण हेतु खेल सामग्री उपलब्ध करायें | स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन | 100000.00 | तेलंगाना |
| 104 | 2023- 24 | शिविर के लिए आकार आशा हॉस्पिटल को सहयोग | नरसिंह स्वैन मेमोरियल ट्रस्ट | 980940.00 | तेलंगाना |
| 105 | | पलक्कड़ में स्कूल भवन का निर्माण | स्वामी विवेकानन्द मेडिकल मिशन | 2700900.00 | केरल |
| 106 | | सामुदायिक भवन मछलीपट्टनम का निर्माण | रोटरी सामुदायिक सेवा ट्रस्ट | 22500000.00 | आंध्र प्रदेश |
| 107 | | आकर्षक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक | हेल्पेज इंडिया | 701541.00 | आंध्र प्रदेश |
| 108 | | कावनपुई कॉलेज में डिजिटल क्लासरूम | मिज़ो छात्र संघ | 304251.00 | असम |
| 109 | | लैब-वीकेवी का उन्नयन | विवेकानन्द केन्द्र विद्यालय ए.पी. | 2671500.00 | असम |
| 110 | | 3 विद्यालयों में चाहरदीवारी का निर्माण | श्रद्धा बहुउद्देश्यीय सेवा | 59556.03 | महाराष्ट्र |
| 111 | | स्कूल की दीवारों पर बाला पेंटिंग लागू की गई | श्रद्धा बहुउद्देश्यीय सेवा | 1106223.97 | महाराष्ट्र |
| 112 | | कृत्रिम अंग शिविर का आयोजन | हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट | 600000.00 | ओडिशा |
| 113 | 2023- 24 | भागलपुर में रक्तदान शिविर के लिए सहयोग | वी केयर | 100000.00 | बिहार |

## आरईसी लिमिटेड

| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष | परियोजना का नाम | एनजीओ का नाम | व्यय की गई सीएसआर निधियां (करोड़ रूपये में) | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-22 | ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए किसान-केंद्रित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन | इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रोपिक्स (आईसीआरआईएसएटी), पाटनचेरु, आंध्र प्रदेश | 6.29 | आंध्र प्रदेश तेलंगाना |
| 2 | | कुष्ठ मिशन अस्पतालों में ऑपरेशन थियेटर और प्रसूति ब्लॉक का निर्माण और सुसज्जित करके कुष्ठ प्रभावित और अन्य गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना | द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली | 2.33 | 3 तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ |
| 3 | | वृद्धजनों की देखभाल हेतु आरोग्य सुविधा (60 सीटर) युक्त आश्रय गृह का निर्माण एवं प्रचालन। | हेल्पेज इंडिया, नई दिल्ली | 0.84 | लद्दाख |
| 4 | | हरियाणा के पैंतालीस गांवों में राष्ट्रपति भवन की स्मार्टग्राम पहल के लिए टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली प्रदान करना | स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स (एससीजीजे), नई दिल्ली | 0.17 | हरियाणा |
| 5 | | असाध्य कैंसर रोगियों की सहायता के लिए ब्रह्मर्षि मिशन समिति के अंतर्गत संचालित विराट हॉस्पिस में रेडियोथेरेपी यूनिट का निर्माण | ब्रह्मर्षि मिशन समिति, जबलपुर | 0.45 | मध्य प्रदेश |
| 6 | | कुंभ मेला स्थल और भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों पर 20 जल एटीएम मशीनें की संसंस्थापना के लिए सहायता। | बिसनौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान | 0.19 | उत्तर प्रदेश |
| 7 | | विशेष रूप से सक्षम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 700 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण (आवासीय)। | समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेब्ल्ड | 0.36 | अखिल भारत |
| 8 | | समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित 2000 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण तक। | महर्षि शिक्षण प्रसारक मंडल | 2.52 | महाराष्ट्र |
| 9 | | शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोर्टेबल और स्मार्ट मॉडल आंगनबाड़ियों के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संचालित समाधान | सेल्को फाउंडेशन, बैंगलोर | 0.05 | बिहार |
| 10 | | कैंसर में उपचार, अनुसंधान और शिक्षा के लिए उन्नत केंद्र (एसीटीआरईसी), टाटा मैमोरियल सेंटर, खारगहर, नवी मुंबई में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण | टाटा मैमोरियल सेंटर | 2.95 | महाराष्ट्र |
| 11 | | बिहार के पूर्णिया जिले में 200 आंगनवाड़ी केंद्र/प्राथमिक विद्यालय में 500 लीटर ओवरहेड स्टोरेज टैंक और 1 एचपी विद्युत पंप के साथ 200 रिवर्स ऑस्मोसिस जल शोधन संयंत्र की संसंस्थापना | सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ विलेजर्स एम्पावरमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑल (एसएवीईआरए) | 0.30 | बिहार |
| 12 | | संदलपुर गांव में आदिवासी बच्चों के लिए लड़कों के छात्रावास (दूसरी मंजिल) का निर्माण और बरकलिकापुर गांव में परिवार बंगाल आवासीय संस्थान में 150 आवासीय लड़कियों को पढ़ाई, भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करना। | परिवार एजुकेशन सोसायटी | 0.10 | 2 मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल |
| 13 | | विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए अनुसंधान एवं पुनर्वास केंद्र में अनुसंधान एवं पुनर्वास केंद्र (तीसरी मंजिल), गेट के साथ चारदीवारी और खेल का मैदान स्थापित करना | चेतना हिमाचल प्रदेश (सीएचपी), बिलासपुर | 0.39 | हिमाचल प्रदेश |
| 14 | | हरियाणा के गुरुग्राम में विभिन्न झुग्गियों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के 462 वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अभिनव मोबाइल स्कूल | ऑल इंडिया सिटीजन्स अलायंस फॉर प्रोग्रैस एंड डेवेलपमेंट (एआईसीएपीडी) | 0.11 | हरियाणा |
| 15 | | ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/महिला आदि से संबंधित 1200 लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण (आवासीय) कार्यक्रम। | सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस (सीआरआईएसपी), भोपाल | 1.14 | मध्य प्रदेश |
| 16 | | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/ईडब्ल्यूएस/वंचित वर्ग के 1100 बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण | द अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर | 0.55 | अखिल भारत |
| 17 | | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1000 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना | मैट्रिक्स सोसाइटी फॉरसोशल सर्विस (एमएएसएस) | 0.15 | उत्तर प्रदेश |
| 18 | | महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 500 महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण और उपकरण किट का वितरण प्रदान करना | राजुरेश्वर गणेश बहुदेशीय सेवाभावी संस्था (आरजीबीएसएस) | 0.62 | महाराष्ट्र |
| 19 | | देश भर में विशेष रूप से दिव्यांगजन को 3400 सहायता और उपकरणों का वितरण | श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बीएमवीएसएस), जयपुर, राजस्थान | 0.44 | कर्नाटक, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | विभिन्न स्थानों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/ईडब्ल्यूएस से संबंधित 2500 लोगों को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना | भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) | 1.14 | अखिल भारत |
| 21 | | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/ईडब्ल्यूएस आदि से संबंधित 360 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना। | भारतीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ट्रस्ट (आईआईएचईआरटी) | 0.09 | मध्य प्रदेश |
| 22 | | बिहार के 14 जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग और बुनियादी कैंसर देखभाल सेवाओं को मजबूत करना | टाटा मैमोरियल कैंसर अस्पताल | 3.74 | बिहार |
| 23 | | 140 बिस्तरों वाले घर का निर्माण (आनंदम का ब्लॉक-बी और पार्ट ब्लॉक-सी) - बेघर बीमार, निराश्रित, अज्ञात और बुजुर्ग लोगों के लिए एक घर | सपना | 0.26 | राजस्थान |
| 24 | | मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 150 आदिवासी लड़कियों के लिए आवासीय भवन (जी+2) के निर्माण के लिए सहायता और लगभग 11 सेवा कुटीरों को पढ़ाई, भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए 1541 बच्चों को सहायता प्रदान करना। | परिवार एजुकेशन सोसायटी | 1.61 | मध्य प्रदेश |
| 25 | | मूल्यपरक शिक्षा प्रदान करने के लिए भवन निर्माण हेतु सहायता। | आरके मिशन | 0.44 | हरियाणा |
| 26 | **2021-22** | सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में तैनात 300 डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रतिदिन पैक लंच की सुविधा प्रदान करना | ताज सैट्स एयर कैटरिंग लिमिटेड | 0.21 | नई दिल्ली |
| 27 | | उत्तर प्रदेश के झाँसी में 2 विद्युत सह गैस चालित (हाइब्रिड) शवदाह गृह की संस्थापना | नगर निगम, झाँसी | 3.53 | झांसी |
| 28 | | 'गुरुग्राम, हरियाणा एवं हरदोई, उत्तर प्रदेश में प्रवासी निर्माण श्रमिकों के 462 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु इनोवेटिव मोबाइल स्कूल का प्रचालन' | ऑल इंडिया सिटीजन्स अलायंस फॉर प्रोग्रैस एंड डेवेलपमेंट (एआईसीएपीडी) | 0.26 | गुरुग्राम, हरदोई |
| 29 | | केलवाड़ा (कुंभलगढ़) गांव, राजसमंद जिला, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति/समाज के कमजोर वर्ग के लिए छात्रावास भवन का निर्माण | राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद (आरवीकेपी) | 0.23 | राजसमंद |
| 30 | | उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सशक्त समुदायों के माध्यम से सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग में सुधार | प्रोग्रेसिव फाउंडेशन | 0.28 | उत्तर प्रदेश |
| 31 | | वृद्धजनों की देखभाल हेतु आरोग्य सुविधा (60 सीटर) युक्त आश्रय गृह का निर्माण एवं प्रचालन। | हेल्पेज इंडिया, नई दिल्ली | 0.65 | जम्मू एवं कश्मीर |
| 32 | | सूखा प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले किसानों को (रबी मौसम) बीजों का निःशुल्क वितरण | भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) | 3.52 | महाराष्ट्र |
| 33 | | 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में आरईसी द्वारा स्वच्छ विद्यालय अभियान (एसवीए) के अंतर्गत 2014-15 के दौरान निर्मित 12347 शौचालयों का सर्वेक्षण और मरम्मत | भारत सेवाश्रम संघ (बीएसएस) | 1.73 | उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश |
| 34 | **2022-23** | सुरक्षित पेयजल सुविधा | नंदी फाउंडेशन, हैदराबाद | 0.10 | 3 तेलंगाना, राजस्थान और पंजाब |
| 35 | | कुष्ठ मिशन अस्पतालों में ऑपरेशन थियेटर और प्रसूति ब्लॉक का निर्माण और सुसज्जित करके कुष्ठ प्रभावित और अन्य गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना | द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली | 1.16 | 3 तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ |
| 36 | | एसएसएमआई स्कूल के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार | स्वामी शिवानंद मैमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स (एसएसएमआई) | 0.85 | दिल्ली |
| 37 | | वृद्धजनों की देखभाल हेतु आरोग्य सुविधा (60 सीटर) युक्त आश्रय गृह का निर्माण एवं प्रचालन। | हेल्पेज इंडिया, नई दिल्ली | 0.70 | लद्दाख |
| 38 | | स्मार्टग्राम परियोजना के अंतर्गत सोलर रूफ-टॉप पावर पैनल और माइक्रो ग्रिड की संस्थापना | स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स | 0.29 | हरियाणा |
| 39 | | भारतीय जनजातियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईटीआईटीआई) में 50 केडब्ल्यूपी ग्रिड से जुड़े सौर पीवी की संस्थापना | स्वतंत्रता सेनानी लोकबंधु राममूर्ति पावसे सेवा न्यास, देहरादून | 0.09 | उत्तराखंड |
| 40 | | कुओं को गहरा करने, चेक डैम के नवीनीकरण एवं निर्माण तथा चिकित्सा शिविरों के आयोजन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास | राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद (आरवीकेपी), उदयपुर | 0.15 | राजस्थान |
| 41 | | कुंभ मेला स्थल और भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों पर 20 जल एटीएम मशीनों की संस्थापना के लिए सहायता | बिसनौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान | 0.19 | उत्तर प्रदेश |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | | किफायती सैनिटरी नैपकिन के निर्माण के लिए प्रशिक्षण और ग्रामीण लड़कियों/किशोरियों/महिलाओं के बीच मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता पैदा करना। | सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ़ यूथ एंड मैसेस (एसपीवाईएम) | 0.02 | हरियाणा |
| 43 | **2022-23** | कैंसर में उपचार, अनुसंधान और शिक्षा के लिए उन्नत केंद्र (एसीटीआरईसी), टाटा मैमोरियल सेंटर, खारगहर, नवी मुंबई में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण | टाटा मैमोरियल सेंटर | 2.32 | महाराष्ट्र |
| 44 | | बिहार के पूर्णिया जिले के 200 आंगनवाड़ी केंद्रों/प्राथमिक विद्यालयों में 500 लीटर ओवरहेड स्टोरेज टैंक और 1 एचपी विद्युत पंप के साथ 200 रिवर्स ऑस्मोसिस जल उपचार संयंत्र की संस्थापना | सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ विलेजर्स एम्पावरमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑल (एसएवीईआरए) | 0.30 | बिहार |
| 45 | | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/ईडब्ल्यूएस/वंचित वर्ग के 1100 बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण | द अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर | 0.26 | अखिल भारत |
| 46 | | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1000 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना | सामाजिक सेवा के लिए मैट्रिक्स सोसायटी (एमएएसएस) | 0.15 | उत्तर प्रदेश |
| 47 | | महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 500 महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण और उपकरण किट का वितरण प्रदान करना | राजुरेश्वर गणेश बहुदेशीय सेवाभावी संस्था (आरजीबीएसएस) | 0.68 | महाराष्ट्र |
| 48 | | देश भर में विशेष रूप से दिव्यांगजन को 3400 सहायता और उपकरणों का वितरण | श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बीएमवीएसएस), जयपुर, राजस्थान | 1.02 | कर्नाटक, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश |
| 49 | | विभिन्न स्थानों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/ईडब्ल्यूएस से संबंधित 2500 लोगों को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना | भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) | 0.93 | अखिल भारत |
| 50 | | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/ईडब्ल्यूएस आदि से संबंधित 360 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना। | भारतीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ट्रस्ट (आईआईएचईआरटी) | 0.26 | मध्य प्रदेश |
| 51 | | बिहार के 14 जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग और बुनियादी कैंसर देखभाल सेवाओं को मजबूत करना | टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल | 0.35 | बिहार |
| 52 | | '140 बिस्तरों वाले घर का निर्माण (आनंदम का ब्लॉक-बी और पार्ट ब्लॉक-सी) - बेघर बीमार, निराश्रित, अज्ञात और बुजुर्ग लोगों के लिए एक घर | सपना | 0.79 | राजस्थान |
| 53 | | मूल्यपरक शिक्षा प्रदान करने के लिए भवन निर्माण हेतु सहायता। | आरके मिशन | 0.14 | हरियाणा |
| 54 | | उत्तर प्रदेश के झाँसी में 2 विद्युत सह गैस चालित (हाइब्रिड) शवदाह गृह की संस्थापना | नगर निगम, झाँसी | 0.38 | झांसी |
| 55 | **2022-23** | 'गुरुग्राम, हरियाणा एवं हरदोई, उत्तर प्रदेश में प्रवासी निर्माण श्रमिकों के 462 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु इनोवेटिव मोबाइल स्कूल का प्रचालन' | ऑल इंडिया सिटीजन्स अलायंस फॉर प्रोग्रैस एंड डेवेलपमेंट (एआईसीएपीडी) | 0.13 | गुरुग्राम, हरदोई |
| 56 | | 'केलवाड़ा (कुंभलगढ़) गांव, राजसमंद जिला, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति/समाज के कमजोर वर्ग के लिए छात्रावास भवन का निर्माण, | राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद (आरवीकेपी) | 0.74 | राजसमंद |
| 57 | | उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सशक्त समुदायों के माध्यम से "सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग में सुधार | प्रोग्रेसिव फाउंडेशन | 0.28 | उत्तर प्रदेश |
| 58 | | वृद्धजनों की देखभाल हेतु आरोग्य सुविधा (60 सीटर) युक्त आश्रय गृह का निर्माण एवं प्रचालन। | हेल्पेज इंडिया, नई दिल्ली | 0.16 | जम्मू एवं कश्मीर |
| 59 | | जैव विविधता एवं वन्य जीव संरक्षण प्रयोगशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र की संस्थापना | अटल इन्क्यूबेशन सेंटर - सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (एआईसी-सीसीएमबी), हैदराबाद | 0.72 | कश्मीर, श्रीनगर और लद्दाख |
| 60 | | 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में आरईसी द्वारा स्वच्छ विद्यालय अभियान (एसवीए) के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान निर्मित 12347 शौचालयों का सर्वेक्षण और मरम्मत | भारत सेवाश्रम संघ (बीएसएस) | 21.87 | उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश |
| 61 | | मैसूर (कर्नाटक) और बरेली (यूपी) की शहरी मलिन बस्तियों में लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) की व्यापकता को कम करने के लिए | भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (पीएचआरआईआई), मैसूर और आरईसी फाउंडेशन | 0.61 | कर्नाटक और उत्तर प्रदेश |
| 62 | | मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में चलाई जाने वाली 15 एम्बुलेंस की खरीद | परिवार एजुकेशन सोसाइटी (पीईएस) | 1.06 | मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले |
| 63 | | तीन वर्ष की अवधि के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए 10 मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिकों की खरीद, प्रचालन और रखरखाव | डॉक्टर्स फॉर यू | 4.00 | भोजपुर जिला, बिहार |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | | असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में विशेष रूप से दिव्यांगजन को 4300 सहायता और उपकरण प्रदान किए | श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बीएमवीएसएस) | 0.60 | पूरे भारत में |
| 65 | **2023-24** | ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए किसान-केंद्रित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन | इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रोपिक्स (आईसीआरआईएसएटी), पाटनचेरु, आंध्र प्रदेश | 0.35 | 2 आंध्र प्रदेश तेलंगाना |
| 66 | | महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 500 महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण और उपकरण किट का वितरण प्रदान करना | राजुरेश्वर गणेश बहुदेशीय सेवाभावी संस्था (आरजीबीएसएस) | 0.28 | महाराष्ट्र |
| 67 | | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/ईडब्ल्यूएस आदि से संबंधित 360 लाभार्थियों को रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना। | भारतीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ट्रस्ट (आईआईएचईआरटी) | 0.17 | मध्य प्रदेश |
| 68 | | 140 बिस्तरों वाले घर का निर्माण (आनंदम का ब्लॉक-बी और पार्ट ब्लॉक-सी) - बेघर बीमार, निराश्रित, अज्ञात और बुजुर्ग लोगों के लिए एक घर | सपना | 0.15 | राजस्थान |
| 69 | | केलवाड़ा (कुंभलगढ़) गांव, राजसमंद जिला, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति/समाज के कमजोर वर्ग के लिए छात्रावास भवन का निर्माण | राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद (आरवीकेपी) | 0.26 | राजसमंद |
| 70 | | उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सशक्त समुदायों के माध्यम से सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग में सुधार | प्रोग्रेसिव फाउंडेशन | 0.14 | उत्तर प्रदेश |
| 71 | | सूखा प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले किसानों को (रबी मौसम) बीजों का निःशुल्क वितरण | भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) | 0.66 | महाराष्ट्र |
| 72 | | 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में आरईसी द्वारा स्वच्छ विद्यालय अभियान (एसवीए) के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान निर्मित 12347 शौचालयों का सर्वेक्षण और मरम्मत | भारत सेवाश्रम संघ (बीएसएस) | 1.00 | उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश |
| 73 | | मैसूर (कर्नाटक) और बरेली (यूपी) की शहरी मलिन बस्तियों में लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) की व्यापकता को कम करने के लिए | पब्लिक हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (पीएचआरआई), मैसूर और आरईसी फाउंडेशन | 0.46 | कर्नाटक और उत्तर प्रदेश |
| 74 | | मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में चलाई जाने वाली 15 एम्बुलेंस की खरीद | परिवार एजुकेशन सोसाइटी (पीई) | 0.26 | मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले |
| 75 | | तीन वर्ष की अवधि के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए 10 मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिकों की खरीद, प्रचालन और रखरखाव | डॉक्टर्स फॉर यू | 1.49 | भोजपुर जिला, बिहार |
| 76 | | असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में विशेष रूप से दिव्यांगजन को 4300 सहायता और उपकरण प्रदान किए | श्री भगवान महावीर विकास सहायता समिति (बीएमवीएसएस) | 0.60 | पूरे भारत में |
| 77 | | एसवीए के अंतर्गत आरईसी द्वारा निर्मित शौचालयों की दो किश्तों में मरम्मत/सुधार; किश्त-2 1681 शौचालयों के मरम्मत/सुधार की है | भारत सेवाश्रम संघ (बीएसएस) | 14.82 | उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश |
| 78 | **2023-24** | इनक्यूबेटरों के लिए गुजरात फ़ाउंडेशन फॉर एंटरप्रेंयूरिअल एक्सीलेंस (जीएफईई) के कोष में 3 साल की अवधि में ₹20 करोड़ का योगदान, अर्थात् प्रति वर्ष 6.66 करोड़ रूपये। | गुजरात फ़ाउंडेशन फॉर एंटरप्रेंयूरिअल एक्सीलेंस (जीएफईई) | 6.66 | गुजरात |
| 79 | | लर्न एंड अर्न- तीन साल की अवधि में परिधान निर्माण और उद्यमिता में 300 युवाओं को स्नातक की डिग्री प्रदान करने के लिए आरईसी फाउंडेशन की एक पहल | द अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी) | 1.34 | अखिल भारत |

## एनएचपीसी लिमिटेड

| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष | परियोजना का नाम | एनजीओ का नाम | व्यय की गई सीएसआर निधियां (लाख रूपये में) | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-22 | सेवा भारती, एक गैर सरकारी संगठन जो संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर जिलों के दूर-दराज के इलाकों में बीमार व्यक्तियों को एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान कर रहा है, के लिए एम्बुलेंस का प्रापण/खरीद (पंजीकरण सहित) के लिए सीएसआर सहायता। | सेवा भारती, जम्मू | 25.02 | जम्मू एवं कश्मीर |
| 2 | | सीएसआर परियोजना के लिए 'आरोग्य-प्राथमिक स्वास्थ्य जांच एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान तथा जिला डोडा (आरओ जम्मू) में गैर संचारी रोगों के लिए विशेष ध्यान देते हुए द्वितीयक देखभाल की सुविधा। | सहारा हेल्थ एण्ड डेवलपमेंट सोसायटी। | 50.25 | जम्मू एवं कश्मीर |
| 3 | | योग मानव विकास ट्रस्ट, बनीखेत, जिला चंबा (हिमाचल प्रदेश) के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को कटिंग और सिलाई, सौंदर्य संस्कृति और कंप्यूटर अनुप्रयोगों में प्रमाणपत्र के व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। | योग मानव विकास ट्रस्ट, बनीखेत, चम्बा | 4.50 | हिमाचल प्रदेश |
| 4 | | जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में आउटरीच स्वास्थ्य सेवा परियोजना के लिए समर्थन। | सहारा हेल्थ एण्ड डेवलपमेंट सोसायटी। | 25.00 | जम्मू एवं कश्मीर |
| 5 | | ड्राइंग एवं पेंटिंग लैब में सुधार हेतु बधिरों के लिए अनुश्रुति अकादमी (एएडी), आईआईटी रुड़की को वित्तीय सहायता। | अनुश्रुति डेफ एकादमी, देहरादून | 2.34 | उत्तराखंड |
| 6 | | मेडिकल मोबाइल यूनिट्स (एमएमयू) के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रयास सोसायटी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को सीएसआर सहायता | प्रयास सोसायटी, हमीरपुर | 10.00 | हिमाचल प्रदेश |
| 7 | | परिक्रमा मार्ग, गिरिराज तलहटी, गोवर्धन, मथुरा में 200 पेड़ों के वृक्षारोपण और 5 साल के रखरखाव के लिए योगदान। | वंशीवट आश्रम, गोवर्धन, मथुरा | 1.46 | उत्तर प्रदेश |
| 1 | 2022-23 | बालिका निकेतन, वेद मंदिर समिति, अम्फाला, जम्मू के मौजूदा भवन के ऊपर दो अतिरिक्त मंजिल के भवन का निर्माण | वेद मंदिर कमिटी, जम्मू | 25.00 | जम्मू एवं कश्मीर |
| 2 | | ग्रामीण युवाओं के लिए कटाई और सिलाई, सौंदर्य संस्कृति के व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग में प्रमाण पत्र। | योग मानव विकास ट्रस्ट बनीखेत, चंबा | 1.50 | हिमाचल प्रदेश |
| 3 | | योग मानव विकास ट्रस्ट, बनीखेत, जिला चंबा (हिमाचल प्रदेश) के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को कटिंग और सिलाई, सौंदर्य संस्कृति तथा कंप्यूटर अनुप्रयोग एवं योग विज्ञान में प्रमाणपत्र के व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। | योग मानव विकास ट्रस्ट बनीखेत, चंबा | 10.90 | हिमाचल प्रदेश |
| 4 | | जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में आउटरीच स्वास्थ्य सेवा परियोजना के लिए सहायता। | सहारा हेल्थ एंड डेवलपमेंट सोसाइटी | 25.00 | जम्मू एवं कश्मीर |
| 5 | | सुनाम, जिला संगरूर, पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र के लिए मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक के लिए 01 नग मोबाइल मेडिकल यूनिट की खरीद। | ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एन्ड कल्चरल अवेयरनेस , नई दिल्ली | 27.12 | पंजाब |
| 6 | | पंजाब के ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए मोबाइल लाइब्रेरी प्रदान करना। | सर्वहितकारी एजुकेशनल सोसायटी | 21.66 | पंजाब |
| 7 | | सिक्किम में परियोजना क्षेत्र के निकट स्थानीय लोगों के लिए आजीविका सृजन एवं रोजगार हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की व्यवस्था। | मेधावी फाउंडेशन | 5.82 | सिक्किम |
| 8 | | अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले के डोलुंगमुख सर्कल की 160 वंचित महिलाओं को 01 वर्ष की अवधि के लिए स्वचालित हथकरघा के प्रचालन पर आजीविका संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान करना। | केमली मल्टीपरपस कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड | 46.40 | अरुणाचल प्रदेश |
| 9 | | डोलुंगमुख सर्कल, कामले जिला, अरुणाचल प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को बढ़ाने के लिए "सूअर पालन" को बढ़ावा देना। | इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट | 18.00 | अरुणाचल प्रदेश |
| 10 | | विवेकानन्द विद्यालयम, कोठामंगलम, एर्नाकुलम, केरल में किंडर गार्डन का विकास। | सेवाकिरण चैरिटेबल सोसायटी, एर्नाकुलम, केरल | 63.20 | केरल |
| 11 | | मेडिकल मोबाइल यूनिट (एमएमयू) के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रयास सोसायटी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को सीएसआर सहायता। | प्रयास सोसायटी, हमीरपुर | 50.00 | हिमाचल प्रदेश |
| 12 | | मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग वैन की खरीद के लिए संकल्प कैंसर केयर फाउंडेशन को सीएसआर सहायता। | संकल्प कैंसर केयर फाउंडेशन, नई दिल्ली | 25.32 | दिल्ली |
| 13 | | नूंह आकांक्षी जिले, हरियाणा में ग्रामीण समुदाय के बीच स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए सहायता। | बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, नोएडा | 6.16 | हरियाणा |
| 14 | | डॉ. हेडगेवार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च तथा भरणी मेमोरियल क्रिटिकल केयर यूनिट, अमरावती, महाराष्ट्र को मिनिमली इनवेसिव एंडोस्कोपिक सर्जरी सेटअप प्रदान करना। | जन कल्याण सेवा संस्था, अमरावती | 34.49 | महाराष्ट्र |
| 15 | | आरोग्यधाम तथा स्कूलों का क्रमशः 150 केवीए सौर संयंत्र एवं जल शोधक प्रदान करके अवसंरचनात्मक विस्तार" (दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकुट, सतना, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित)। | दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट , नई दिल्ली | 82.70 | मध्य प्रदेश |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | उच्च परिशुद्धता गुणवत्ता वाले उपकरण प्रदान करके कैंई वामनराव ओका ब्लड सेंटर, ठाणे, महाराष्ट्र का उन्नयन। | राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समिति, पुणे | 25.00 | महाराष्ट्र |
| 17 | **2022-23** | 250 एलपीएच आरओ सिस्टम की एक इकाई की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग तथा इसके दो साल के रखरखाव के लिए नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड को सीएसआर सहायता। | नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, नई दिल्ली | 0.09 | हरियाणा |
| 18 | | हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक वर्ष के लिए एक शिक्षा और एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चलाने के लिए सीएसआर सहायता। | पुनर्जागरण समिति, नई दिल्ली | 0.96 | हरियाणा |
| 19 | | सरखेज, अहमदाबाद में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए "शिक्षण संकुल" छात्रावास भवन की फिनिशिंग एवं साज-सज्जा। | शिक्षण विकास सेवा ट्रस्ट, अहमदाबाद | 49.63 | गुजरात |
| 20 | | कैलाना गांव, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक पुस्तकालय-सह-अध्ययन केंद्र की संस्थापना | द सेंटर फॉर रिहेबीलिटेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ डिसेबल्स (ट्रस्ट क्रेडल), नई दिल्ली | 11.00 | हरियाणा |
| 21 | | डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, फ़रीदाबाद में स्मार्ट कक्षाओं के लिए इंटरैक्टिव पैनल प्रदान करना | दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसायटी, फ़रीदाबाद | 5.45 | हरियाणा |
| 22 | | स्मार्ट क्लासरूम और माता-पिता/अभिभावकों के लिए प्रतीक्षालय उपलब्ध कराकर चित्रकुट, सतना, मध्य प्रदेश स्थित स्कूलों का अवसंरचना विस्तार | दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट , नई दिल्ली | 72.33 | मध्य प्रदेश |
| 23 | | सुनाम, उधम सिंह वाला, जिला-संगरूर, पंजाब के प्रमुख स्थानों पर 20 भारी लैंप की संस्थापना। | ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एन्ड कल्चरल अवेयरनेस , नई दिल्ली | 20.83 | पंजाब |
| 24 | | बौद्धिक और विकास डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूआईडीडी) को नियमित खेल प्रशिक्षण प्रदान करना। | स्पेशल ओलंपिक्स भारत, नई दिल्ली | 30.00 | हिमाचल/ अरुणाचल/ असम/त्रिपुरा/ जम्मू-कश्मीर/ लद्दाख |
| 1 | **2023-24** | बालिका निकेतन, वेद मंदिर समिति, अम्फाला, जम्मू की मौजूदा इमारत के ऊपर दो अतिरिक्त मंजिला इमारत का निर्माण | वेद मंदिर कमिटी, जम्मू | 25 | जम्मू एवं कश्मीर |
| 2 | | रियासी में बेरोजगार गरीब किशोरियों और महिलाओं के लिए सक्षम आजीविका और कौशल विकास कार्यक्रम | यूथ ब्रिगेड वेलफेयर सोसायटी, रियासी, जम्मू | 1.12 | जम्मू एवं कश्मीर |
| 3 | | महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर, लेह के लिए एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराना | महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर , लेह | 22 | लद्दाख |
| 4 | | योग मानव विकास ट्रस्ट, बनीखेत, जिला चंबा (हिमाचल प्रदेश) के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को कटिंग और सिलाई, सौंदर्य संस्कृति और कंप्यूटर अनुप्रयोगों और योग विज्ञान में प्रमाणपत्र के व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम | योग मानव विकास ट्रस्ट बनीखेत, चंबा | 1.75 | हिमाचल प्रदेश |
| 5 | | तीन वर्षों 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए योग मानव विकास ट्रस्ट, बनीखेत, जिला चंबा (हिमाचल प्रदेश) के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को कटिंग और सिलाई, सौंदर्य संस्कृति और कंप्यूटर अनुप्रयोगों में प्रमाणपत्र के व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। (परियोजना लागत 57.51 लाख रुपए ) | योग मानव विकास ट्रस्ट बनीखेत, चंबा | 5 | हिमाचल प्रदेश |
| 6 | | अरापंच, सोनारपुर, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरोग्य संधान संतोषपुर वैकल्पिक घर की तीसरी मंजिल का निर्माण | आरोग्य संधान संतोषपुर | 25 | पश्चिम बंगाल |
| 7 | | अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले के डोलुंगमुख सर्कल की 160 वंचित महिलाओं को 01 वर्ष की अवधि के लिए स्वचालित हथकरघा के प्रचालन पर आजीविका संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान करना। | केमली मल्टीपरपस कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड | 5.5 | अरुणाचल प्रदेश |
| 8 | | विवेकानन्द विद्यालयम, कोठामंगलम, एर्नाकुलम, केरल में किंडर गार्डन का विकास। | सेवाकिरण चैरिटेबल सोसायटी, एर्नाकुलम, केरल | 15.8 | केरल |
| 9 | | हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक वर्ष के लिए एक शिक्षा और सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चलाने के लिए सीएसआर समर्थन। | पुनर्जागरण समिति, नई दिल्ली | 2.29 | हरियाणा |
| 10 | | कैलाना गांव, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक पुस्तकालय-सह-अध्ययन केंद्र की संस्थापना | द सेंटर फॉर रिहेबीलिटेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ डिसेबल्स (ट्रस्ट क्रेडल), नई दिल्ली | 11 | हरियाणा |

## पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष | परियोजना का नाम | एनजीओ का नाम | व्यय की गई सीएसआर निधियां (₹ करोड़ में) | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-22 | पंजाब के 4 जिलों में अकाल अकादमी स्कूलों में कक्षाओं और संबद्ध सुविधाओं के निर्माण के लिए परियोजना | द कलगीधर सोसाइटी | 5.30 | पंजाब |
| 2 | | देश भर के विभिन्न कुष्ठ मिशन अस्पतालों में 450 किलोवाट की संचयी क्षमता के साथ ग्रिड कनेक्टेड एसपीवी पावर प्लांट की आपूर्ति, संस्थापना और कमीशनिंग के लिए परियोजना | कुष्ठ रोग मिशन अस्पताल | 1.99 | अखिल भारत |
| 3 | 2022-23 | श्रीवलसम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसआईएमएस) अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा उपकरण प्रदान कराने के लिए परियोजना | श्रीवल्सम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (सिम्स) अस्पताल | 0.97 | केरल |
| 4 | | खानवेल में 'वनवासी कल्याण आश्रम' परिसर में जी+1 छात्रावास भवन के निर्माण की परियोजना | वनवासी कल्याण आश्रम | 5.08 | दादर नगर हवेली |
| 5 | | अमरावती जिले में डॉ. हेडगेवार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (डीएचआईएमएसआर) अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा उपकरण प्रदान कराने की परियोजना | डॉ. हेडगेवार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (डीएचआईएमएसआर) | 1.91 | महाराष्ट्र |
| 6 | | 'स्वास्थ्य सेवाओं' का उन्नयन और कलगीधर सोसाइटी, बरू साहिब, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश (टीकेएस) के लिए 'मुफ्त सामुदायिक रसोई' के लिए उपकरण प्रदान करना' | द कलगीधर सोसाइटी | 1.23 | हिमाचल प्रदेश |
| 7 | | मुर्शिदाबाद, कोलकाता में तैनात किए जाने वाले भारत सेवाश्रम संघ (बीएसएस) के लिए (1) कैंसर जांच और जागरूकता मोबाइल वैन और संबंधित उपकरणों की खरीद | भारत सेवाश्रम संघ (बीएसएस) | 3.47 | पश्चिम बंगाल |
| 8 | 2023-24 | एसजीजीएस विद्या केंद्र, दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की संस्थापना और कमीशनिंग के लिए परियोजना | एसजीजीएस विद्या केंद्र | 0.48 | दिल्ली |
| 9 | | स्वामी वेदानन्द वेद विद्यालय, कुटेटी, उत्तरकाशी में छात्र आवासीय सुविधाओं का विस्तार एवं अन्य विकास कार्य | स्वामी वेदानन्द वेद विद्यालय | 1.02 | उत्तराखंड |
| 10 | | स्वामी विवेकानन्द ब्लड सेंटर, कोयंबटूर के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद और संस्थापना के लिए परियोजना | स्वामी विवेकानन्द ब्लड सेंटर | 0.95 | तमिलनाडु |
| 11 | | सेवा भारती चेवयूर, कोझिकोड, केरल के लिए एम्बुलेंस की खरीद हेतु परियोजना | सेवा भारती चेवयूर | 0.21 | केरल |

## पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष | परियोजना का नाम | एनजीओ का नाम | व्यय की गई सीएसआर निधियां (₹ लाख में) | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **2021-22** | चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र भद्राद्रि-कोठागुडेम जिले में सिकल सेल रोग और थैलेसीमिया का पता लगाने के लिए नैदानिक परीक्षण किट | इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस), तेलंगाना राज्य शाखा | 2.24 | तेलंगाना |
| 2 | | मेवात, फ़रीदाबाद और गुरुग्राम के जिला अस्पतालों के लिए 10 नियोनेटल वेंटिलेटरों तथा 10 एबीजी मशीनों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता | हरियाणा राज्य सीएसआर ट्रस्ट (एचएससीएसआरटी) | 469.41 | हरियाणा |
| 3 | | हरियाणा के 12 जिलों के 240 सरकारी स्कूलों में 480 स्मार्ट क्लास रूम की संसंस्थापना एवं आपूर्ति | हरियाणा राज्य सीएसआर ट्रस्ट (एचएससीएसआरटी) | 1296.22 | हरियाणा |
| 4 | | असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ के 1632 हिंसा प्रभावित छात्रों की शिक्षा के लिए नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्यूनल हार्मनी (एनएफसीएच) को वित्तीय सहायता | नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्यूनल हार्मनी (एनएफसीएच) | 255.51 | असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ |
| 5 | **2022-23** | चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र भद्राद्रि-कोठागुडेम जिले में सिकल सेल रोग और थैलेसीमिया का पता लगाने के लिए नैदानिक परीक्षण किट | इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस), तेलंगाना राज्य शाखा | 2.24 | तेलंगाना |
| 6 | | तेलंगाना में आईआरसीएस विभिन्न ब्लड बैंकों को ब्लड बैंक उपकरण | इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस), तेलंगाना राज्य शाखा | 233.34 | तेलंगाना |
| 7 | | सीएसआर के अंतर्गत गुड़गांव और फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम | हरियाणा राज्य सीएसआर ट्रस्ट (एचएससीएसआरटी) | 10.28 | हरियाणा |
| 8 | | आजादी के 75 वर्ष के उत्सव "आजादी का अमृत महोत्सव" के हिस्से के रूप में (1) विजयवाड़ा एसएस के निकट नुन्ना गांव (2) विजाग एसएस के निकट कोंडालिंगलावलसा गांव में चिकित्सा शिविर | इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस), आंध्र प्रदेश राज्य शाखा | 2.6 | आंध्र प्रदेश |
| 9 | | असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ के 1600 हिंसा प्रभावित छात्रों की शिक्षा के लिए नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्यूनल हार्मनी (एनएफसीएच) को वित्तीय सहायता | नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्यूनल हार्मनी (एनएफसीएच) | 251.4 | असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ |
| 10 | **2023-24** | इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, चित्तूर के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में घटक पृथक्करण सुविधाओं के साथ पूर्ण विकसित रक्त बैंक की संस्थापना | इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस), आंध्र प्रदेश राज्य शाखा | 28.88 | आंध्र प्रदेश |

## एसजेवीएन लिमिटेड

| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष | परियोजना का नाम | एनजीओ का नाम | व्यय की गई सीएसआर निधियां (₹ लाख में) | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **स्वास्थ्य देखभाल** | | | |
| | | परियोजना क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिटों (एमएमयू) के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना | हेल्पएज, भारत, नई दिल्ली | 395.95 | हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र |
| | | बक्सर थर्मल पावर प्लांट (बीटीपीपी), बिहार में मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना | धनुष फाउंडेशन, बिहार | 50.00 | बिहार |
| | | परियोजना क्षेत्रों में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना | भारतीय धरोहर, नई दिल्ली | 145.12 | हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश |
| | **2021-22** | परियोजना क्षेत्रों में विशिष्ट स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना | हेल्पएज, भारत, नई दिल्ली | 9.08 | हिमाचल प्रदेश |
| | | आईजीएमसी, शिमला में कैंसर रोगियों के लिए रोटरी आश्रय भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना | रोटरी क्लब, शिमला (हिमाचल प्रदेश) | 15.00 | हिमाचल प्रदेश |
| | | हिमाचल प्रदेश में विशिष्ट स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन | ओपन हैण्ड वेल्फेयर सोसायटी, सोलन | 3.00 | हिमाचल प्रदेश |
| | | हिमाचल प्रदेश में विशिष्ट कैंसर जांच स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन | ग्लोबल कैंसर कंसर्न, चंडीगढ़ | 3.91 | हिमाचल प्रदेश |
| 2 | | **शिक्षा एवं कौशल विकास** | | | |
| | | एसजेवीएन सिल्वर जुबली मेरिट छात्रवृति योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना | हिमकॉन, शिमला (हिमाचल प्रदेश) | 161.55 | हिमाचल प्रदेश |
| | | विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना | हिमकॉन, शिमला (हिमाचल प्रदेश) | 24.68 | हिमाचल प्रदेश |
| | | प्रतियोगी परीक्षा में चयन के लिए वंचित मेधावी छात्रों को कोचिंग | नेशनल सुपर-30, नई दिल्ली | 0.84 | दिल्ली |
| | | किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) के अंतर्गत गांवों में बागवानी आधारित आजीविका परियोजना | नाबार्ड के सहयोग से एचएआरपी | 114.98 | हिमाचल प्रदेश |
| | | स्टार्टअप को समर्थन (सीपीएसई कॉन्क्लेव) - पारंपरिक कला और हस्तशिल्प आदि का विकास। | (i) स्वावलंबन (किन्नौर), हिमाचल प्रदेश | 9.56 | हिमाचल प्रदेश |
| | | | (ii) किन्नौर, धरोहर(हिमाचल प्रदेश) | 2.34 | हिमाचल प्रदेश |
| | | विशेष बच्चों को कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता | उड़ान शिमला | 3.75 | हिमाचल प्रदेश |
| 3 | | **सांस्कृतिक,** धरोहर एवं **प्रतिष्ठित स्थानों का संरक्षण और संवर्धन** | | | |
| | | श्री परशुराम मंदिर, निरमंड के निर्माणार्थ वित्तीय सहायता | मंदिर ट्रस्ट | 8.74 | हिमाचल प्रदेश |
| | | यात्री सदन, चूड़धार, श्री काली मंदिर, देयोन्दर जैसे सांस्कृतिक धरोहर स्थलों को सहायता | मंदिर ट्रस्ट (एचपी) | 49.05 | हिमाचल प्रदेश |
| | **2021-22** | श्री बद्री नाथ टाउन का आध्यात्मिक हिल टाउन के रूप में विकास | श्री बद्रीनाथ चैरिटेबल उत्थान ट्रस्ट | 466.00 | उत्तराखंड |
| | | केवडिया -स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात के एकीकृत विकास के लिए वित्तीय सहायता | सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट | 290.00 | गुजरात |
| 4 | | **झुग्गी- झोपड़ी** क्षेत्र **का** विकास | | | |
| | | मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना | आरोहण, नई दिल्ली | 7.00 | दिल्ली |
| 1 | **2022-23** | **स्वास्थ्य देखभाल** | | | |
| | | परियोजना क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिटों (एमएमयू) के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना | हेल्प एज, भारत, नई दिल्ली | 448.83 | हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र |
| | | बक्सर, थर्मल पावर प्लांट (बीटीपीपी) बिहार में मोबाइल मेडिकल यूनिटों (एमएमयू) के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना | धनुष फाउंडेशन, बिहार | 50.00 | बिहार |
| | | परियोजना क्षेत्रों में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना | भारतीय धरोहर, नई दिल्ली | 224.36 | एचपी, उत्तराखंड, बिहार और यूपी |
| | | हिमाचल प्रदेश में विशिष्ट/बहु विशिष्ट स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करवाना | ओपन हैण्ड वेल्फेयर सोसायटी, सोलन | 29.90 | हिमाचल प्रदेश |
| | | समाज के वंचित बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर | उषा महाजन स्मारक समाज सेवा संस्था | 7.74 | हिमाचल प्रदेश |
| 2 | | **शिक्षा एवं कौशल विकास** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | एसजेवीएन सिल्वर जुबली मेरिट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना | हिमकॉन, शिमला (हिमाचल प्रदेश) | 99.17 | हिमाचल प्रदेश |
| | | विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना | हिमकॉन, शिमला (हिमाचल प्रदेश) | 55.92 | हिमाचल प्रदेश |
| | | | आरसीईडी, चंडीगढ़ | 16.00 | हिमाचल प्रदेश |
| | | किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) के अंतर्गत गांवों में बागवानी आधारित आजीविका परियोजना | नाबार्ड के सहयोग से एचएआरपी | 8.55 | हिमाचल प्रदेश |
| | | विशेष रूप से सक्षम बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता | उड़ान संस्थान, न्यू शिमला | 19.08 | हिमाचल प्रदेश |
| 3 | | सांस्कृतिक, धरोहर एवं **प्रतिष्ठित स्थानों का संरक्षण और संवर्धन** | | | |
| | | श्री परशुराम मंदिर, निरमंड के निर्माणार्थ वित्तीय सहायता | मंदिर ट्रस्ट | 11.65 | हिमाचल प्रदेश |
| | | यात्री सदन, चूड़धार, श्री काली मंदिर, देयोन्दर जैसे अन्य सांस्कृतिक धरोहर स्थलों को सहायता | मंदिर ट्रस्ट (हिमाचल प्रदेश) | 55.67 | हिमाचल प्रदेश |
| | | श्री बद्री नाथ टाउन का आध्यात्मिक हिल टाउन के रूप में विकास | श्री बद्रीनाथ चैरिटेबल उत्थान ट्रस्ट | 0 | उत्तराखंड |
| 4 | | **झुग्गी-** झोपड़ी **क्षेत्र** का **विकास** | | | |
| | **2022-23** | मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना | आरोहण, नई दिल्ली | 3.00 | दिल्ली |
| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | **परियोजना का नाम** | **एनजीओ का नाम** | **सीएसआर व्यय निधि (लाख रूपये में)** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** |
| 1 | | **स्वास्थ्य देखभाल** | | | |
| | **2023-24** | परियोजना क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिटों (एमएमयू) के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना | हेल्पएज, भारत, नई दिल्ली | 112.16 | हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र |
| | | बक्सर थर्मल पावर प्लांट (बीटीपीपी) बिहार में मोबाइल मेडिकल यूनिटों (एमएमयू) के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना | धनुष फाउंडेशन, बिहार | 25.00 | बिहार |
| | | परियोजना क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिटों (एमएमयू) के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना | पिरामल स्वास्थ्य, हैदराबाद | 43.04 | गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश |
| | | हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन | ओपन हैण्ड वेल्फेयर सोसायटी, सोलन | 21.12 | हिमाचल प्रदेश |
| | | समाज के वंचित बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर | उषा महाजन स्मारक समाज सेवा संस्था | 5.16 | हिमाचल प्रदेश |
| 2 | | **शिक्षा एवं कौशल विकास** | | | |
| | | एसजेवीएन सिल्वर जुबली मेरिट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना | हिमकॉन, शिमला (हिमाचल प्रदेश) | 50.70 | हिमाचल प्रदेश |
| | | विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना | आरसीईडी, चंडीगढ़ | 10.49 | हिमाचल प्रदेश |
| | **2023-24** | नई दिल्ली में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण | जन कल्याण शिक्षा समिति, नई दिल्ली | 90.00 | दिल्ली |
| | | मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना | आरोहण, नई दिल्ली | 1.46 | दिल्ली |
| 3 | | सांस्कृतिक, धरोहर एवं **प्रतिष्ठित स्थानों का संरक्षण और संवर्धन** | | | |
| | | श्री काली मंदिर देयोंदर आदि जैसे अन्य सांस्कृतिक धरोहर स्थलों को सहायता | मंदिर ट्रस्ट (हिमाचल प्रदेश) | 12.50 | हिमाचल प्रदेश |
| | | शेष नेत्र झील के विकासार्थ आध्यात्मिक हिल टाउन के रूप में श्री बद्री नाथ टाउन का विकास | श्री बद्रीनाथ चैरिटेबल उत्थान ट्रस्ट | 389.00 | उत्तराखंड |
| | | आध्यात्मिक हिल टाउन के रूप में श्री केदार नाथ टाउन में यात्री आवास ब्लॉक का विकास | श्री केदानाथ चैरिटेबल उत्थान ट्रस्ट | 300.00 | उत्तराखंड |

## टीएचडीसी लिमिटेड

| क्र. सं. | वित्तीय वर्ष | परियोजना का नाम | एनजीओ का नाम | व्यय की गई सीएसआर निधियां (₹ लाख में) | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-22 | स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि | सेवा- टीएचडीसी | 585.82 | उत्तराखंड |
| | | | | 11.68 | उत्तर प्रदेश |
| | | | | 15.35 | मध्य प्रदेश |
| 2 | | शिक्षा एवं रोजगार, व्यावसायिक कौशल वृद्धि आदि | सेवा- टीएचडीसी | 996.29 | उत्तराखंड |
| | | | | 8.92 | उत्तर प्रदेश |
| | | | | 4.00 | मध्य प्रदेश |
| 3 | | महिला सशक्तिकरण और वृद्धाश्रम स्थापित करना आदि | सेवा- टीएचडीसी | 25.08 | उत्तराखंड |
| | | | | | मध्य प्रदेश |
| 4 | | पर्यावरण स्थिरता आदि | सेवा- टीएचडीसी | 168.60 | उत्तराखंड |
| 5 | | कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ आदि | | 218.76 | उत्तराखंड |
| | | | | 2.00 | त्रिपुरा |
| 6 | | सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं आदि के लाभ के लिए उपाय | सेवा- टीएचडीसी | 10.00 | दिल्ली |
| 7 | | खेल आदि को प्रोत्साहन देना | सेवा- टीएचडीसी | 30.26 | उत्तराखंड |
| | | | | 0.30 | उत्तर प्रदेश |
| | | | | 1.86 | मध्य प्रदेश |
| 8 | | प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष/पीएम केयर्स फंड | सेवा- टीएचडीसी | 405.00 | दिल्ली |
| 9 | | ग्रामीण विकास कार्यक्रम | सेवा- टीएचडीसी | 88.56 | उत्तराखंड |
| | | | | 7.50 | उत्तर प्रदेश |
| | | | | 7.27 | मध्य प्रदेश |
| 10 | | विपत्ति/आपदा | सेवा- टीएचडीसी | 59.36 | उत्तराखंड |
| 11 | 2021-22 | सीएसआर गतिविधियों पर प्रशासनिक लागत | सेवा- टीएचडीसी | 73.95 | |
| 12 | 2022-23 | स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि | सेवा- टीएचडीसी | 235.17 | उत्तराखंड |
| | | | | 3.18 | उत्तर प्रदेश |
| | | | | 100.00 | राजस्थान |
| | | | | 0.20 | मध्य प्रदेश |
| | | | | 5.00 | बिहार |
| 13 | | शिक्षा एवं रोजगार, व्यावसायिक कौशल वृद्धि आदि | सेवा- टीएचडीसी | 5.20 | उत्तर प्रदेश |
| | | | | 9.16 | मध्य प्रदेश |
| | | | | 60.02 | बिहार |
| | | | | 1036.12 | उत्तराखंड |
| 14 | | महिला सशक्तिकरण और वृद्धाश्रम स्थापित करना आदि | सेवा- टीएचडीसी | 29.97 | उत्तर प्रदेश |
| | | | | 54.12 | उत्तराखंड |
| 15 | | पर्यावरण स्थिरता आदि | सेवा- टीएचडीसी | 1.51 | मध्य प्रदेश |
| | | | | 5.00 | राजस्थान |
| 16 | | कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ आदि | सेवा- टीएचडीसी | 76.23 | उत्तराखंड |
| 17 | | खेल आदि को प्रोत्साहन देना | सेवा- टीएचडीसी | 1.76 | उत्तर प्रदेश |
| | | | | 4.04 | उत्तराखंड |
| 18 | | प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष/पीएम केयर्स फंड | सेवा- टीएचडीसी | 400.00 | दिल्ली |
| 19 | 2022-23 | ग्रामीण विकास कार्यक्रम | सेवा- टीएचडीसी | 22.97 | उत्तर प्रदेश |
| | | | | 222.64 | उत्तराखंड |
| 20 | | सीएसआर गतिविधियों पर प्रशासनिक लागत | सेवा- टीएचडीसी | 88.70 | |
| 21 | 2023-24 | स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि | सेवा- टीएचडीसी | 146.59 | उत्तराखंड |
| | | | | 10.00 | अरुणाचल प्रदेश |
| 22 | | शिक्षा एवं रोजगार, व्यावसायिक कौशल वृद्धि आदि | सेवा- टीएचडीसी | 569.37 | उत्तराखंड |
| | | | | 6.30 | उत्तर प्रदेश |
| | | | | 1.50 | केरल |
| | | | | 135.24 | बिहार |
| 23 | | महिला सशक्तिकरण और वृद्धाश्रम स्थापित करना आदि | सेवा- टीएचडीसी | 5.02 | उत्तराखंड |
| 24 | | पर्यावरण स्थिरता आदि | सेवा- टीएचडीसी | 58.28 | उत्तराखंड |
| 25 | | कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ आदि | सेवा- टीएचडीसी | 12.86 | उत्तराखंड |
| 26 | | ग्रामीण खेल | सेवा- टीएचडीसी | 126.71 | उत्तराखंड |
| 27 | | ग्रामीण विकास कार्यक्रम | सेवा- टीएचडीसी | 80.63 | उत्तराखंड |

**********

**अनुबंध-II**

**लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2037 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

**********

**पिछले दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए विकास कार्य**

**एनएचपीसी:**

| **वर्ष** | **विशेषकर सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई निधि और सोसाइटी में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्य** |
|---|---|
| **2021-22** | **शून्य** |
| **2022-23** | **11 लाख रूपये**<br>**एनजीओ:** सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ डिसेबल्स (ट्रस्ट क्रैडल)<br><br>**गतिविधि:** कैलाना गांव, सोनीपत, हरियाणा में एक पुस्तकालय सह अध्ययन केंद्र की संस्थापना |
| **2023-24** | **11 लाख रूपये**<br>**एनजीओ:** सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ डिसेबल्स (ट्रस्ट क्रैडल)<br><br>**गतिविधि:** कैलाना गांव, नोएडा, हरियाणा में एक पुस्तकालय सह अध्ययन केंद्र की संस्थापना |

**********

**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-2058**

**जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया गया**

**विद्युत की उच्चतम मांग**

**2058. श्री नलीन कुमार कटील:**
**श्री सुनील बाबूराव मेंढे:**
**श्री भोलानाथ 'बी पी. सरोज':**
**श्रीमती हिमाद्री सिंह:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश ने इस वर्ष विद्युत की उच्चतम मांग को पूरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ग) सरकार द्वारा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 2014-15 से 2023-24 के बीच क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वर्ष 2013 में कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी रही?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) और (ख) :** जी, हां। व्यस्ततम मांग वर्ष 2013-14 में 135918 मेगावाट से बढ़कर सितंबर, 2023 में 243271 मेगावाट हो गई है। यह पिछले नौ (09) वर्षों में लगभग 79% की वृद्धि है। मांग में यह वृद्धि दो कारकों के कारण है: (1) भारत हाल के वर्षों में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है और (2) 2.86 करोड़ घरों को नए विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। मांग को पूरा करने के लिए, हमने पिछले नौ (09) वर्षों में 193794 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ी है, जिससे हमारा देश विद्युत के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है।

अनेक ठोस उपायों के कारण उत्पादन क्षमता मार्च, 2014 में 248554 मेगावाट से 70% तक बढ़कर अक्तूबर, 2023 में 425536 मेगावाट हो गई है। इसके परिणामस्वरूप, व्यस्ततम मांग और व्यस्ततम मांग पूर्ति के बीच अंतर वर्ष 2013-14 में 4.5% से घटकर वर्ष 2023-24 (नवंबर, 2023 तक) में 1.4% हो गया है और ऊर्जा

आवश्यकता और ऊर्जा आपूर्ति के बीच अंतर वर्ष 2013-14 में 4.2% से घटकर वर्ष 2023-24 (नवंबर, 2023 तक) में 0.3% हो गया है।

पिछले वर्ष अर्थात 2022-23 और चालू वर्ष अर्थात 2023-24 (नवंबर, 2023 तक) के दौरान देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति के ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

**(ग) :** हमने देश में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वर्ष 2014-15 से 2023-24 के बीच निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) संस्थापित क्षमता जो मार्च, 2014 में 248554 मेगावाट थी, वह बढ़कर अक्तूबर, 2023 में 425536 मेगावाट हो गई है। कोयले की संस्थापित क्षमता मार्च, 2014 में 139663 मेगावाट से बढ़कर अक्तूबर, 2023 में 206825 मेगावाट हो गई है। नवीकरणीय क्षेत्र की संस्थापित क्षमता मार्च, 2014 में 75519 मेगावाट से बढ़कर अक्तूबर, 2023 में 178983 मेगावाट हो गई है।

(ii) देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,16,540 मेगावाट अंतरण क्षमता सहित 1,87,849 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनें, 6,82,767 एमवीए रुपांतरण क्षमता और 80,590 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता को पूरे देश को वन फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले एक ग्रिड में जोड़ने की क्षमता के साथ जोड़ा गया है। भारत का ग्रिड विश्व के सबसे बड़े एकीकृत ग्रिडों में से एक बनकर उभरा है। पूरे देश को एक ग्रिड से जोड़ने से देश एक एकीकृत विद्युत बाजार में परिवर्तित हो गया है। वितरण कंपनियां देश के किसी भी कोने में किसी भी उत्पादक से सबसे सस्ती उपलब्ध दरों पर विद्युत खरीद सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरें सस्ती हो सकेंगी।

(iii) भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को 500000 मेगावाट से अधिक करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2030 तक 500000 मेगावाट आरई क्षमता के एकीकरण के लिए पारेषण योजना को आरई क्षमता वृद्धि के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 179000 मेगावाट गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता पहले से ही एकीकृत है।

(iv) सरकार ने हरित ऊर्जा कॉरीडोरों का निर्माण किया है और 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए हैं। वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 178000 मेगावाट है और 99000 मेगावाट संस्थापना के अधीन है।

(v) हमने विद्युत क्षेत्र को व्यवहार्य बनाने का प्रयास किया है। एटीएंडसी हानियां वर्ष 2013-14 में 22.62% से घटकर वर्ष 2022-23 में 15.41% हो गया है। जेनकोज के सभी मौजूदा भुगतान अद्यतित हैं और जेनकोज की पिछली देय राशियां 1.35 लाख करोड़ रुपये से घटकर 6000 करोड़ रुपये हो गई हैं। राज्य सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी के कारण डिस्कॉमों को किए गए सब्सिडी भुगतान अद्यतित हैं।

(vi) इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने पिछले नौ (09) वर्षों के दौरान उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) कार्यान्वित की है। भारत सरकार ने देश में ग्रामीण क्षेत्र के सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी इच्छुक गरीब

घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना- (सौभाग्य) भी कार्यान्वित की है। इन स्कीमों के अंतर्गत, 18374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया और 2.86 करोड़ घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए। इसके परिणामस्वरूप, शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। इसके साथ-साथ, 2927 नए सबस्टेशन जोड़े गए हैं, 3965 मौजूदा सब-स्टेशनों का उन्नयन किया गया है और 8.86 लाख सर्किट किलोमीटर की एचटी और एलटी लाइनें जोड़ी/बदली गई हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता वर्ष 2015 में 12 घंटे से बढ़कर वर्ष 2023 में 20.6 घंटे हो गई है। शहरी क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता 23.6 घंटे है।

हमने नीतिगत उपाय किये हैं जिससे विद्युत क्षेत्र जीवंत और व्यवहार्य बन गया है। इनमें से कुछ उपाय निम्न प्रकार हैं:

(vii) सौर, पवन, पम्प्ड भंडारण संयंत्रों और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों से उत्पादित विद्युत के पारेषण पर आईएसटीएस प्रभारों की छूट।

(viii) वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) और ऊर्जा भंडारण दायित्व ट्रेजेक्ट्री।

(ix) वर्ष 2019 में, सरकार ने जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपायों की घोषणा की, जैसे बृहत् जल विद्युत परियोजनाओं (>25 मेगावाट) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित करना, जल विद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने के उपाय, बाढ़ नियंत्रण/भंडारण करने वाली जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता, सक्षमकारी अवसंरचना अर्थात सड़क/पुल आदि की लागत के लिए बजटीय सहायता।

(x) पावर एक्सचेंजों में रियल टाइम मार्केट (आरटीएम), ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएएम), ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम), हाई प्राइस डे अहेड मार्केट (एचपी-डैम) की शुरूआत। साथ ही, डिस्कॉमों द्वारा अल्पावधिक विद्युत की खरीद के लिए ई-बोली और ई-रिवर्स के लिए दीप पोर्टल (डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस) की शुरुआत की गई थी।

(xi) बड़े पैमाने पर आरई परियोजनाओं की संस्थापना के लिए आरई विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना।

(xii) ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले के पारदर्शी आवंटन के लिए शक्ति नीति प्रस्तुत की गई थी, जिसने ताप विद्युत संयंत्रों के लिए घरेलू कोयले के प्रभावी आवंटन को सक्षम बनाया और विभिन्न संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं का पुनरुद्धार भी सुनिश्चित किया।

(xiii) उत्पादन क्षमता से पहले अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली का निर्माण।

**(घ) :** दिनांक 31.03.2013 तक की स्थिति के अनुसार देश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 223 गीगावाट थी।

**********

**अनुबंध**

**लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2058 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

*********

पिछले वर्ष अर्थात 2022-23 और चालू वर्ष अर्थात 2023-24 (नवंबर, 2023 तक) के दौरान देश की विद्युत आपूर्ति स्थिति के ब्यौरे:

| वर्ष | ऊर्जा | | | | व्यस्ततम | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ऊर्जा आवश्यकता | आपूर्ति की गई ऊर्जा | आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा | | व्यस्ततम मांग | व्यस्ततम पूर्ति | पूरी नहीं की गई मांग | |
| | (एमयू) | (एमयू) | (एमयू) | (%) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (%) |
| **2022-2023** | 15,11,847 | 15,04,264 | 7,583 | 0.5 | 2,15,888 | 2,07,231 | 8,657 | 4.0 |
| **2023-2024 (नवंबर, 2023 तक*)** | 11,02,887 | 10,99,907 | 2,980 | 0.3 | 2,43,271 | 2,39,931 | 3,340 | 1.4 |

*अनंतिम

*********

**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-2064**

**जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया गया**

**केन्द्रीय जल विद्युत परियोजनओं में रॉयल्टी**

**2064. श्रीमती प्रतिभा सिंह:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से केन्द्रीय जल विद्युत परियोजनाएं अर्थात् एन.एच.पी.सी, एन.टी.पी.सी. और एस.जे.वी.एन.एल में रॉयल्टी बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा 4000 करोड़ रुपये की बकाया राशि जारी करने की मांग की गई है, तथा जोगिंदरपुर में स्थित 100 मेगावाट की शनन जल विद्युत परियोजना को जिसका पंजाब के साथ 99 वर्ष का पट्टा 2 मार्च, 2024 को समाप्त हो रहा है, को हिमाचल प्रदेश को सौंपने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मुद्दे का समाधान कब तक किए जाने की संभावना है: और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) से (ग) :** विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से एसजेवीएन लिमिटेड की, नाथपा झाकड़ी (1500 मेगावाट) और रामपुर (412 मेगावाट) जलविद्युत परियोजनाओं में रायल्टी के रूप में निःशुल्क विद्युत को 12% से 30% तक बढाने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस अनुरोध को भारत सरकार की मौजूदा जलविद्युत नीति, 2008 के अनुरूप स्वीकार नहीं किया गया था, जिसमें जलविद्युत परियोजनाओं से गृह राज्य को अधिकतम 12% निःशुल्क विद्युत प्रदान करने का प्रावधान है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से 4000 करोड़ रुपये जारी करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

शानन जलविद्युत परियोजना को दिनांक 2 मार्च, 2024 को 99 वर्ष की लीज अवधि समाप्त होने पर पंजाब से हिमाचल प्रदेश को सौंपने संबंधी हिमाचल प्रदेश सरकार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दोनों राज्य सरकारों - हिमाचल प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार से अपनी-अपनी प्रस्तुति पूर्णतः लिखित रूप में प्रदान करने को कहा है ताकि विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से कानून के अनुरूप निर्णय लिया जा सके।

**********

**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-2068**

**जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया गया**

**ताप और जल विद्युत संयंत्र**

**2068. श्रीमती चिंता अनुराधा:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या समुचित रखरखाव के अभाव और समय पर मशीनों और उपकरणों का उन्नयन नहीं हो पाने के कारण सरकार के नियंत्रण वाले ताप और जल विद्युत संयंत्रों की दक्षता काफी घटी है तथा विद्युत उत्पादन कम या स्थिर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सरकारी संयंत्र के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे ताप और जल विद्युत संयंत्रों के उन्नयन के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) और (ख) :** जी, नहीं। थर्मल और जलविद्युत सहित विद्युत संयंत्रों में खराबी, उत्पादन की हानि और दक्षता की हानि आदि को रोकने के लिए विभिन्न संयंत्र संबंधी मदों/मशीनरी का वार्षिक रखरखाव और आवधिक रखरखाव किया जाता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सामान्य समीक्षा 2022 के अनुसार, कोयला और लिग्नाइट आधारित संयंत्रों की दक्षता वर्ष 2014-15 में 34.68% थी जो बढ़कर वर्ष 2021-22 में 35.88% हो गई।

**(ग) और (घ) :** जहां तक नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) और जीवन विस्तार (एलई) का संबंध है, सीईए ने अगस्त, 2023 में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के आरएंडएम और एलई के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा सभी विद्युत यूटिलिटी को परिचालित किया गया है, जिसमें सीईए ने आरएंडएम/एलई कार्यों के लिए संभावित इकाई के रूप में ~38150 मेगावाट

की कुल क्षमता वाली 148 ताप विद्युत इकाइयों की पहचान की थी। केंद्रीय, राज्य और निजी विद्युत यूटिलिटी के परामर्श से 148 इकाइयों में आरएंडएम/एलई के कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध योजना भी तैयार की गई। उत्पादन लाइसेंस रहित गतिविधि है, इसलिए लागत लाभ विश्लेषण के बाद राज्य ईआरसी के अनुमोदन से यूटिलिटियों द्वारा निर्णय लिया जाना है कि आरएंडएम/एलई गतिविधियां की जानी हैं अथवा नहीं।

जहां तक जल विद्युत संयंत्रों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम)/उन्नयन का संबंध है, उल्लेखनीय है कि जल विद्युत संयंत्र का मानक प्रचालन कार्यकाल 40 वर्ष है। मौजूदा पुराने जल विद्युत संयंत्रों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) करने का निर्णय अवशिष्ट कार्यकाल मूल्यांकन (आरएलए) अध्ययनों के माध्यम से मशीन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य तथा केंद्रीय विद्युत यूटिलिटियों द्वारा लिया जाता है।

नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम)/उन्नयन संबंधी दक्षता में सुधार, बेहतर उपलब्धता और क्षमता में वृद्धि के माध्यम से ऊर्जा संसाधनों के अनुकूलन के लिए लागत प्रभावी विकल्प के रूप में यह एक सतत व्यवस्था है। इस प्रयोजन के लिए, सरकार उन जल विद्युत परियोजनाओं की निरंतर निगरानी के लिए 5 वर्षीय योजना बनाती है जो नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, उन्नयन और जीवन विस्तार से गुजर रही हैं। ~11718 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाले 64 जल विद्युत संयंत्रों (एचईपी) में नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, उन्नयन और जीवन विस्तार के कार्यों को वर्ष 2022-27 के दौरान पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, ~2879 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाले 21 जल विद्युत संयंत्रों (एचईपी) में नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, उन्नयन और जीवन विस्तार के कार्यों को जीवन विस्तार और उन्नयन के माध्यम से वर्ष 2027-32 के दौरान पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

**********